वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report 1995 - 96

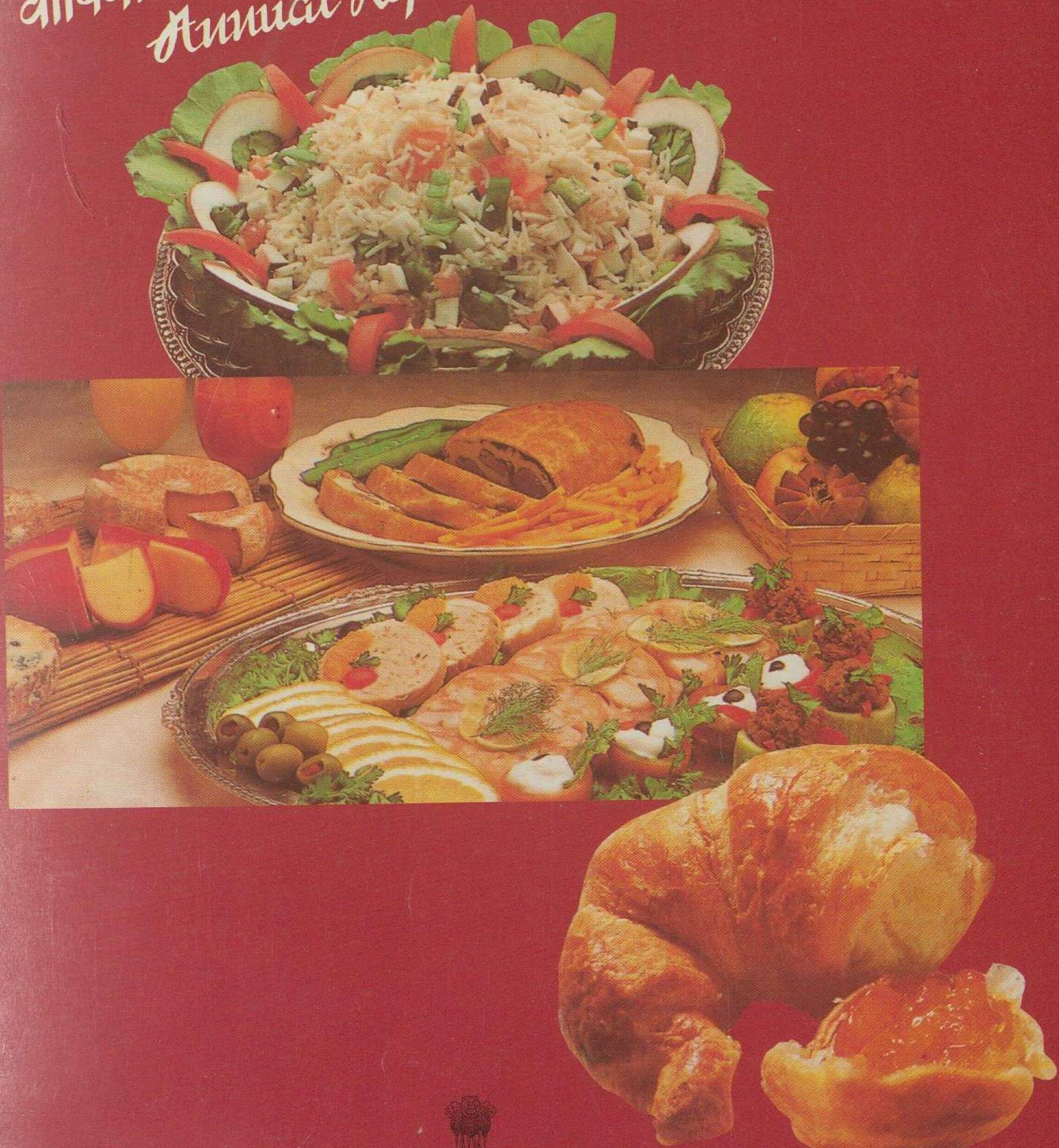

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF

FOOD PROCESSING INDUSTRIES

आहार, ''96'' प्रगति मैदान, नई दिल्ली में मंत्रालय का पैवेलियन।
Pavilion of the Ministry at AHARA '96, Pragati Maidan, New Delhi.

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ''फल एवं सब्जी में भारत-डच सहयोग'' पर सेमिनार।
Seminar on "Indo–Dutch Collaboration in Fruits and Vegetables" at Vigyan Bhawan, New Delhi.

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1995-96

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govt. Publications
Acc. No. RC 95322 (1)
Date 4/10/96

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	अध्याय-1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसकी स्थापना और उपलब्धियां	1
2.	अध्याय-2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य	7
3.	अध्याय-3 खाद्यात्र मिलिंग उद्योग	8
4.	अध्याय-4 उपभोक्ता खाद्य उद्योग	13
5.	अध्याय-5 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	15
6.	अध्याय-6 दूध व दूध से बने उत्पाद	18
7.	अध्याय-7 मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण	19
8.	अध्याय-8 गहन समुद्री मात्स्यिकी	21
9.	अध्याय-9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	26
10.	अध्याय 10 विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना	29

CONTENTS

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Chapter I. Ministry of Food Processing Industries, Its Establishment And Achievements	1
2.	Chapter II Structure And Functions Of The Ministry of Food Processing Industries	7
3.	Chapter III Food Grain Milling Industries	8
4.	Chapter IV Consumer Food Industries	13
5.	Chapter V Fruits And Vegetable Processing Industries	15
6.	Chapter VI Milk & Milk Products	18
7.	Chapter VII Meat and Poultry Processing	19
8.	Chapter VIII Deep Sea Fishing	21
9.	Chapter IX Public Sector Undertakings	26
10.	Chapter X Special Component Plan and Tribal Sub-Plan	29

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स्थापना और उपलब्धियां

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

अध्याय-1

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय—इसकी स्थापना और उपलब्धियां

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई, 1988 में की गई थी। यह महसूस किया जाता है कि एक सुदृढ़ और कारगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण और व्यापारीकरण, कृषि उत्पाद का मूल्यवर्धन करने, रोजगार और आय के अवसर पैदा करने तथा निर्यात के लिए कृषि खाद्य उत्पादों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की सीमा के भीतर उपर्युक्त उद्योगों के लिए नीति तथा योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने जिसमें प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल है, तथा गुणवत्ता के मानक लागू करने, घरेलू बाजार को निर्यात की तरफ सक्रिय करने और कर तथा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का काम करता है।

इस मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:

(1) फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (प्रशीतन और निर्जलीकरण समेत)

(2) खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

(3) दुग्ध पाउडर, शिशु दूध आहार तथा माल्टेड मिल्क, कन्डैंस मिल्क, घी आदि जैसे डेरी उत्पाद।

(4) पॉल्ट्री और अंडा, मांस तथा मांस उत्पादों का प्रसंस्करण तथा प्रशीतन

(5) मछली-प्रसंस्करण (डिब्बाबंदी और प्रशीतन समेत)

(6) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास परिषदों की स्थापना और व्यवस्था

(7) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता तथा परामर्श

(8) प्रादेशिक जल सीमा के बाहर मत्स्यन और मात्स्यिकी

(9) डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन, आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडिड खाद्य उत्पाद (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों समेत) से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता

(10) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग

(11) अल्कोहल रहित पेय समेत पेय

(12) गैर सीरा आधारित अल्कोहल पेय

(13) वातित जल, शीतल पेय और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य

आर्थिक उदारीकरण के युग में जहां निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अपनी उचित भूमिका निभानी होती है, मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, उद्योग का सही दिशा में मार्गनिर्देशन करने तथा सहायता देने, निर्यात को बढ़ावा देने और इन उद्योगों के स्वस्थ विकास के लिए सामान्य माहौल पैदा करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। मंत्रालय निजी और सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे रहा है और उसने पूंजी निवेश और विकास के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। अगस्त 1991 से मार्च, 1996 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 43429 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाले और 5.93 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले 3573 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उदारीकरण की अवधि से पूर्व पेश किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में से 3040 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जिनमें 37350 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा लगभग 5.33 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना

Green Valley

प्रसंस्कृत खाद्यानों का निर्यात (संलग्नक प्रसंस्कृत अनाज)

EXPORTS OF PROCESSED FOODS (INCLUDING PROCESSED CEREALS)

(As on 1st Jan. of the year)

निर्यात (करोड़ों में) **Exports (Rs crore)**

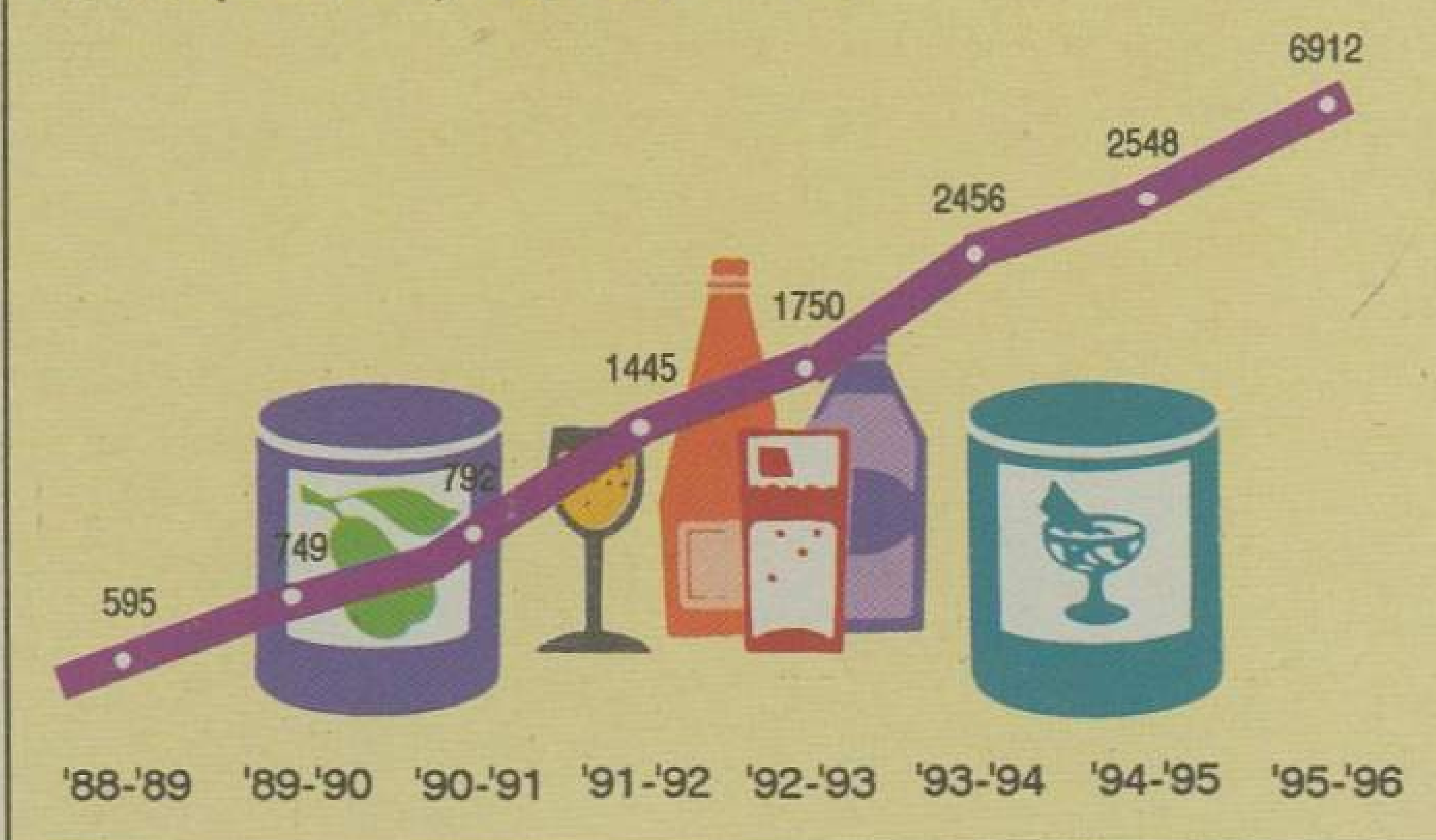

समुद्री उत्पाद का निर्यात

EXPORTS - MARINE PRODUCTS

निर्यात (करोड़ों में) **Exports (Rs crore)**

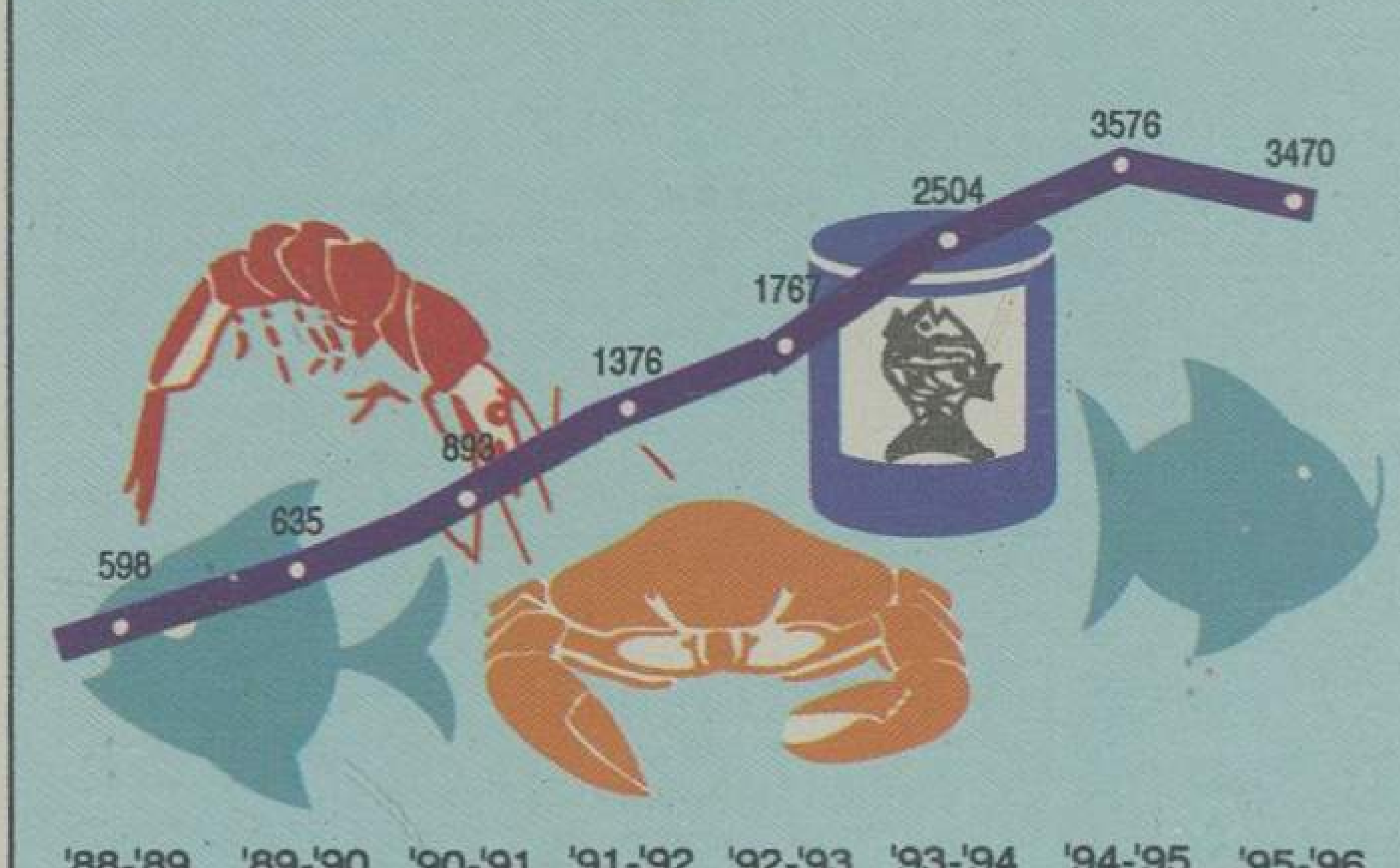

CHAPTER I

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES ITS ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

The Ministry of Food Processing Industries was set up in July 1988 with a view to give a thrust to the development of food processing industries in the country. It is felt that a strong and effective food processing sector plays a significant supportive role in diversification and commercialisation of agriculture, improving value addition in the agricultural produce, employment generation and income and production of agro food products for export. The Ministry is concerned with the formulation and implementation of policies and plans for the above industries within the national priorities and objectives, improvement of infrastructure, including upgradation of technology and enforcing quality standards, activating domestic market focus on export and rationalisation of taxes and duties.

The subjects allocated to this Ministry are as under:

(i) Fruits & Vegetable processing industry (including freezing and dehydration)

(ii) Foodgrain milling industry

(iii) Dairy products such as milk powder, infant milk food, malted milk food, condensed milk, ghee etc.

(iv) Processing and refrigeration of poultry and eggs, meat & meat products.

(v) Processing of fish (including canning and freezing.)

(vi) Establishment and servicing of the Development Councils for food processing industries.

(vii) Technical assistance and advice to food processing industry.

(viii) Fishing and fisheries beyond territorial waters.

(ix) Planning, development and control of, and assistance to industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods.)

(x) Specialised packaging for food processing industries.

(xi) Beer, including non-alcoholic beer.

(xii) Alcoholic drinks from non-molasses base.

(xiii) Aerated waters/soft drinks and other processed foods.

In the era of economic liberalisation where the private, public and co-operative sectors are to play their rightful role in development of food processing industry, Ministry acts as a catalyst for bringing in greater investment into this sector, guiding and helping the industry in a proper direction, encouraging exports and creating a general atmosphere for healthy growth of the food processing industries. Ministry is encouraging private & Co-operative sectors and has undertaken the role of facilitator for investment and growth. Since August 1991 till March 1996, 3573 Industrial Entrepreneur Memoranda (IEM) envisaging an investment of Rs. 43429 crores and direct employment of 5.93 lakh persons have been received for various sub sectors of the food processing industries. Out of the IEMs filed in the post liberalisation period, 3040 IEMs envisaging an investment of Rs. 37350 crores and direct employment of approx. 5.33 lakh persons are for non urban areas. About 45% of these

निहित था, गैर शहरी क्षेत्रों के लिए थे। इनमें से लगभग 45% पूंजी निवेश पिछड़े इलाकों में करने का प्रस्ताव है। इनमें 454 प्रस्ताव जिनमें लगभग 5481 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश और 61779 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना निहित है, कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान सरकार ने संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/औद्योगिक लाइसेंस/शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों जैसे विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है जिनमें 11418 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश करने और लगभग 1.95 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रस्ताव है। इसमें विदेशी पूंजी निवेश की मात्रा 3416 करोड़ रुपये है जो कि अब तक मंजूर किए गए कुल पूंजी निवेश का लगभग 11% है। इसमें से 10514 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश गैर शहरी इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए है। इनमें से 113 प्रस्ताव लागू किए जा चुके हैं और उनसे लगभग 0.59 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने चहुंमुखी सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखा। खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र में इस मंत्रालय द्वारा की गई निरन्तर कोशिशों से छोटे हलरों के आधुनिकीकरण की गति में थोड़ी तेजी आई है और आधुनिकीकृत चावल मिलों की कुल संख्या जो कि 1.1.95 को 34113 थी, 1.1.96 की स्थिति के अनुसार 34163 हो गई है। इन आधुनिक और आधुनिकीकृत मिलों से बेहतर किस्म का चोकर प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुमान है कि 1994-95 में लगभग 31 लाख टन चोकर का प्रसंस्करण किया गया जबकि 1970-71 में 1.87 लाख टन चोकर का प्रसंस्करण किया गया था।

क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर स्थित फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र ने मिलिंग उद्योग को अपेक्षित सहायता देना तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना आदि जारी रखा। उपकरणों के परीक्षण, मशीनरी के चयन, पैकेजिंग और रख-रखाव के लिए चार प्रशिक्षण केन्द्रों ने मशीनरी निर्माताओं और मिलरों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर में चावल प्रसंस्करण तथा सह-उत्पादों के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं जैसे सुखाना, भण्डारण करना, सेलीकरण, मिलिंग, ब्रान स्थिरीकरण, तेल निकालना आदि पर अनुसंधान कार्य जारी रहे। फिलहाल केन्द्र में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है:

(क) चावल मिलिंग के लिए कम घर्षण वाले हलर का मानकीकरण, निष्पादन तथा प्रसार।

(ख) सेलीकृत चावल के चोकर (पूर्ण वसायुक्त, स्थिरीकृत तथा तेल निकाला हुआ) तथा चावल के चोकर के तेल के तलछट का इस्तेमाल प्रान और मछली चारे के रूप में करना।

निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना सी॰एफ॰टी॰आर॰आई॰, मैसूर में की जा रही है:

1. नए उत्पादों का विकास।
2. प्रसंस्करण का विकास, उन्नयन और उसे अधिकतम करना।
3. संयंत्र में खराबी और समस्याओं को दूर करना।
4. संयंत्र और मशीनरी के लिए तकनीकी रिपोर्ट और आंकड़े तैयार करना।
5. संयंत्र में विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम।
6. सम्पूर्ण परियोजनाओं के लिए टर्नकी आधार पर कार्य करना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र में धान मिलिंग और दाल मिलिंग के लिए 8 नई शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/विदेशी निवेश वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 65 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा और लगभग 1264 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में 597 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाले कुल 46 प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दी गई है। इस समय देश में धान मिलों की कुल संख्या 138867 है।

उपभोक्ता उद्योग ने अधिक प्रोटीन वाले एक्सटूडेड खाद्य के उत्पादन में अपनी वृद्धि को बनाए रखा। शराब और पेय अल्कोहल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। उपभोक्ता उद्योग में समीक्षाधीन अवधि के दौरान 6 शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें 409 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश समेत 469 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा। उदारीकरण से लेकर अब तक उपभोक्ता उदयोग में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें 1054 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश समेत 1479 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश निहित है। इनमें से लगभग 413 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली 9 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

investments are proposed to be made in the backward areas. Of these, 454 proposals having an investment of approx. Rs. 5481 crores and direct employment of 61779 persons have already been implemented.

During the post liberalisation period, Government have also approved various proposals like Joint Ventures/Foreign Collaborations, Industrial Licences/100% Export-Oriented Units, envisaging an investment of over Rs. 11418 crores and direct employment of approx. 1.95 lakh persons. Out of this, the foreign investment is to the tune of Rs. 3416 crores which constitute about 11% of the total foreign investments approved so far. Out of this, an investment of Rs. 10514 crores is for setting up of food processing industries in the non urban areas. 113 of these proposals have already been implemented generating a direct employment of approx. 0.59 lakh persons.

In the year under report, the food processing industries maintained an all round positive growth. In the grain processing sector due to sustained efforts of this Ministry, pace of modernisation of small hullers has increased slightly and the total number of modernised rice mills as on 1.1.96 was recorded to be 34163 as against 34113 as on 1.1.95. As a result of improved availability of bran from these modern and modernised mills, the processing of bran is estimated to be around 31 lakh tonnes in 94-95 as against 1.87 lakh tonnes in 1970-71.

The Regional Extension Service Centres and the Post Harvest Technology Centre at Indian Institute of Technology, Kharagpur continues to provide requisite assistance to the milling industry and conducts short term training courses etc. Four Testing Centres provided necessary assistance to the machinery manufacturers and millers for testing of equipments, selection and operation and maintenance of machinery. The research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation, like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction etc. is being carried out in Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the projects handled at the Centres are (a) standardisation, perfection and propagation of low friction huller for rice milling (b) utilisation of parboiled rice bran (full fat, stabilised and deoiled) and settling of rice bran oil as prawn and fish feed.

The Food Engineering Centre, being funded by the Ministry is in the process of being set up in CFTRI, Mysore, to meet the demand of the industry in the following areas:

(i) development of new products

(ii) development, scale up and optimization of processes.

(iii) solving in-plant problems and trouble shooting.

(iv) preparation of technical reports, design data for plant & machinery.

(v) specialised in-plant training programmes.

(vi) turn-key assignments for total projects.

During the year under report setting up of eight new 100% E.O. Units/foreign investment proposals for rice milling and pulse milling were approved in the grain processing sector. These involve an investment of Rs. 65 crores and additional direct employment of about 1264 persons. The total proposals approved so far in this sector are 46, with a total investment of Rs. 608 crores. The total number of rice mills in the country so far are 138867.

In the Consumer Industries, production of high proteins and extruded foods maintained their growth. Production of wine and beverages also maintained the growth trend. In the consumer industries, six 100% EOU/JV proposals envisaging an investment of Rs. 469 crores including foreign investment of Rs. 409 crores were approved during the period under review. A total of 41 proposals in the consumer industries have been approved so far in the post liberalisation period involving an investment of Rs. 1479 crores including foreign investment of Rs. 1054 crores. Out of these 9 projects envisaging an investment of Rs. 413 crores approximately have already been implemented.

भारत सरकार द्वारा सामान्य रूप से और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से किए गए प्रयास लाभदायक रहे हैं। इस वर्ष 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित क्षमता 17.5 लाख टन हो गई है जबकि यह पिछले वर्ष 14.02 लाख टन थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लाइसेंसों की संख्या भी 4270 से बढ़कर 4368 हो गई है और उत्पादन भी 6.76 लाख टन से बढ़कर लगभग 8.57 लाख टन हो गया है।

इनके अलावा, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यम के 118 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिससे कुल मंजूर परस्तावों की संख्या बढ़कर 289 हो गई है और कुल पूंजी निवेश लगभग 3608 करोड़ रुपये हो गया है। इन परियोजनाओं में लगभग 583 करोड़ रुपये की विदेशी इक्विटी और निवेश निहित है। 30 परियोजनाएं उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। इस अवधि के दौरान प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है और अनुमान है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक 470 करोड़ रुपये मूल्य तक का निर्यात किया जाएगा।

जुलाई, 1991 में दूध उत्पाद उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने के परिणामस्वरूप दूध तथा दूध उत्पाद निर्माण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों ने मार्च, 1996 तक 975 से अधिक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए हैं। लेकिन बाद में जून, 1992 में सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत दूध तथा दूध उत्पाद आदेश लागू कर दिया जिसके अनुसार प्रतिदिन 10 हजार से अधिक लीटर दूध इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों और निर्माताओं के लिए दूध नियंत्रक से पास पंजीकरण करवाना जरूरी हो गया। अब इस आदेश में संशोधन कर दिया गया है। दूध के शेड्स के रजिस्ट्रेशन और आबंटन में देरी के कारण नई यूनिटों की स्थापना में कुछ रुकावटें आई हैं लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा दूध छेना, मट्ठा प्रोटीन और लैक्टोस बनाने के लिए विदेशी सहयोग वाली 3 संयुक्त उद्यम यूनिटों को मंजूरी दी गई है और उनकी स्थापना की जा रही है। इस क्षेत्र में मंजूर किए गए कुल प्रस्तावों की संख्या 11 है जिनमें लगभग 460 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश किया जाएगा।

मांस और पाॅल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक भैंस मांस के प्रसंस्करण के लिए 15 निर्यातोन्मुखी यूनिटों को मंजूरी दी गई है और 13 ने काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में पंजाब में निजी क्षेत्र में एक एकीकृत बूचड़खाना शुरू किया गया है। एक और एकीकृत बूचड़खाने की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जा रही है। इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त 5 सूअर प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना गुवाहाटी, नजीरा (असम), आइजोल (मिजोरम), दीमापुर (नागालैंड) और रायपुर (मध्य प्रदेश) में की जा रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, असम, केरल आदि में छोटे और मझौले आकार के अनेक पाॅल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना मंत्रालय की सहायता से की जा रही है। पिछले वर्ष शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी अंडा प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए दी गई 6 मंजूरियों के अलावा चालू वित्तीय वर्ष में अंडा प्रसंस्करण के लिए एक और निर्यातोन्मुखी यूनिट को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एक परियोजना ने काम करना शुरू कर दिया है। अब तक इस क्षेत्र में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें 1142 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश निहित है। मांस उत्पादों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1994-95 में 448 करोड़ रुपये मूल्य की तुलना में 1995-96 में लगभग 674 करोड़ रुपये के मांस और मांस उत्पादों का निर्यात किया गया।

ग्रामीण इलाकों में फल और सब्जी प्रसंस्करण तथा अन्य प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता के सृजन के लिए मंत्रालय ने आठवीं योजना के शुरू के तीन वर्षों में 150 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी है। प्राप्त सुचना के अनुसार ऐसे 54 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और उनमें 2 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ प्रशिक्षुओं ने अति लघु/लघु क्षेत्र में अपनी स्वयं की खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित कर ली हैं। वर्ष 1995-96 में देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 54 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को यह सहायता दी जा चुकी है।

समुद्री उत्पाद के निर्यात में भी वृद्धि हो रही है। 1995-96 के दौरान 3470.29 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 288803 मी० टन उत्पाद का निर्यात किया गया जबकि 1994-95 के दौरान 3575091 करोड़ रुपये मूल्य का 307368 मी० टन निर्यात किया गया था।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसने मत्स्यन संसाधनों के कारगर दोहन के लिए तटवर्ती भारतीय राज्यों और मत्स्यन जलयानों को महत्वपूर्ण सूचना देना जारी रखा। इस संस्थान को राष्ट्रीय समुद्री सूचना प्रणाली के तहत देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी के एक डाटा सेन्टर के रूप में मान्यता दी गई है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने, ''सिफनेट'' कैंडिट्स को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा भारत में टूना अनुसंधान पर कोलोक्यूम की कार्यवाही समेत महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकाशन का काम करता है।

Efforts of Govt. of India in general and that of Ministry of Food Processing Industries, in particular, have been fruitful. In the fruits & vegetable processing sector, the installed capacity, has increased from 14.02 lakh tons last year to 17.5 lakh tons as on 1st January this year. There has been a corresponding increase in the number of licences from 4270 to 4368 and of production from 6.76 lakh tonnes to an anticipated 8.57 lakh tonnes during the year under reference.

Besides this, 118 proposals for 100% EOUs/Joint Venture have been approved thereby raising the total approved proposals to 289 involving a total investment of about Rs. 3608 crores. Foreign equity investment in these projects works out to about Rs. 583 crores. The number of projects which have already gone into production is 30. Export of processed fruit and vegetable products during this period has also increased and it is estimated that by the end of the financial year it was of the order of Rs. 470 crores.

Consequent upon delicensing of milk products industry in July 1991, over 975 IEMs upto March, 1996 have been filed by the entrepreneurs for establishment of milk & milk products manufacturing units. But, subsequently, in June, 1992, government promulgated the Milk and Milk Products Order under Section 3 of the Essential Commodities Act requiring traders and manufacturers using more than 10,000 Litres of milk per day to get themselves registered with the Milk Controller. This Order has since been modified. Delay in registration and allocation of milk sheds have caused certain setback in setting up the new units. However, a few units have reported to have started commercial production. Besides three joint venture units with foreign collaboration for manufacture of milk casein, whey protein and lactose have been approved and are in the process of being set up. The total proposals approved in the sector so far are 11 with a total investment of approximately Rs. 460 crores.

In the meat & poultry processing sector, so far fifteen export-oriented units for processing of buffalo meat have been approved and have started functioning. An Integrated abattoir in the private sector has recently been commissioned in Punjab. Another integrated abattoir is being set up in U.P. Five pork processing plants assisted by this Ministry are being set up at Guwahati, Nazira (Assam), Aizwal (Mizoram), Dimapur (Nagaland) and Raipur (M.P.), In addition, a number of small to medium size poultry processing plants are being established in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, Assam, Kerala etc. with the assistance provided by this Ministry. In addition to six approvals for setting up of 100% Export Oriented egg processing plants in the previous years, one more such export-oriented unit for egg processing has been approved in the current financial year. One project in A.P. has started functioning. The total proposals approved so far in the sector are 37 with a total investment of Rs. 1142 crores. Export of meat products has been steadily increasing. In 1995-96, export of meat and meat products was Rs. 674 crores as against Rs. 448 crores in 1994-95.

In order to promote technology and create entrepreneurship in the fruits & vegetable processing and other types of food processing in rural areas, Ministry in the first 3 years of the 8th Plan have provided assistance for setting up of 150 Food Processing Training Centres. As many as 54 such Training Centres are reported to have been already established and training imparted to almost 2000 persons. Some of the trainees are reported to have already established their own food processing units in tiny/small scale sector. In the year 1995-96, similar assistance has been extended for 54 FPTCs at various locations in the country.

Export of marine products continued to show an increasing trend. During 1995-96 approximately 288803 metric tonnes of marine products were exported with a value of Rs. 3470.29 crores as against an export of 307368 metric tonnes valued at Rs. 3575.91 crores during 1994-95.

The Fishery Survey of India is the nodal agency of the Govt. for survey and assessment of marine fishery resources. It continues to give valuable inputs to maritime Indian States and Fishing vessels for effective exploitation of fishing resources. This Institute has been recognised as one of the data centres for deep sea fisheries in the country under the National Oceanic Information System. It transfers modern technologies and on-the-job training of CIFNET cadets and publishes important information including proceedings of the colloqium on Tuna Research in India.

वर्ष 1992-93 से शुरू हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल पूंजी निवेश और राष्ट्रीय विकास पर दिया गया है जिसमें सरकार की भूमिका एक मददगार के रूप में होगी। योजना में उन सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने का कार्यक्रम है जहां निजी पहल की कमी है। प्रेरक के रूप में अपेक्षित प्रोत्साहन देने और इस क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में मदद देने का भी कार्यक्रम है। योजना आयोग ने वर्ष 1995-96 के लिए 45 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय मंजूर किया है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई स्कीमों को लागू किया जा रहा है। विभिन्न स्कीमों के तहत दी जाने वाली सहायता का उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है।

राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रालय के अनुरोध पर राज्यों ने नोडल एजेंसियां नामित की हैं। अनेक नोडल एजेंसियों को अपनी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, खासकर आंकड़ों को इकट्ठा करने, आंकड़ों के प्रबंधन आदि के लिए योजना सहायता भी दी गई है।

मंत्रालय और राज्य की नोडल एजेंसियों के बीच निरन्तर सम्पर्क सुनिश्चित किया जाता है। वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के वास्ते पूर्वोत्तर राज्यों की नोडल एजेंसियां आदि की बैठक बुलाई गई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने संबंधी राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों, नई परियोजनाओं, योजना स्कीमों को लागू करने पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की नोडल एजेंसियों की बैठक "गोआ में हुई।

उद्योग संबंधी सूचना एकत्र करने, फीडबैक मानीटरिंग और अत्यावश्यक सूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार करने की जरूरत को पूरा करने के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता से विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के कम्प्यूटरीकरण के उपाय कर रहा है। योजना स्कीम, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, औद्योगिक अनुमोदन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र कम्प्यूटरीकरण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के क्षेत्रीय कार्यालयों में एफ॰पी॰ओ॰ लाइसेंसिंग का कम्प्यूटरीकरण करने तथा मानीटरिंग कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना भी आरम्भ की गई है। कम्प्यूटर प्रणाली की स्थापना और साफ्टवेयर विकास चरण के पूरा हो जाने के कारण परियोजना में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विभिन्न कार्यालयों में अब क्रमिक आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को लागू किया जा रहा है। आशा है कि इन सब से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की दिशा में एक उदारीकृत माहौल उत्पन्न करने में मददगार और उत्प्रेरक के रूप में हमारी भूमिका में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम अर्थात् माडर्न फूड (इं॰) लि॰ तथा "नेरामक" ने चालू वित्तीय वर्ष में बेहतर कार्य किया। अनुमान है कि माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं॰) लि॰ अपने कारोबार में और वृद्धि करेगा तथा उसे चालू वित्तीय वर्ष में अधिक लाभ होगा। "नेरामक" ने भी अनानास रस सांद्रण के उत्पादन तथा कृषि उत्पाद के विपणन में पर्याप्त वृद्धि की है तथा संभावना है कि वह चालू वित्तीय वर्ष में अपने घाटे को 50% तक कम कर लेगा।

प्रसंस्कृत खाद्य के बारे में उपभोक्ताओं में सकारात्मक जागरूकता पैदा करने, इन खाद्यों की मांग को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं में एफ॰पी॰ओ॰ चिन्ह के अर्थ और उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्यों के व्यापक विज्ञापन संबंधी एक योजना स्कीम चला रहा है। 8वीं योजना के शुरू के दो वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियानों की उपयोगिता को देखते हुए निर्णय लिया गया कि शेष अवधि में उद्योग संघों की सकारात्मक भागीदारिता से मंत्रालय द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता, जिसे धीरे-धीरे कम किया जाएगा, द्वारा इन अभियानों को निरन्तर जारी रखा जाए।

मंत्रालय ने अखिल भारतीय खाद्य परिरक्षक संघ, भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग परिसंघ, लघु और मझौले उद्योगों की विश्व सभा, भारतीय खाद्य वैज्ञानिक और टैक्नॉलाजिस्ट संघ और विभिन्न दूसरे संघों द्वारा आयोजित सेमिनारों को सहायता दी तथा उनमें भाग लिया। मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों जैसे शिकागो मेला, जर्मनी में अनुगा मेला, सं॰रा॰ अमेरिका में मेगा-शो, जहां भारतीय उत्पादों के विक्रय के अतिरिक्त संभावित निवेशकों के साथ सेमिनारों का भी आयोजन हुआ, में भागीदारी को प्रोत्साहन दिया। मंत्रालय ने मद्रास में आयोजित "फूड प्रो-95" दिल्ली में "आहार" तथा कलकत्ता मेले में भी भाग लिया। बम्बई में आयोजित "एफ॰ एंड बी॰ टेक ट्रिपल एक्सपो-96" में भी भाग लेने का विचार है।

मंत्रालय ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के घनिष्ठ सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उपयुक्त प्रचार सामग्री प्रकाशित की है तथा राज्यों की नोडल एजेंसियों तथा अन्यों के द्वारा उनका प्रसार किया है।

Eighth Five Year Plan began from the year 1992-93 with the basic thrust on stimulating and providing initiative for investment and national development with government acting as facilitator. The Plan envisages public sector investment in those areas where private initiative is lacking, provides requisite stimulus by way of catalyst investment as well as helps development of infrastructure for the growth of this sector. The Planning Commission has approved a Plan outlay of Rs. 45 crores for the year 1995-96. Schemes formulated for the development of different sectors are being implemented and assistance provided under the various schemes are indicated in subsequent chapters.

On the request of the Ministry, the States have nominated nodal agencies for coordinating with Central Government as well as the different Departments of the States for the purpose of development of food processing industries in the States. Plan assistance has also been provided to many nodal agencies for strengthening their infrastructure, particularly for data collection, data management, etc.

Regular interaction between the Ministry and the State Nodal Agencies is ensured. A meeting of the Nodal Agencies and others of the Northern States was convened during the year to review the progress of the Plan Scheme of Food Processing & Training Centres (FPTCs). Another meeting of the Nodal Agencies of Southern & Western States was held at Goa to review the progress of implementation of plan schemes, new projects, state plans and policies for promoting food processing industries.

To cater to the needs of information storage, feedback monitoring and wide dissemination of vital information to the industry, the Ministry has been taking steps to computerise different functional areas with the help of National Informatics Centre. Several areas, like Plan Schemes, Industrial Entrepreneurs Memoranda, Industrial Approvals etc. are at various stages of computerisation and an important project for computerising the FPO Licensing and monitoring activities in F&VP Regional Offices has also been taken up in cooperation with NIC. The project has achieved significant progress with computer systems already installed and software development phase completed. The computerised system is now being implemented and operationalised at various offices in a phased manner. All this is expected to help significantly in our role as a facilitator and catalytic agent in the liberalised environment, for well directed growth of food processing industry.

Two Public Sector Undertakings viz., Modern Food Industries (India) Limited and North Eastern Regional Marketing Corporation Limited performed better in the current financial year. MFIL is estimated to increase its turnover and is expected to make higher profits in the current financial year. NERAMAC has also increased its production of pineapple juice concentrate and marketing of agricultural produce substantially and is likely to reduce its losses by 50% in the current financial year.

With a view to creating a positive consumer awareness about processed foods, stimulating demand for processed foods and enhancing awareness amongst consumers about what FPO symbol means and stands for, the Ministry has been operating a Plan Scheme on Generic Advertising of processed foods. Realising the usefulness of the campaigns organised by the Ministry during the first two years of the 8th Plan, a decision to continue the campaign in a sustained manner over a period of time with positive involvement of the industry associations with financial assistance being provided by the Ministry on a tapering basis was taken.

Ministry also assisted and participated in various seminars organised by the All India Food Preservers' Associations, Confederation of Indian Food Trade and Industry, World Assembly of Small and Medium Scale Industries, Association of Indian Food Scientists and Technologists and various others. The Ministry encouraged participation in international trade fairs like Chicago Fair, ANUGA fair in Germany, Mega Show in U.S.A. where besides selling Indian products seminars were also held with the potential investors. The Ministry also participated in FOODPRO '95 held at Madras, AHARA at Delhi and Calcutta Fair. Participation in F&B Tech Tripple Expo 96 at Bombay is also envisaged.

The Ministry in close association with Central Food Technological Research Institute (CFTRI) has brought out suitable literature on Food Processing and have disseminated the same through the State Nodal Agencies and others.

भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बंबई एवं केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के सहयोग से मंत्रालय ने प्रसंस्कृत खाद्यों की पैकेजिंग के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरु किए हैं। प्रमुख परियोजनाओं में सोयाबीन उत्पादों पर अनुसंधान एवं विकास, ताजे अंगूरों की पैकेजिंग, प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की पैकेजिंग पर रिपोर्ट और पैकेजिंग उद्योग की एक रूपरेखा शामिल है। खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए अल्यूमिनियम डिब्बों के विकास पर एक और प्रमुख परियोजना भी इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई है और इसे केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान तथा रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के विकास और कृषि उत्पादों के निर्यात के मापदंडों की सिफारिश करने के लिए सुश्री मीरा सेठ, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। मंत्रालय ने परम्परागत खाद्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी एक समिति गठित की है ताकि निर्यात बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाइजिन, पैकेजिंग और उत्पाद की शेल्फ-लाइफ को बेहतर बनाया जा सके।

भारत से प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 4 से 7 नवम्बर, 1995 तक शिकागो (सं०रा० अमेरिका) में आयोजित खाद्य एवं दुग्ध निर्यात संबंधी मेगा-शो में भी भाग लिया। मंत्रालय ने कजाकिस्तान, रूस, नीदरलैंड्स, स्पेन और किरगिजस्तान के विभिन्न संयुक्त मिशनों तथा शिष्टमंडलों की बैठकों मे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए भी भाग लिया। मंत्रालय ने सी०आई०एफ०टी०आई०/सी०आई०आई०, कलकत्ता तथा आई०टी०पी०ओ० द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग विकास सम्मेलन तथा निर्यात-आयात बैंक और पोलिश विदेशी निवेश एजेंसी द्वारा आयोजित पोलैंड में निवेश संबंधी सेमिनार में भी भाग लिया।

भारत स्थित यूरोपियन चैम्बर आफ कामर्स कौंसिल द्वारा आयोजित तथा यूरोपियन कमिशन द्वारा प्रायोजित "पैकेजिंग उद्योग" पर "इ यू-इंडिया पैकेजिंग इनिशिएटिव्स--1995" 25 से 28 अक्तूबर, 1995 तक बार्सिलोना तथा लिओन में आयोजित किया गया। "इ यू-इडिया पैकेजिंग इनिशिएटिव्स—1995" के दौरान उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इंडो-ई०सी० बिजनेस फोरम के सह-अध्यक्ष श्री पीटर वान औल्डरहोसेन के नेतृत्व में एक अन्तः क्रियात्मक कार्यशाला में भाग लिया। बार्सिलोना तथा लिओन स्थित व्यापारी समुदायों ने ईयू-इंडिया पैकेजिंग इनिशिएटिव के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सेमिनार तथा कार्यशाला दोनों स्थानों पर अच्छी उपस्थिति रही। निम्नलिखित से संबंधित अनेक प्रश्न किए गए:—

(क) भारत सरकार की वर्तमान नीतियां

(ख) पैकेजिंग क्षेत्र की स्थिति

(ग) व्यापार के अवसर

इन प्रश्नों से व्यापारी समुदायों की भारत के प्रति उत्सुकता तथा रुचि का पता चलता है। यह महसूस किया गया कि कुछ मुद्दों पर सरकार की नीति तथा प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने यूरो-पैक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। इस प्रदर्शनी में भारतीय प्रतिनिधियों को पैकेजिंग क्षेत्र में कुछ अद्यतन मशीनरियां और प्रौद्योगिकी को देखने का अच्छा अवसर मिला। भारत में पैकेजिंग एक विकासशील क्षेत्र है और इसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। बेहतर होगा अगर भारत भी ऐसी प्रदर्शनियों में भाग ले।

मंत्रालय ने व्यवहार्यता रिपोर्टों तथा विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए कदम उठाने हेतु विभिन राज्य संगठनों, सहकारिताओं तथा अन्य संगठनों को सहायता प्रदान की। मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के मार्फत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न उप-क्षेत्रों के लिए कार्यनिष्पादन पुरस्कार की भी स्थापना की है। पता चला है कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों, चैम्बर्स आफ कामर्स तथा इंडस्ट्री को भेजी गई मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग-निवेश के अवसर" नामक पुस्तक की प्रतियां बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं। वर्ष के दौरान इस पुस्तक को संशोधित किया गया तथा उसकी प्रतियां सभी संबंधितों को उपलब्ध कराई गईं।

इस उद्योग के कार्यनिष्पादन संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से मंत्रालय ने कच्चे माल की उपलब्धता , बुनियादी सुविधाओं, नीतियों, कार्यविधियों सरकारी प्रोत्साहनों आदि पर एक विस्तृत सूचना पैकेज एफ०पी० इंडिया-94 तैयार किया है। उसे राज्य नोडल एजेंसियों तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को भेजा गया है। इस उत्पाद की बहुत अधिक मांग है। इस पैकेज को अद्यतन बनाने के लिए काम किया जा रहा है।

In collaboration with IIP, Bombay & CFTRI, Mysore, the Ministry has taken up various programmes for the development of packaging of processed foods. The prominent projects include—R&D of Soyabean products, Packaging of fresh grapes, Report on packaging of processed food industry and a profile of Packaging Industry. Another prominent project on Development of Aluminium Cans for packaging food products has also been sponsored by this Ministry and is being implemented by CFTRI, IIP and DFRL, Mysore.

Ministry has constituted an Expert Committee to recommend parameters for evolving a national perspective plan for food processing industries and export of agro-food products under the Chairperson of Ms. Mira Seth, Member, Planning Commission. The Ministry has also constituted a Committee to upgrade the technologies in the traditional food sector with a view to improve hygiene, packing and shelf life of proucts with a view to cater to the export markets.

A High Level delegation headed by MOS(FPI) participated in the Mega Show on Food & Dairy Export held at Chicago (USA) from 4th to 7th Nov., 1995 in order to promote the export of processed foods from India. This Ministry also participated in various Joint Commissions with, and meetings of delegations from, Kazakistan, Russia, Netherlands, Spain and Kyrghyzstan to provide a fresh iimpetus to the growth on bilateral ties with each of these countries in the field of Food Processing. This Ministry also participated in the International Conference on Development of Processed Food Industry organised by CIFTI/CII, Calcutta and ITPO and also a seminar on Investment in Poland organised by EXIM Bank and Polish Agency for Foreign Investment (PAIZ).

"EU-INDIA Packing Initiatives"—1995 on "Packaging Industry" was held at Barcelona and Lyon between October 25-28, 1995 organised by the Council of EU Chambers of Commerce in India and Sponsed by the European Commission. A delegation, which comprised of Industrialists, Government Officials led by Mr. Peter Von Olderhausen, Co-chairman, Indo-EC Business Forum, participated in the Interactive Workshop during EU—India Packaging Initiatives 1995. There was a good response to the EU-INDIA Packaging Initiative from the business communities at Barcelona as well as Lyon. At both the places, the Seminar and the Workshop were well attended. There were a number of queries relating to:—

(a) The present policies of Government of India.
(b) The status of packaging sector;
(c) Business opportunities.

These queries indicated the keenness and interest of the business communities in India. It was felt that on certain issues, there was no clear picture about the policies and priorities of the Government.

The delegation also visited the Euro-Pack Exhibition. This exhibition provided a good opportunity for the Indian delegates to see some of the latest machinery and technologies in the packaging sector. In India, packaging is a development sector and holds tremendous potential, it will be a good idea if India is also represented at such exhibitions.

Ministry provided assistance to various State organisations, Cooperatives and other organisations for feasibility reports and taking steps for establishment of various food processing industries. Ministry also established performance awards through the National Productivity Council for various sub-sectors of the food processing industries. Ministry's publication titled "Food Processing Industries in India—Investment Opportunities" which was sent to Indian Missions abroad, Chambers of Commerce and Industry was found to be very useful. The book was revised during the year and copies made available to all concerned.

With a view to disseminate information on the performance of the industry, the Ministry prepared a detailed information package FP-India 94 on raw material availability, infrastructure, policies, procedures, State incentives etc. This has been sent to the State Nodal Agencies and Indian Missions abroad. There has been a great deal of demand for this product. Work is on hand for updating this package.

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए ऊर्जा खाद्यों, जैम तथा जैली, बड़ी तथा पापड़, रस्क्स और खोया तथा पनीर, चक्की और गज़क और रेवड़ी, बिस्कुट, आलू केला और मटर को धूप में सुखाना, छोटे स्तर पर धान कुटाई, डबलरोट, फूलगोभी को धूप में सुखाने पर मंत्रालय ने अब तक हिन्दी में 12 लघु फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया जा रहा है। विभिन्न उत्पादों पर ऐसी 23 और फिल्में पूरी होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश, इसमें विदेशी पूंजी निवेश शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित दो फिल्में बनवाई गईः

(1) खाद्य प्रसंस्करण — निवेश के लिए अवसर; तथा

(2) खाद्य प्रसंस्करण — एक भारतीय दृष्टि

The Ministry has so far made Twelve short films in Hindi on Energy Foods, Jams & Jellies, Badi & Papad, Rusks and Khoya & Paneer, Chikkies, Gazaks and Rewries, Biscuits, Sundrying of Potatoes, Bananas & Peas; Flour Milling in Small Scale; Bread; Sundrying of Cauliflower etc. for dissemination of technology in rural areas. These films are being dubbed in 10 regional languages. 23 more such films on different products are at various stages of completion.

In order to attract investment including foreign investment in the food processing sector, two films on:

(i) Food Processing—Opportunities for Investment, and

(ii) Food Processing—An Indian Vision

were also got prepared.

अध्याय-2

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समर्थ और प्रगतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए एक केन्द्र के रूप में काम करता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कृषि उपज तथा सहायक कार्यों को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यिकरण, फसल से पहले और फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उद्योगों का पता लगाया गया है जिनके पास पर्याप्त कार्य लिंकेज है। यह मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की केन्द्रीय एजेंसियों में से एक है जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप निर्दिष्ट उद्योगों के बारे में नीतियों और योजनाओं को बनाने तथा लागू करने का काम करता है। यह मंत्रालय इन उद्योगों के स्वस्थ विकास, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने जिनमें प्रौद्योगिकी का उन्नयन और गुणवत्ता के मानक लागू करना शामिल है, घरेलू बाजार का ध्यान निर्यात की ओर दिलाने तथा करों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक प्रेरक नीति वातावरण तैयार करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग भी सुनिश्चित किया जाता है। मंत्रालय विदेशी सहयोग और निर्यातोन्मुखी यूनिटों के आवेदनों पर भी कार्रवाई करता है और भावी उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराता है। इसलिए मंत्रालय के कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) विकासात्मक एवं उन्नायक

(2) विनियमनकारी, और

(3) तकनीकी और परामर्शी

ये कार्य केन्द्रीय और क्षेत्रीय संगठनों जिनमें विषय के विशेषज्ञ शामिल हैं, द्वारा किए जाते हैं। मंत्रालय के मौजूदा संगठन को दर्शाने वाला चार्ट संलग्न है। कर्मचारियों की संख्या मंत्रालय (मुख्यालय) की कुल स्वीकृत संख्या 169 है। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार समूहवार पदों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा धारित पदों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

पद ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा धारित पदों की संख्या	
ग्रुप क	36	4	—
ग्रुप ख	53	14	3
ग्रुप ग	57	8	3
ग्रुप घ	23	5	
कुल	169	31	6

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मैसर्स माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लि० और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड गुवाहाटी सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं जो खाद्य प्रसंस्करण और विपणन का काम करते हैं।

CHAPTER II

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The Ministry of Food Processing Industries acts as a focal point for developing a sound and vibrant food processing industry. With this end in view, industries with adequate backward linkages are identified for improving productivity in agriculture and allied activities, generation of employment in rural areas, diversification and commercialisation of agriculture, reduction of pre and post harvest wastages and increasing export. This Ministry is one of the Central agencies of the Government for promotion of food processing industries in the country, which includes formulation and implementation of policies and plans in respect of specified industries within the national priorities and objectives. This Ministry endeavours to create a conducive policy environment for healthy growth of these industries, improve infrastructure, including upgradation of technology and enforcing quality standards, activating domestic market focus on export and rationalisation of taxes and duties. Whenever required in this effort the actual involvement instead of State Governments is also ensured. It processes applications for foreign collaborations and export oriented units and renders assistance to prospective entrepreneurs. The functions of the Ministry, therefore, can be classified as:—

i) Developmental and promotional,

ii) Regulatory; and

iii) Technical and Advisory.

These functions are carried out through the Central and field organisations which include subject specialists. A chart showing the present organisation of the Ministry is annexed.

STAFF STRENGTH

The total sanctioned strength of the Ministry (Hqrs) is 169. The details of the posts (Groupwise) and the posts held by SC/ST members as on 31.03.96 are given below:—

Group of Posts	No. of sanctioned posts	No. of posts held by	
		SCs	STs
Group A	36	4	—
Group B	53	14	3
Group C	57	8	3
Group D	23	5	—
Total:	169	31	6

Two public sector undertakings, namely, M/s. Modern Food Industries (India) Ltd., and North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. Guwahati, which are associated with food processing and marketing, are under the administrative control of this Ministry.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय व उससे संबद्ध कार्यालय का (31.12.95 तक की स्थिति के अनुसार) संगठनात्मक ढांचा

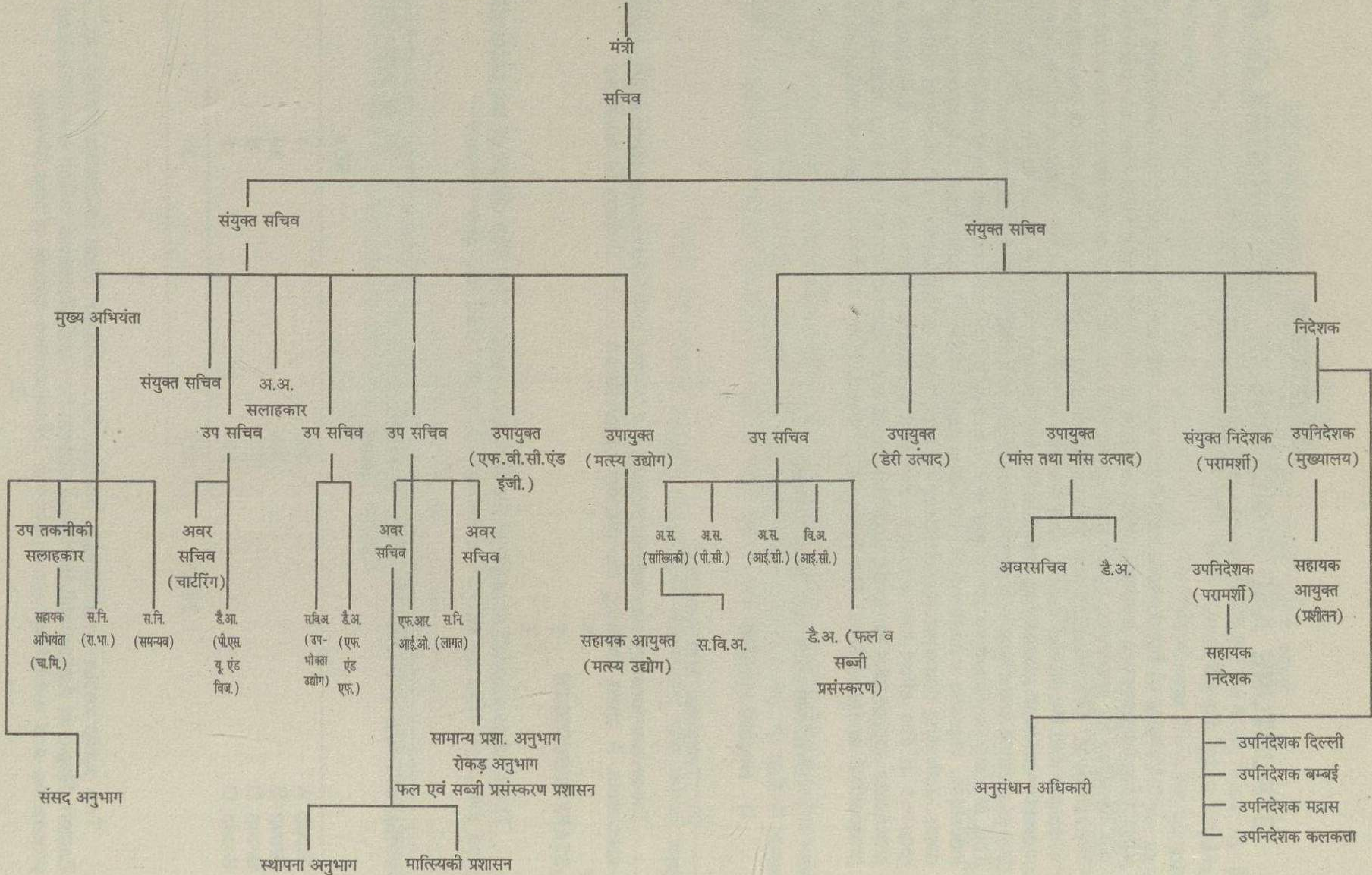

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND ATTACHED OFFICE AS ON 31-12-95

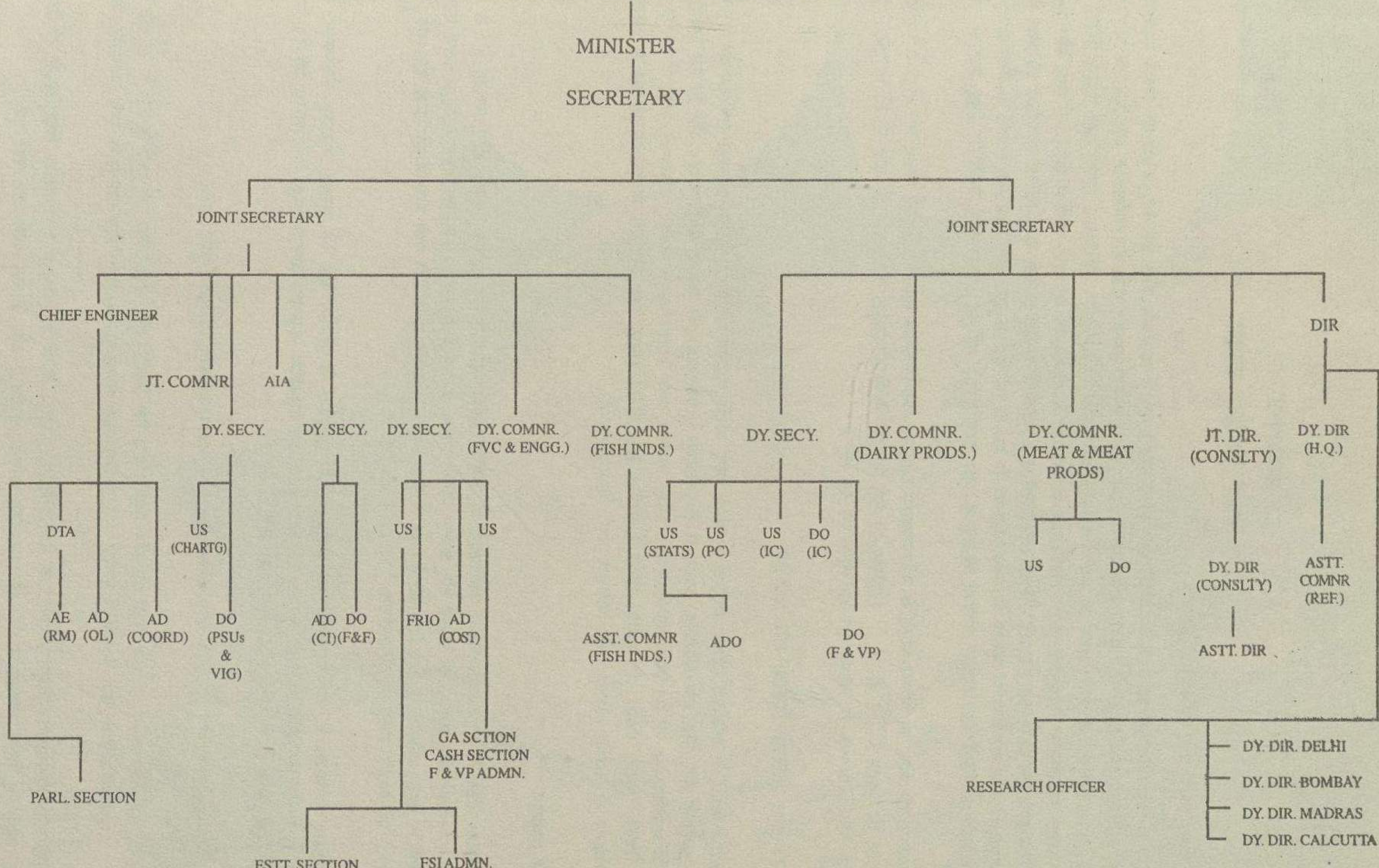

अध्याय-3

खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

देश में चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 1970 में ब्रान और हस्क जैसे सह-उत्पादों की अच्छी क्वालिटी और चावल का अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से आरम्भ की गई थी। ब्रान और हस्क क्रमशः खाद्य तेल/औद्योगिक तेल निस्सारण और ऊर्जा के साधन हैं। आधुनिकीकरण के पहले कदम के रूप में चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 और चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन एवं लाइसेंसिंग) नियमावली, 1959 में संशोधन किया गया। आधुनिकीकरण के पहले चरण में शेलर एवं हलर और बहु-हलरों का आधुनिकीकरण शुरु किया गया। तथापि, सिंगल हलर मिलों के आधुनिकीकरण में पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 27 जुलाई, 1984 को विद्यमान यूनिटों को आधुनिकीकरण से छूट दी गई है। यह छूट अधिनियम और नियमों के अंतर्गत उल्लिखित कुछेक श्रेणियों की मिलों को छोड़कर उपर्युक्त तारीख के बाद स्थापित की गई नई सिंगल-हलर मिलों के लिए उपलब्ध नहीं है।

सरकार द्वारा किए गए निरन्तर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलों की संख्या जो 1970 में वस्तुतः शून्य थी, 1.1.96 को बढ़कर 34163 हो गई है। (तालिका-1) तेल निकालने के लिए प्रसंस्कृत चावल ब्रान की मात्रा भी जो 1970-71 में 1,87 लाख टन थी, 1994-95 में बढ़कर 31.00 लाख टन हो गई हैं।

अनुसंधान तथा विकास विस्तार और प्रशिक्षण

कानूनी उपायों के अतिरिक्त सरकार अपने दो अनुसंधान केन्द्रों अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नालाजी सैंटर तथा धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र तंजावुर (तमिलनाडु) के माध्यम से अनुसंधान और विकास संबंधी विभिन्न कार्यकलाप प्रायोजित कर रही है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और मणिपुर राज्यों में स्थापित बारह क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों के नैटवर्क के माध्यम से चावल मिल आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

सहायता अनुदान

चावल मिलों के आधुनिकीकरण के कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान दिए जा रहे हैं। ये अनुदान मुख्यतया अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्यों तथा सह-उत्पादों के बेहतर इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों और उनके द्वारा शुरु किए गए कार्यकलापों की स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है:—

चावल प्रसंस्करण के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं और सहोत्पादों के उपयोग जैसे कि सुखाने, भंडारण, सेलीकरण, मिलिंग, ब्रान-स्थिरीकरण, तेल निस्सारण आदि पर मूलभूत अनुसंधान कार्य धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर में किया जा रहा है। इस समय इस केन्द्र द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं:—

(क) चावल मिलिंग के लिए कम घर्षण वाले हलर का मानकीकरण, निष्पादन और प्रसार।

(ख) सेलीकृत चावल की भूसी (पूर्ण वसायुक्त, स्थिरीकृत व तेल निकाली हुई) और चावल की भूसी के तेल के तलछट का प्रान और मछली के चारा के रूप में उपयोग (श्री ए॰बी॰बी॰एम॰ पुष्पम कालेज, पुंडी जिला तंजावुर के साथ सहयोगी परियोजना)

इस केन्द्र की स्थापना पंजीकृत सोसायटी के रूप में दिसम्बर, 1984 में की गई थी और इसने तंजावुर स्थित अपनी नई बिल्डिंग में दिसम्बर, 1987 में शिफ्ट कर लिया था और वहां यह अपना अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखे हुए हैं।

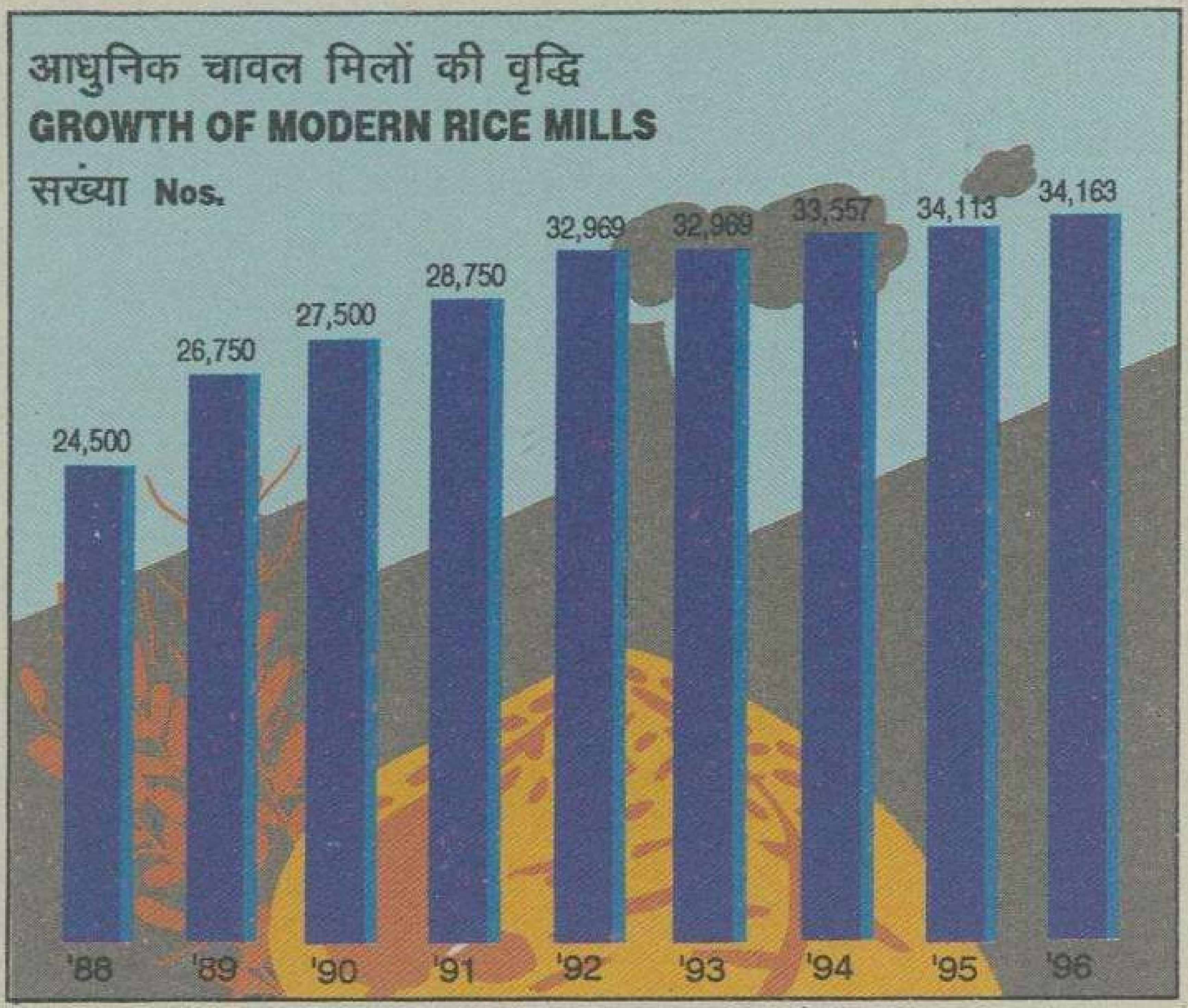
आधुनिक चावल मिलों की वृद्धि
GROWTH OF MODERN RICE MILLS
सख्या Nos.
24,500
26,750
27,500
28,750
32,969
32,969
33,557
34,113
34,163
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95
'96

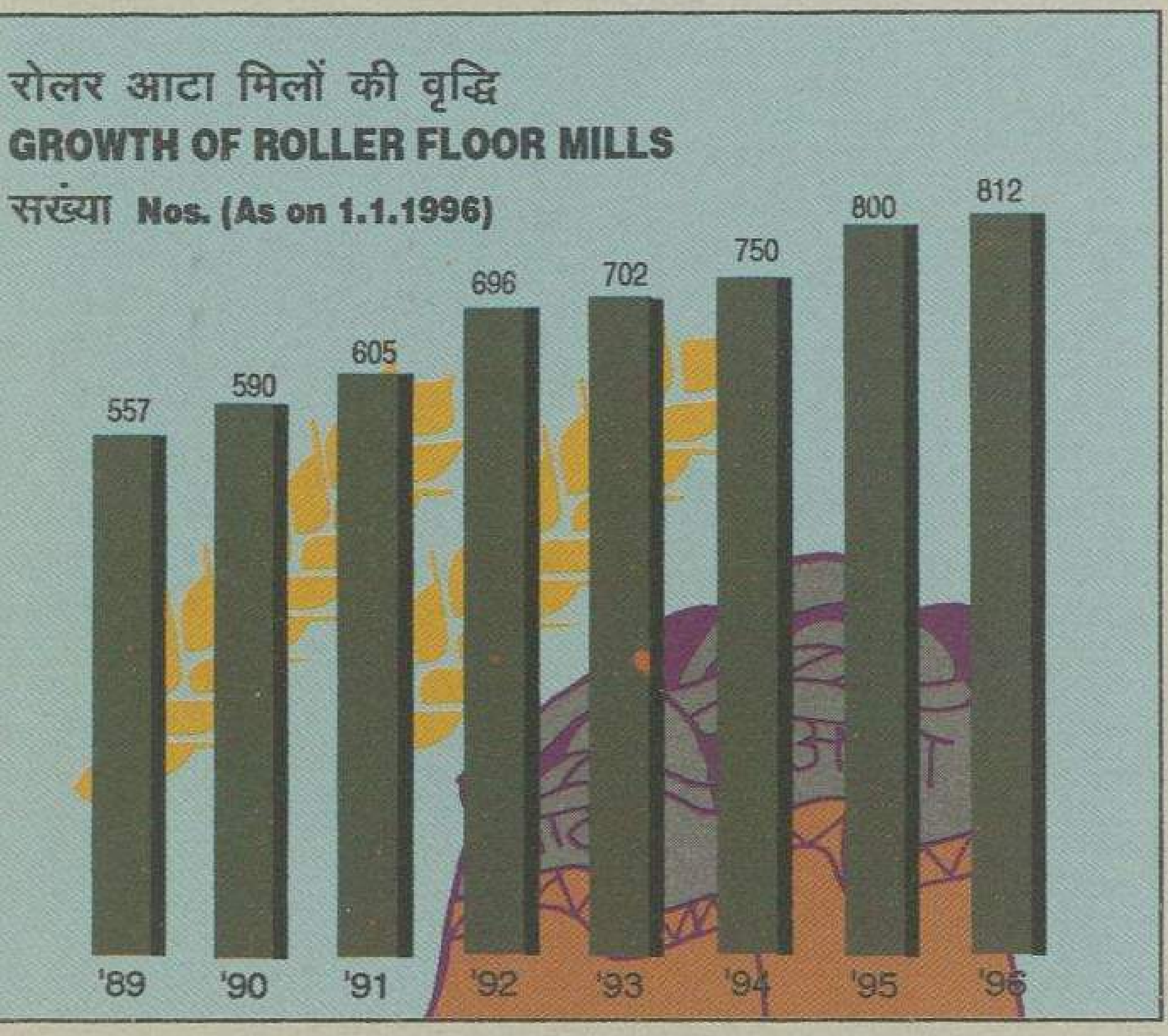
रोलर आटा मिलों की वृद्धि
GROWTH OF ROLLER FLOOR MILLS
सख्या Nos. (As on 1.1.1996)
557
590
605
696
702
750
800
812
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95
'96

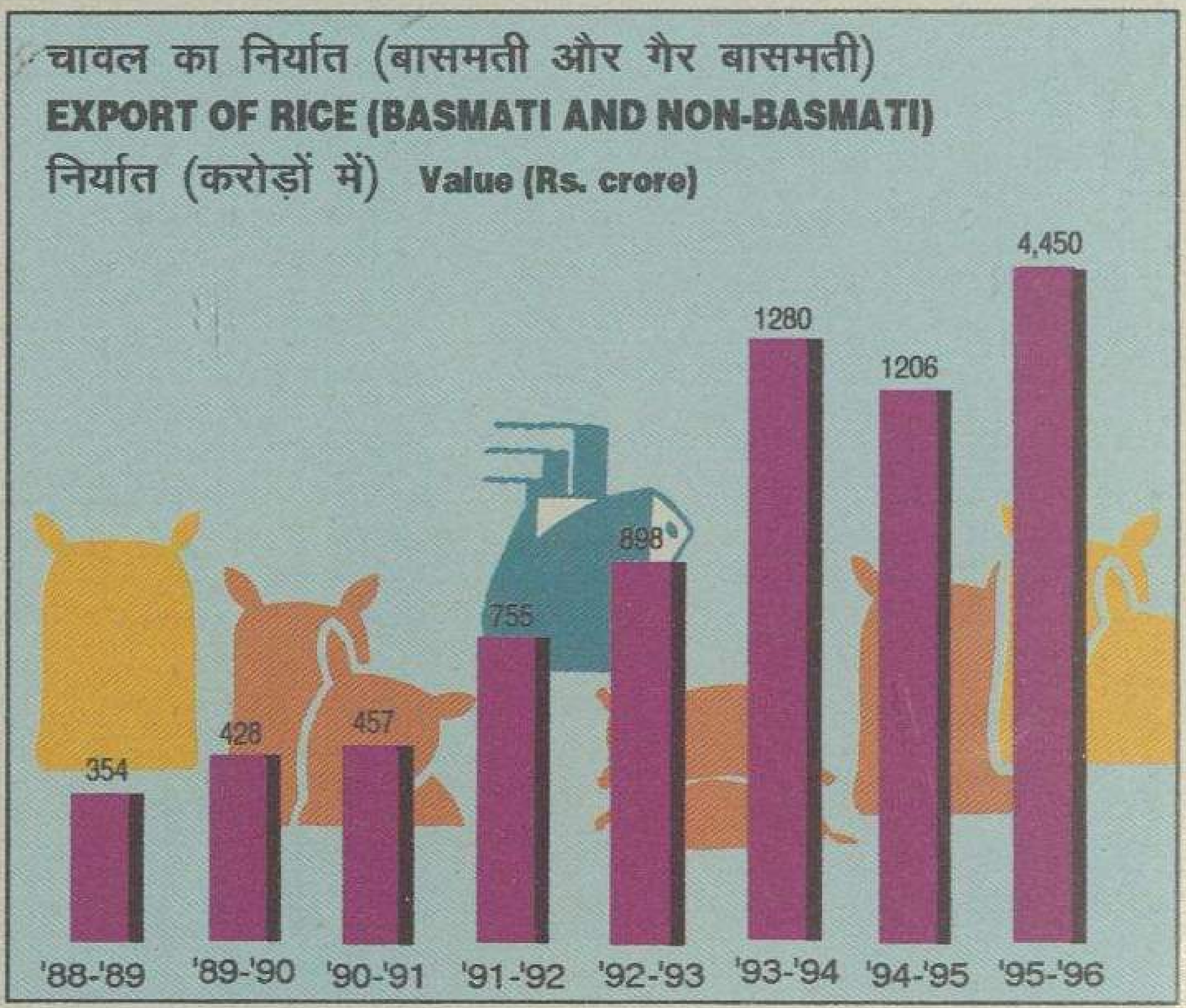
चावल का निर्यात (बासमती और गैर बासमती)
EXPORT OF RICE (BASMATI AND NON-BASMATI)
निर्यात (करोड़ों में) Value (Rs. crore)
354
428
457
755
898
1280
1206
4,450
'88-'89
'89-'90
'90-'91
'91-'92
'92-'93
'93-'94
'94-'95
'95-'96

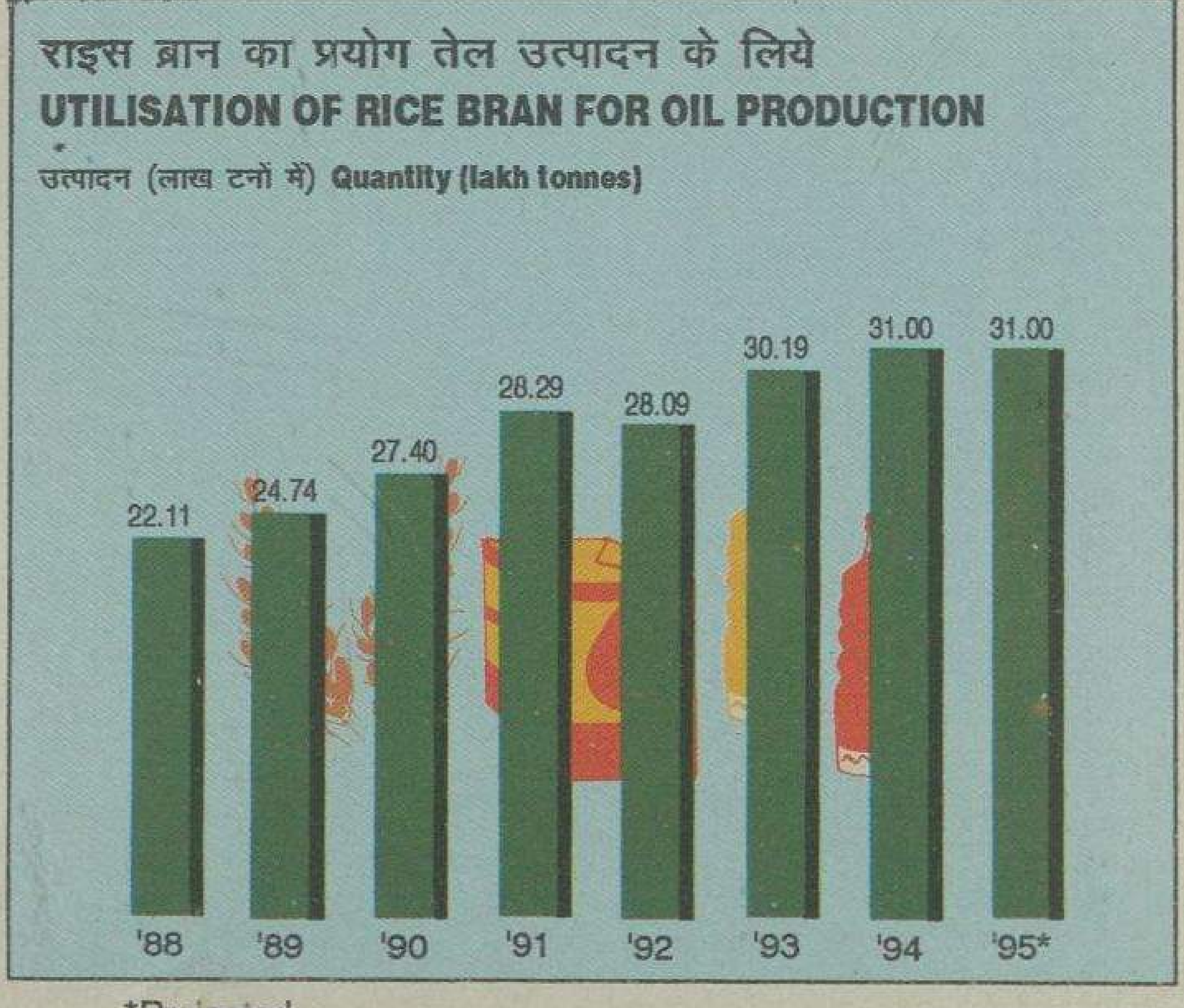
राइस ब्रान का प्रयोग तेल उत्पादन के लिये
UTILISATION OF RICE BRAN FOR OIL PRODUCTION
उत्पादन (लाख टनों में) Quantity (lakh tonnes)
22.11
24.74
27.40
28.29
28.09
30.19
31.00
31.00
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95*

*Projected

CHAPTER III

FOOD GRAIN MILLING INDUSTRIES
MODERNISATION OF RICE MILLS

The process for modernisation of rice milling industry in the country was initiated in 1970 with a view to obtaining higher yields of rice and better quality of by-products such as bran and husk, suitable for edible oil/industrial oil extraction and as a source of fuel respectively. As a first step towards modernisation, the Rice Milling Industry (Regulation) Act 1958 and Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules 1959 were amended. In the initial phase of modernisation, shellers-cum-hullers and multiple hullers were brought under purview of modernisation. However, keeping in view various problems involved in the modernisation of single huller mills, units existing on 27.7.1984 have been exempted from modernisation. This relaxation is not available to new single huller mills set up after this date, except to certain categories enumerated under the Act and the rules made thereunder.

In view of the sustained efforts made by the Government the number of modern/modernised rice mills have gone up from practically nil in 1970 to 34163 as on 1.1.96 (Table-1). Also the quantity of rice bran processed for oil extraction has increased from 1.87 lakh tonnes in 1970-71 to 31.0 lakh tonnes in 1994-95.

R & D EXTENSION & TRAINING

Apart from legislative measures, the Govt. has been sponsoring various research and development activities through its two research Centres, namely, Post Harvest Technology Centre in the Indian Institute of Technology, Kharagpur (West Bengal) and Paddy Processing Research Centre, Thanjavur (Tamil Nadu). In addition, extension and training work on rice mill modernisation is undertaken through a net-work of Thirteen Regional Extension Service Centres established in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (Two Centres), West Bengal, Gujarat, Punjab, Manipur and Assam.

GRANTS IN AID

Grants-in-aid are being provided to various institutes in connection with the activities of modernisation of rice mills. The aid is intended mainly to promote research and development extension and training work on modernisation of rice milling industry and better by-product utilisation. The organisations which have received grants during the year and the activities undertaken by them are briefly indicated in the following paragraphs:—

The basic research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stablisation, oil extraction etc. is being carried out at the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the following projects are being handled at the Centre:—

(a) Standardisation, perfection and propagation of low friction huller for rice milling.

(b) Utilisation of parboiled rice bran (fullfat, stabilized and deoiled), and settlings of rice bran oil as prawn and fish feed (collaborative project with Sri AVVM Pushpam College, Poondi, Thanjavur District).

The Centre was formed as a registered society in December '84 and was shifted to its new building at Thanjavur in December '87 and is continuing its research and development work.

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर के लिए 1995-96 के दौरान 19.00 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर स्थित पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी केन्द्र इंजीनियरों, तकनीशियनों, आपरेटरों आदि को चावल और अन्य अनाज के प्रसंस्करण के संबंध में पोस्ट हार्वेस्ट के पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। यह केन्द्र पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नालॉजी में एम॰टेक॰, पी॰एच॰डी॰ और डाक्टोत्तर पाठ्यक्रम और चावल मिलिंग में अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी चलाता है। इस केन्द्र में कोलम्बो योजना के लिए विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता योजना (स्कापद के अंतर्गत विदेशी नागरिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इस केन्द्र में इस समय 18 विद्यार्थी एम॰टेक॰, 23 विद्यार्थी पी॰एच॰डी॰ और दो डाक्टरोत्तर फैलो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापन कार्यों के अलावा, यह केन्द्र चावल प्रसंस्करण और सह-उत्पादों के उपयोग आदि से संबंधित इंजीनियरी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य में भी लगा हुआ है।

इस केन्द्र को 1995-96 के दौरान 40.00 लाख रु॰ का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

सेमिनारों, प्रदर्शन कार्यक्रमों, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, तकनीकी मार्गदर्शन, फिल्मों, इश्तहारों आदि के माध्यम से प्रचार के द्वारा चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लाभ और सह-उत्पादों के बेहतर उपयोग का प्रचार करने हेतु विभिन्न धान उत्पादक राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं आदि के अधीन अब तक 13 क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के लिए मंत्रालय प्रारम्भ के पांच वर्ष से आठ वर्ष की अवधि के लिए धनराशि देता है और उसके बाद इन्हें, इनके मूल संस्थानों को सौंप दिया जाता है। ये तेरह केन्द्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, मणिपुर और असम राज्यों में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्थापित केन्द्रों को अपनी गतिविधियां आगे भी जारी रखने के लिए 8 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद उनके कार्यकलाप आगे बढ़ाने के लिए संबंधित मूल संगठनों को सौंप दिया गया है।

इन केन्द्रों को 1995-96 के दौरान 33.50 लाख रु॰ का अनुदान दिया गया है।

हलर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 12 राज्यों में अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा और मणिपुर में "सिंगल हलरों के आधुनिकीकरण" की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक हलर मालिक को अपनी यूनिट का आधुनिकीकरण करने के लिह 15000 रु॰ की सब्सिडी दी जाती है।

वर्ष 1995-96 के दौरान मणिपुर एवं केरल राज्य सरकारों को 68.00 लाख रु॰ का अनुदान दिया गया है।

देश में बढ़िया किस्म की चावल मिलिंग और सहायक मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश के दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में चार परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये क्रमशः कोयम्बटूर, खड़गपुर, कानपुर और पुणे में स्थित हैं ये केन्द्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चावल मिल मशीनरी की जांच का कार्य करने, मौजूदा मशीनरी में सुधार करने के बारे में सुझाव देने, निर्माताओं और मिल मालिकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, मशीनरी के चयन, परिचालन और परिरक्षण के बारे में प्रशिक्षण सुविधाएं इत्यादि प्रदान करने का काम करते हैं।

इन केन्द्रों को 1995-96 के दौरान 11.75 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है।

खाद्य इंजीनियरी केन्द्रः

सी॰एफ॰टी॰आर॰आई॰ मैसूर में एक खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः—

(क) प्रक्रिया, उत्पाद और संयंत्र डिजाइन/रूपरेखा का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और सशक्त प्रायोगिक संयंत्र व अन्य इंजीनियरी अध्ययन के माध्यम से उनका इष्टतम उपयोग।

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन चरणों के दौरान उत्पादन केन्द्र के रूप में कार्य करके नए उत्पादों के परीक्षण-विपणन में सहायता देना और बाजार की प्रतिक्रिया के अनुरूप उत्पादन में संशोधन करना।

(ग) प्रचालकों, शिल्पवैज्ञानिकों और इंजीनियरों को संयंत्र प्रचालन, अनुरक्षण और प्रसंस्करण संयंत्र में गड़बड़ी को दूर करने में प्रशिक्षण।

केन्द्र ने क्रमिक आधार पर काम करना शुरू कर दिया है। सहायता, अनुदान सहायता के रूप में दी जाएगी।

A grant of Rs. 19.00 lakhs has been released to the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur during 95-96.

The Post Harvest Technology Centre at the Indian Institute of Technology, Kharagpur provides training facilities for engineers, technicians, operators etc. in the post harvest processing of rice and other cereal grains. It conducts M.Tech., Ph.D. and Post Doctoral courses in Post Harvest Technology, and short term courses in rice-milling, special courses under the Colombo Plan and Special Commonwealth African Assistance Plan (SCAAP) are also organised, for foreign nationals. At present 18 M.Tech, 23 Ph.D. and two Post Doctoral fellows are undergoing courses at the Centre. Besides teaching activities, the Centre is also engaged in research and development work on the engineering aspects of rice processing and by-product utilisation etc.

A grant of Rs. 40.00 lakhs has been sanctioned to the Centre during 1995-96.

Thirteen Regional Extension Service Centres have been set up so far in different paddy growing states under the Agriculture Universities/Research Instiutions etc. to propagate the advantages of rice mill modernisation and better by-product short-duration training courses, technical guidence, publicity through films, leaflets etc. These Centre are financed by the Ministry for an initial period of five to eight years after which they are handed over to the host organisation. These thirteen centres have been set up in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (Two Centres), West Bengal, Gujarat, Punjab, Manipur and Assam. The Centres at Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (two) and West Bengal and Maharashtra have been handed over to the respective host organisations after the completion of the eight year period for further continuance of their activities.

A grant of Rs. 33.50 lakhs has been released to the Centres during 1995-96.

A Scheme on "Modernisation of single hullers" is being implemented in twelve states viz., Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka Madhya Pradesh, Gujarat, Goa, Haryana and Manipur to encourage huller modernisation. Under this scheme, huller-owners are provided subsidy of Rs. 15000 each for the modernisation of their units.

A grant of Rs. 68.00 lakhs has been released to the State Govts. of Manipur & Kerala during the year 1995-96.

In order to encourage production of quality rice milling and allied machinery in the country, four testing centres have been set up in the southern, eastern, northern and western regions of the country. These are located at Coimbatore, Kharagpur, Kanpur and Pune respectively, These centres undertake testing of rice milling machinery according to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards, suggest improvements in existing machinery, offer technical guidance to manufacturers and millers, provide training facilities in selection, operation and maintenance of machinery etc.

A grant of Rs. 11.75 lakhs has been sanctioned to the centres during 1995-96.

FOOD ENGINEERING CENTRE

A Food Engineering Centre is in the process of being set up at C.F.T.R.I., Mysore with the following major objectives:—

(a) Techno-economic assessment of process, product and plant designs/profiles and their optimisation through vigorous pilot plant and other engineering studies.

(b) Assistance in test-marketing of new products by serving as a production centre during the implementation stages of the project and product modifications to suit market response.

(c) Training of operators, technologists and engineers in plant operation, maintenance and trouble shooting in process plants.

The Centre has started functioning in phases. The assistance will be provided in the form of Grant-in-aid.

1995-96 के दौरान केन्द्र को 120.00 लाख रु० का अनुदान मंजूर किया गया है। बासमती व गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए वर्ष के दौरान चावल मिलिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश के चार प्रस्तावों और 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट के दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी जिसमें 6018 लाख रु० का कुल निवेश और लगभग 422 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की क्षमता शामिल है।

गेहूं रोलर आटा मिलिंग उद्योग:

जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की शुरूआत के बाद, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर नई रोलर आटा मिलों की स्थापना अथवा यूनिटों की विद्यमान क्षमता में विस्तार के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की मानक शहरी क्षेत्र की परिसीमा से 25 किलोमीटर के अन्दर स्थापित न की गई हो।

गेहूं उत्पादों को तैयार करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। गेहूं उत्पादों के मूल्य और वितरण पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। मिलों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं से भी गेहूं प्राप्त करने के स्वतंत्रता दी गई है ताकि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वे सरकार पर निर्भर न रहें। देश में प्रतिवर्ष लगभग 812 रोलर आटा मिलों द्वारा करीब 10.5 लाट टन गेहूं से विभिन्न गेहूं उत्पाद तैयार किए जाते हैं। (तालिका-2) मार्च, 1996 तक 300 करोड़ रु० मूल्य के गेहूं व उससे बने उत्पादों की कुछ मात्रा का निर्यात किया गया।

दाल मिलिंग उद्योग:

भारत में दाल मिलिंग उद्योग, चावल और आटा मिलिंग के बाद सबसे बड़ा उद्योग है। अनुमान है कि 140 लाख टन उत्पादित दालों में से 75% दाल का प्रसंस्करण सम्पूर्ण देश में फैली लगभग दस हजार दाल मिलों द्वारा किया जाता है। इसके लिए दालों को विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है जैसे सफाई, फटकना, ग्रेडिंग, दलाई, छिल्का उतारना और पालिश करना। घर, कुटीर या लघु स्तर पर दाल मिलिंग के लिए देश में विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं।

आयातित दालों के निर्यात के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के तहत वर्ष के दौरान दाल मिलिंग क्षेत्र में दो नई यूनिटों को मंजूरी दी गई जिसमें कुल निवेश की मात्रा 488 लाख रु० है और लगभग 172 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता है।

A grant of Rs. 120.00 lakhs has been sanctioned to the Centre during 1995-96.

Four proposals of Foreign investment and Two for 100% EOU were approved during the year in Rice Milling Sector for export of Basmati and Non-basmati rice with a total investment of Rs. 6018 lakhs and employment potential for approximately 422 persons.

WHEAT ROLLER FLOUR MILLING INDUSTRY

After introduction of the New Industrial Policy in July, 1991, licensing has been abolished for setting up of new roller flour mills or for expansion in the existing capacity of the units except in the following cases:—

(a) The proposed project is not located within 25 Kms of the periphery of the standard urban area limit of a city having a population of more than 10 lakhs according to 1991 census.

No licence is required for manufacture of wheat products. There are also no controls on price and distribution of wheat products either. The mills have been given a free hand to obtain their requirements of wheat from any source, thereby avoiding their dependence on Government for the supply of raw materials. Nearly 10.5 million tonnes of wheat is converted into various wheat products by about 812 roller flour mills in the country every year (Table II). Some quantity of wheat and wheat products has been exported from the country worth Rs. 300 crores upto March 1996.

PULSE MILLING INDUSTRY

Pulse milling industry is a major milling industry in India, next only to rice and flour milling. It has been estimated that out of the 14 million tonnes of pulses produced, 75% quantity is processed in about 10,000 dal mills scattered all over the country. Pulses are passed through several stages of precleaning, dehusking, grading, aspirating, splitting and polishing. Various methods are practiced in the country to mill pulses at home, and at cottage or small scale level.

Two new units in Pulse Milling Sector were approved during the year under 100% EOU Scheme for export of imported pulses with a total investment of Rs. 488 lakhs and an employment potential for approximately 172 persons.

तालिका-I

1.1.1996 को चावल मिलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	हलर्स	शेलर्स	हलर-सह-शेलर्स	आधुनिक / आधुनिकीकृत चावल मिलें	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	4609	1776	2364	12995	21744
2.	असम	431	14	2133	242	2820
3.	बिहार	4749	63	9	51	4872
4.	गुजरात	1890	159	67	1045	3161
5.	हरियाणा	807	—	—	990	1797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	223	222	1116
7.	जम्मु एवं कश्मीर	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	9131	462	1103	3674	14370
9.	केरल	13664	—	13	2533	16210
10.	मध्य प्रदेश	3918	201	262	1661	6042
11.	महाराष्ट्र	8199	273	541	1759	10772
12.	मणिपुर	1347	—	—	51	1398
13.	मेघालय	252	—	8	—	260
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	6398	125	289	552	7364
16.	पंजाब	4416	442	—	1965	6823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	—	—	—	17
19.	तमिलनाडु	13684	448	1324	3922	19378
20.	त्रिपुरा	1030	6	8	1	1045
21.	उत्तर प्रदेश	5707	562	150	1215	7634
22.	पं० बंगाल	9554	3	72	926	10555
23.	अंडमान एवं निकोबार	116	—	—	—	116
24.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	1
25.	चंडीगढ़	16	—	—	11	27
26.	दादर एवं नगर हवेली	8	1	—	—	—
27.	दिल्ली	2	—	—	27	29
28.	गोवा	675	—	5	40	720
29.	मिजोरम	—	—	—	—	—
30.	पांडिचेरी	138	—	8	88	234
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
	कुल	91801	4538	8365	34163	138867

TABLE-I NUMBER OF RICE MILLS AS ON 1.1.1996.

S.NO.	NAME OF STATE	HULLERS	SHELLERS	HULLER CUM SHELLERS	MODERN/ MODER-NISED RICE MILLS	TOTAL
1.	ANDHRA PRADESH	4609	1776	2364	12995	21744
2.	ASSAM	431	14	2133	242	2820
3.	BIHAR	4749	63	9	51	4872
4.	GUJARAT	1890	159	67	1045	3161
5.	HARYANA	807	—	—	990	1797
6.	HIMACHAL PRADESH	890	1	3	222	1116
7.	JAMMU & KASHMIR	—	—	—	—	—
8.	KARNATAKA	9131	462	1103	3674	14370
9.	KERALA	13664	—	13	2533	16210
10.	MADHYA PRADESH	3918	201	262	1661	6042
11.	MAHARASHTRA	8199	273	541	1759	10772
12.	MANIPUR	1347	—	—	51	1398
13.	MEGHALAYA	252	—	8	—	260
14.	NAGALAND	—	—	—	—	—
15.	ORISSA	6398	125	289	552	7364
16.	PUNJAB	4416	442	—	1965	6823
17.	RAJASTHAN	152	2	6	193	353
18.	SIKKIM	17	—	—	—	17
19.	TAMIL NADU	13684	448	1324	3922	19378
20.	TRIPURA	1030	6	8	1	1045
21.	UTTAR PRADESH	5707	562	150	1215	7634
22.	WEST BENGAL	9554	3	72	926	10555
23.	ANDAMAN & NIKOBAR	116	—	—	—	116
24.	ARUNACHAL PRADESH	1	—	—	—	1
25.	CHANDIGARH	16	—	—	11	27
26.	DADAR & NAGAR HAVELI	8	1	—	—	9
27.	DELHI	2	—	—	27	29
28.	GOA	675	—	5	40	720
29.	MIZORAM	—	—	—	—	—
30.	PONDICHERRY	138	—	8	88	234
31.	LAKSHADWEEP	—	—	—	—	—
	TOTAL	91801	4538	8365	34163	138867

तालिका-II

1.1.96 को देश में रोलर आटा मिलों की संख्या

क्रम सं॰	राज्य का नाम	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	58
2.	असम	40
3.	बिहार	58
4.	चंडीगढ़	5
5.	दिल्ली	18
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	34
8.	हरियाणा	47
9.	हिमाचल प्रदेश	15
10.	जम्मू एवं कश्मीर	19
11.	कर्नाटक	60
12.	केरल	27
13.	मध्य प्रदेश	42
14.	महाराष्ट्र	63
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	2
17.	नागालैंड	4
18.	उड़ीसा	19
19.	पांडिचेरी	3
20.	पंजाब	46
21.	राजस्थान	10
22.	सिक्किम	3
23.	तमिलनाडु	60
24.	त्रिपुरा	2
25.	उत्तर प्रदेश	125
26.	पं॰ बंगाल	49
	कुल	812

TABLE-II NUMBER OF ROLLER FLOUR MILLS IN THE COUNTRY AS ON 01-01-1996

S No.	NAME OF THE STATE	NUMBER
1.	ANDHRA PRADESH	58
2.	ASSAM	40
3.	BIHAR	58
4.	CHANDIGARH	5
5.	DELHI	18
6.	GOA	2
7.	GUJARAT	34
8.	HARYANA	47
9.	HAMACHAL PRADESH	15
10.	JAMMU & KASHMIR	19
11.	KARNATAKA	60
12.	KERALA	27
13.	MADHYA PRADESH	42
14.	MAHARASHTRA	63
15.	MANIPUR	1
16.	MEGHALAYA	2
17.	NAGALAND	4
18.	ORISSA	19
19.	PONDICHERRY	3
20.	PUNJAB	46
21.	RAJASTHAN	10
22.	SIKKIM	3
23.	TAMIL NADU	60
24.	TRIPURA	2
25.	UTTAR PRADESH	125
26.	WEST BENGAL	49
	TOTAL	812

अध्याय-4

उपभोक्ता खाद्य उद्योग

उपभोक्ता खाद्य उद्योग के अन्तर्गत मुख्यतया पस्ता उत्पाद, कोको आधारित उत्पाद, बेकरी उत्पाद, बिस्कुट, मृदु पेय इत्यादि जैसे खाने के लिए तैयार उत्पाद या पकाने के लिए तैयार उत्पाद आते हैं। इसके अलावा इस प्रभाग द्वारा स्टार्च, ग्लूकोज इत्यादि जैसे उत्पादों को भी देखा जा रहा है क्योंकि खाद्य उत्पादों के लिए इनकी भी आवश्यकता होती है। अधिक पोषक तत्व वाले सोयाबीन के उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और उपभोक्ता उद्योग प्रभाग इस पहलू को भी देखता है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीयर, पेय अक्रोहल और शराब को छोड़कर लगभग सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है और लघु उद्योग क्षेत्र, दुग्ध उत्पादों तथा माल्टयुक्त खाद्यों के उत्पादन हेतु पूर्णतः आरक्षित उद्योगों के क्षेत्र को छोड़कर खाद्य प्रसंसकरण उद्योग के सभी क्षेत्रों में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति प्रदान कर दी है।

खाने के लिए तैयार खाद्य, सोया उत्पाद, कोको उत्पाद, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, मृदु पेय इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण, प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग हैं।

अनाज आधारित उत्पादः

अनाज आधारित उत्पादों में से प्रमुख मद डबलरोटी और बिस्कुट लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं और अनुमान है कि देश में डबलरोटी और बिस्कुट का वर्तमान उत्पादन संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 14 लाख टन और 10 लाख टन है। बिस्कुट के मामले में लगभग 3.6 लाख टन का उत्पादन संगठित क्षेत्र में होता है। लगभग 6.4 लाख टन का उत्पादन लघु क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में किया जा रहा है। कार्नफ्लैक्स जैसे अनाज आधारित अन्य उपभोक्ता उत्पादों का उत्पादन लगभग 10 हजार टन प्रति वर्ष होता है और चालू वर्ष में इसमें 4% की वृद्धि होने की संभावना है। एक्सट्रूडेड खाद्य-पापड़ के निर्माण के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव, गेहूं के आटे इत्यादि के उत्पादन/विपणन के लिए एक संयुक्त उद्यम प्रस्ताव, पिज़्ज़ा, टार्ट तथा पाई के उत्पादन के लिए 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव, विस्तारित तथा पूर्व विस्तारित दोनों रूपों में एक्सट्रूडेड स्नैक पेलेट्स के निर्माण के लिए एक अन्य प्रस्ताव, बिस्कुट के उत्पादन के लिए एक आशय पत्र, बिस्कुट, मीठे बिस्कुट के निर्माण के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग वाले एक आवदेन पत्र, जिसमें कुल पूंजी निवेश 2262.89 लाख रु० है तथा 730 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार देना निहित है, सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है।

सोयाबीन उत्पादनः

प्रोटीन से भरपूर सोया आधारित उत्पादों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इन उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। सोया आधारित उत्पादों को दिनांक 25.7.1991 की अधिसूचना संख्या 477(ई) के अनुलग्नक-3 में रखा गया है और वह उद्योग 51% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले विदेशी सहयोग के स्वतः अनुमोदन की पात्रता रखता है। संगठित क्षेत्र में 7 यूनिटें पहले ही विभिन्न सोयाबीन खाद्य उत्पादों का निर्माण कर रही हैं।

कोको उत्पादः

चाकलेट, पेय चाकलेट, कोको बटर, कोकोबटर स्थानापन्न और कोको आधारित माल्टेड दुग्ध आहार जैसे कोको उत्पादों के निर्माण के लिए 20 यूनिटें कार्यरत हैं जिनके द्वारा लगभग 41,000 टन उत्पाद किया जाता है।

100% निर्यातोन्मुखी यूनिटें और विदेशी सहयोगः

उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए सरकार से अनुमोदन, प्राप्त करने के आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996 की अवधि के दौरान केसिया गम पाउडर, संसाधित और पिसे हुए गुआर गम, तथा चाकलेट स्प्रेड के निर्माण के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए 3

FUN FLIPS
DAIRY MILK
PEPSI

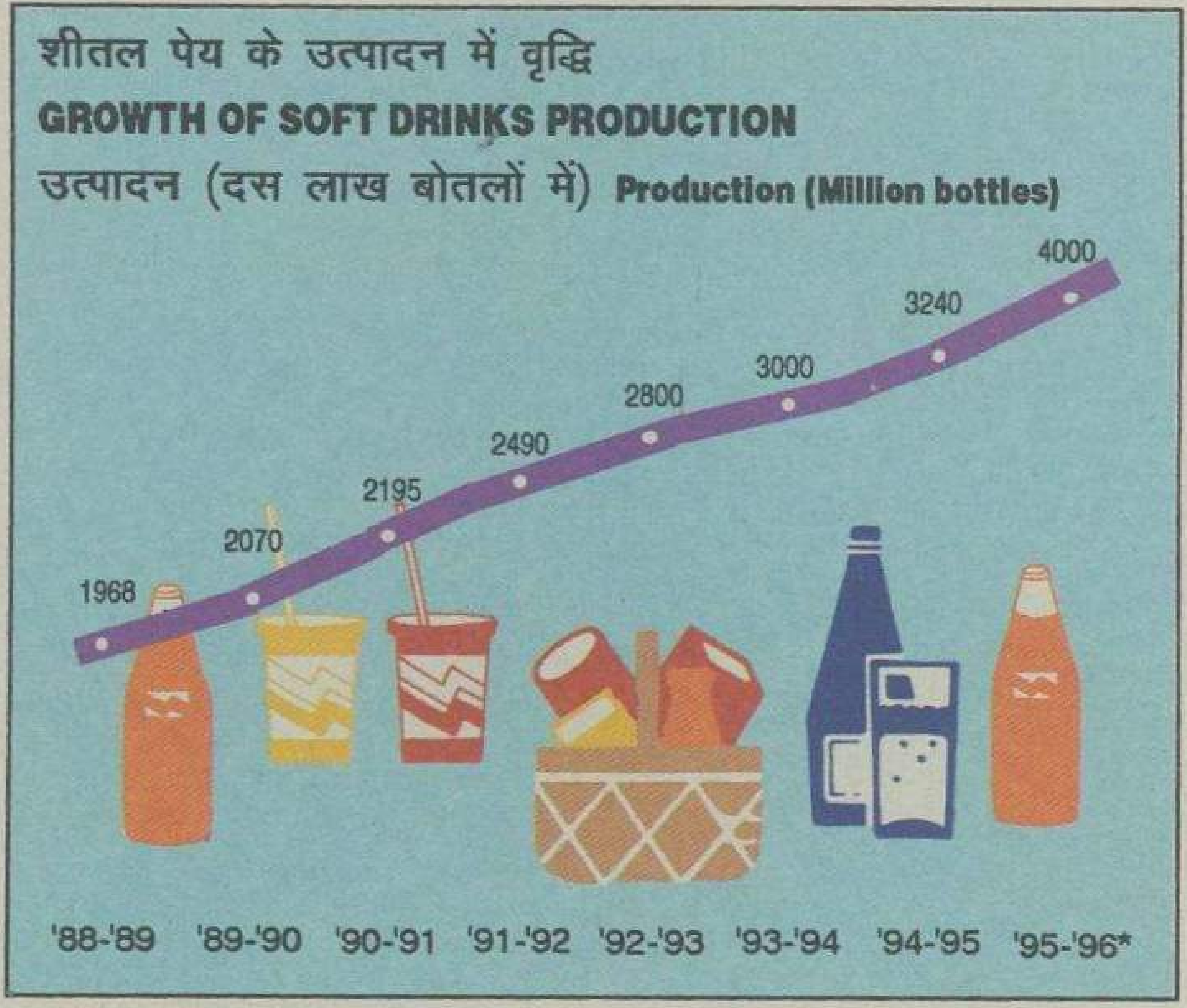

*Provisional

CHAPTER IV
CONSUMER FOOD INDUSTRIES

The consumer food industry mainly consists of ready-to-eat products or ready-to-cook products such as pasta products, cocoa based products, bakery products, biscuits, soft drinks, etc. Besides, products like starch glucose, etc. which are also required for food products are also being looked after in this Division. The soyabean products which have a high nutritional value are also being promoted and Consumer Products Division looks into this aspect also. It may be mentioned that Government have delicensed almost all food processing industries except for beer, potable alcohol and wines. Automatic approval for foreign investment upto 51% has been introduced practically in all sectors of food processing industries except for those which are reserved exclusively for production in the small scale sector, milk products and malted foods.

Some of the important processed food industries are ready-to-eat foods, soya products, cocoa products, high protein foods, soft drinks, etc.

Cereal Based Products:

Of the cereal based products, the major items bread and biscuits are reserved for small scale sector and the present production of bread and biscuits in the country, both in the organised and unorganised sectors, is estimated to be about 14 lakh tonnes and 10 lakh tonnes, respectively. In the case of biscuits, the production in the organised sector is approximately 3.6 lakh tonnes. About 6.4 lakh tonnes are being produced in the small scale and unorganised sector. The production of other cereal based consumer products like corn flakes is approximately 10,000 tonnes per annum and is likely to grow by 4% in the curent year. One proposal for setting up of a 100% EOU for the manufacture of extruded food—papad, one joint venture proposal for production/marketing of Wheat Flour etc., one proposal for setting up a 100% wholly owned foreign company for manufacture of pizzas, tarts and pies, another proposal for manufacture of extruded snack pellets, both in the expanded and pre-expanded form, one Letter of Intent for manfuacture of biscuits and one appliction for foreign technical collaboration for manufacture of biscuits, sweet biscuits with a total investment of Rs. 2262.89 lacs and direct employment of 730 person have been approved by the Government.

Soyabean Products:

Considering the importance of protein-rich soya based products, the Government is trying to promote manufacture of these products. Soya based products have been placed in Annexure-III to the Notification No. 477(E), dated 25.7.91 and the industry is eligible for automatic approval for foreign collaboration involving foreign equity participation upto 51%. There are seven units in the organised sector already manfuacturing various soyabean food products.

Cocoa Products:

There are 20 units engaged in the manufacture of cocoa products, like chocolates, drinking chocolates, cocoa butter, cocoa butter substitutes and cocoa based malted milk foods with a production of approximately 41,000 tonnes.

100% Export Oriented Units & foreign Collaborations:

While no licence is required for setting up of a consumer industry, proposals for setting up of 100% EOUs require the approval of the Government. During the period from April, 1995 to March, 1996 three proposals for setting up of 100% EOUs for manufacture of casia gum

प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उपभोक्ता क्षेत्र में अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996 की अवधि के दौरान विदेशी सहयोग और विदेशी इक्विटी भागीदारी के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल अनुमोदित निवेश 409.00 करोड़ रु० के विदेशी निवेश समेत करीब 469.00 करोड़ रु० है।

बीयरः

1989 में प्रतिबंध के शिथिलीकरण के बाद, घरेलू बिक्री तथा 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों दोनों के लिए बीयर की नई उत्पादन क्षमता के लिए मंजूरी दी गई है। उदारीकरण से लेकर अब तक बीयर यूनिटों की स्थापना के लिए 100% विदेशी इक्विटी वाले छह अनिवासी भारतीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बीयर उद्योग में अब तक अनुमोदित विदेशी निवेश लगभग 95 करोड़ रु० का है और कुल अनुमोदित निवेश लगभग 1146 करोड़ रु० का है। इस समय 35 बीयर उत्पादक यूनिट हैं जिनके द्वारा लगभग 3.4 लाख यूनिट क्विंटल वार्षिक उत्पादन किया जाता है।

पेय अल्कोहलः

पेय अल्कोहल के उत्पादन पर लगी पाबंदी को 1988 में ढील दी गई थी।

घरेलू बिक्री तथा 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की नई उत्पादन क्षमता के लिए मंजूरी दी गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारतीय संयुक्त उद्यम साझेदारों की मौजूदा विद्यमान लाइसेंस क्षमता का उपयोग करते हुए स्कॉच व्हिस्की तथा ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में निवेश के लिए 4 विदेशी कंपनियों को सरकार ने अनुमति दी है। इस क्षेत्र में अब तक अनुमोदित विदेशी निवेश लगभग 192 करोड़ रु० है, और कुल अनुमोदित निवेश लगभग 550 करोड़ रु० है। इस समय 9 यूनिटें गैर-शीरा आधारित पेय अल्कोहल का उत्पादन कर रही हैं।

(34)

powder, guar gum treated and pulverised, and chocolate spread have been approved by the Government. In consumer industries sector, 3 proposals for foreign collaboration and foreign equity participation have been approved during April, 1995 to March, 1996. Total investment approved during the period under review is Rs. 469.00 crores approximately including foreign investment of Rs. 409.00 crores.

BEER

After the relaxation of ban in 1989, fresh capacity for manufacture of beer has been sanctioned, both for domestic sales and for 100% EOUs. Since liberalisation, six NRI proposals have been approved involving 100% foreign equity for setting up of beer units. The foreign investment approved so far in the beer industry is about Rs. 95 crores and the total investment approved is about Rs. 1146 crores. There are 35 units producing beer at present and the estimated output is 3.4 lac KLs per annum.

POTABLE ALCOHOL

The ban on manufacture of potable alcohol was relaxed in 1988. Fresh capacity has been sanctioned both for domestic sales and for 100% EOUs. During the year under report, the Government has permitted 4 foreign companies to invest in joint venture projects for the manufacture of scotch whisky and blended scotch whisky by utilising existing Licensed capacities of Indian joint venture partners. The foreign investment approved so far in this sector is about Rs. 192 crores, and the total investment approved is about Rs. 550 crores. There are 9 units producing non-molasses based potable alcohol at present.

अध्याय—5

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

भारत भारी मात्रा में विभिन्न किस्म के फलों व सब्जियों का उत्पादन करता है जिससे यह जल्दी नष्ट हो जाने वाली परन्तु पौषणिक रूप से आवश्यक फसलों का उत्पादन करने वाला संसार का दूसरा बड़ा देश बन गया है। आशा है कि किसानों द्वारा अपनाए जा रहे बेहतर बागवानी तरीकों, अच्छी किस्म के बीजों और रोपण सामग्री से कुल उत्पादन और फसल में महत्वपूर्ण सुधार होगा। बागवानी उत्पाद की बड़ी मात्रा को घरेलू उपभोग तथा अन्य वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए सुखाने या अचार बनाने की सरल विधि द्वारा परिरक्षित किया जाता है। वाणिज्यिक प्रयोजन तथा मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए संगठित फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में, फल और सब्जी प्रसंस्करण का प्रतिशत देश में होने वाले कुल फल व सब्जी उत्पादन का करीब 1.6 प्रतिशत है जोकि इस मंत्रालय की स्थापना से पूर्व 0.5 प्रतिशत से कम था।

सरकार की उदारीकरण की नीति, इस उद्योग को उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के लिए वरदान है। प्रंसस्कृत खाद्य की न केवल घरेलू खपत लगातार बढ़ रही है बल्कि उद्योग ने अपारम्परिक उत्पादों जैसे प्रसंस्कृत खुम्बी, गोरकिन्स आदि को शामिल करके निर्यात में विविधता को बढ़ाया है। अनुमान है कि साल उत्पादन में लगभग 25% वृद्धि हुई है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की अनुमानित स्थापित क्षमता लगभग 17.6 लाख टन है जबकि पिछले वर्ष यह 14.02 लाख टन थी और पिछले वर्ष 6.76 लाख टन उत्पादन की तुलना में सदृश अवधि के दौरान लगभग 8.5 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। इसी प्रकार अब तक के निष्पादन के आधार पर वर्ष 1995-96 में लगभग 430 करोड़ रु० मूल्य के फल उत्पादों का निर्यात होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 409 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात किया गया था।

विनियमन तथा नियंत्रण

अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी फल उत्पाद आदेश-1955 को लागू करने के लिए मंत्रालय के नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और लखनऊ में एक उपक्षेत्रीय कार्यालय है। फल उत्पाद आदेश (एफ०पी०ओ०) 1955 में विभिन्न फल उत्पादों के लिए अपेक्षित क्षेत्र, सफाई व स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, प्रसंस्करण में उपयोग के लिए पानी, मशीनरी, उपकरणों और विभिन्न फल उत्पादों, के लिए अन्य विनिर्दिष्टयों का उल्लेख है।इसलिए वाणिज्यिक उद्देश्य से फल उत्पाद तैयार करने के इच्छुक व्यक्तियों को फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है जो इस बात का सुनिश्चिय करने के बाद दिया जाता है कि यूनिट क्षेत्र, सफाई व स्वास्थ्य परिस्थितियों, पेय जल, मशनीरी व उपकरणों आदि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करती है। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उक्त आदेश के तहत लेबल संबंधी विनिर्दिष्टयों का भी उल्लेख किया गया है और निर्माताओं को मंजूर शुदा लेबलों के तहत ही उत्पादों की बिक्री करने की मंजूरी दी जाती है वर्ष के दौरान 10020 सैम्पल यह जांच और विश्लेषण,करने के लिए लिए गए कि उत्पाद, फल उत्पाद आदेश के तहत विनिर्देशों के अनुरूप थे अथवा नहीं। फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत लाइसेंसों की संख्या 4368 हो गई है जबकि पिछले वर्ष यह 4270 थी इसके अतिरिक्त, जहां जरूरत हो वहां फल और सब्जी परिरक्षण निदेशालय निर्यात किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य प्रीशिपमेंट निरीक्षण करता है। अनुमान है कि वर्ष 1995-96 में लगभग 430 करोड़ रु० मूल्य के फल व सब्जी उत्पादों का निर्यात किया गया जबकि पिछले 409 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात किया गया था।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटें:

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती परन्तु शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना तथा लाइसेंस मुक्त करने के लिए निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत न आने वाले अन्य ऐसे प्रस्तावों के लिए इस मंत्रालय की सिफारिशों पर आधारित सरकारी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। अप्रैल 1995 से मार्च 1996 की अवधि के दौरान सरकार ने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना कें लिए 118 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जुलाई 1991 से लेकर अब

Mother
MANGO PICK
ASSORTED VEGETABLES

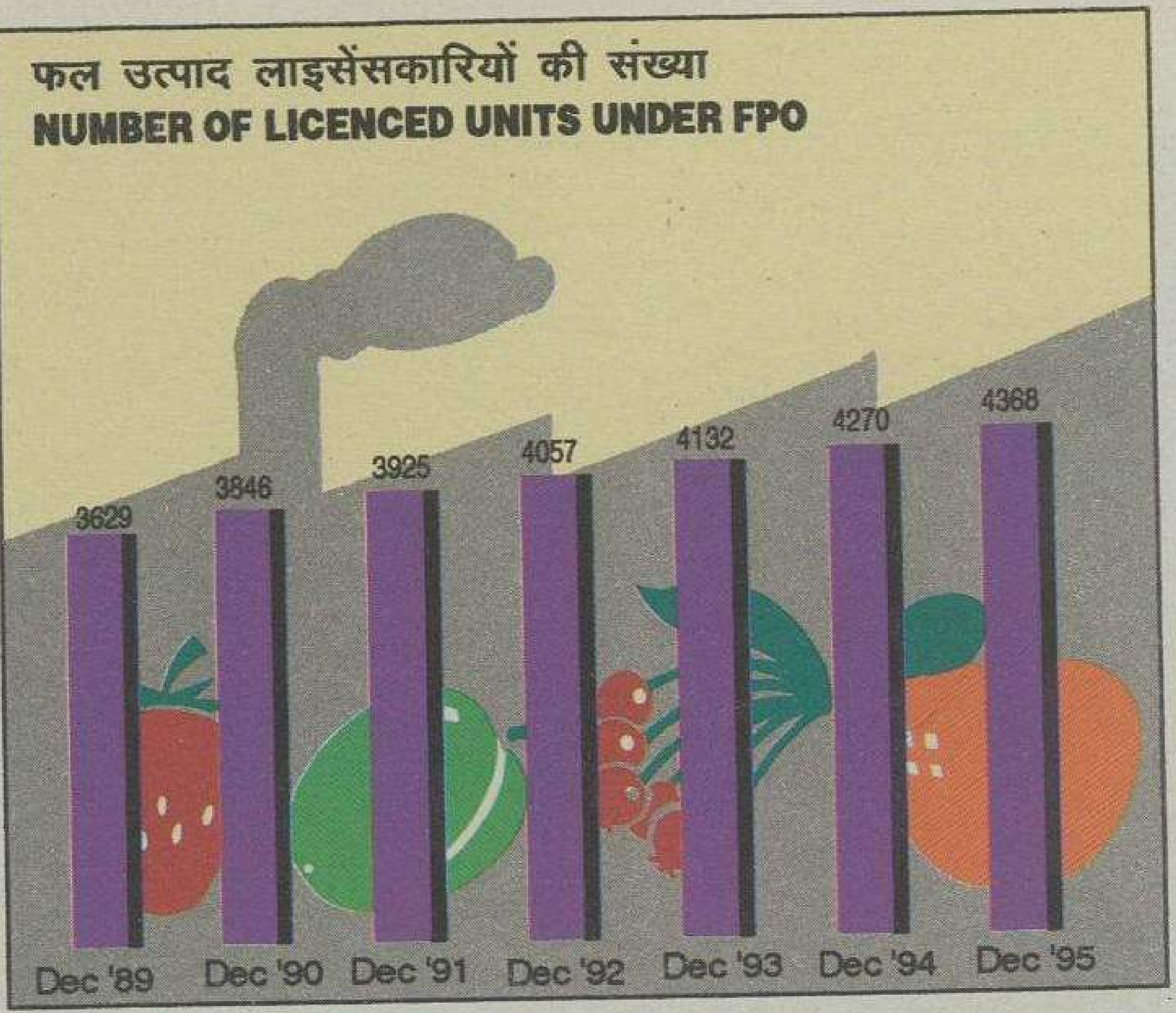
फल उत्पाद लाइसेंसकारियों की संख्या
NUMBER OF LICENCED UNITS UNDER FPO
3629
3846
3925
4057
4132
4270
4368
Dec '89
Dec '90
Dec '91
Dec '92
Dec '93
Dec '94
Dec '95

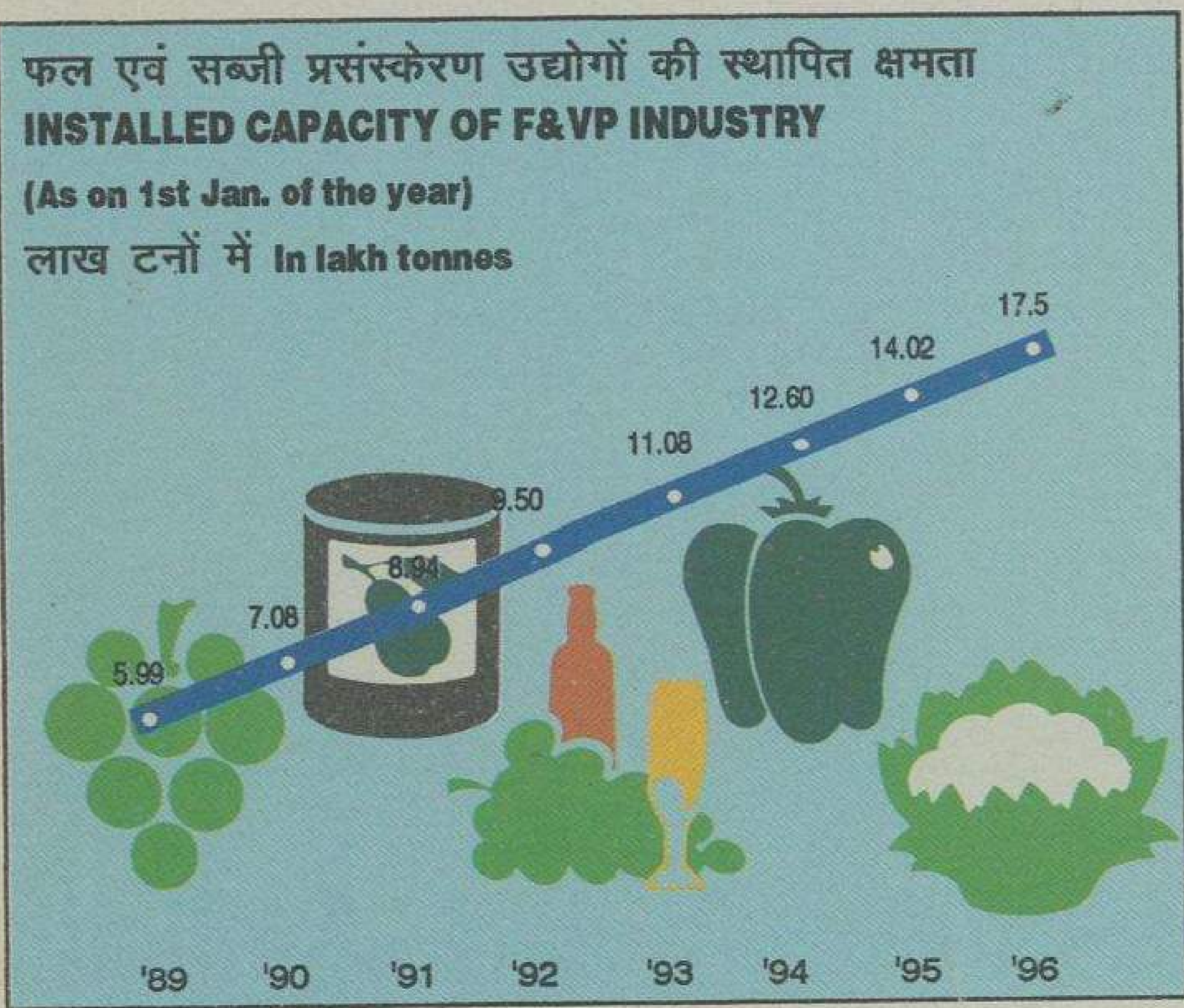
फल एवं सब्जी प्रसंस्करेण उद्योगों की स्थापित क्षमता
INSTALLED CAPACITY OF F&VP INDUSTRY
(As on 1st Jan. of the year)
लाख टनों में In lakh tonnes
5.99
7.08
8.94
9.50
11.08
12.60
14.02
17.5
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95
'96

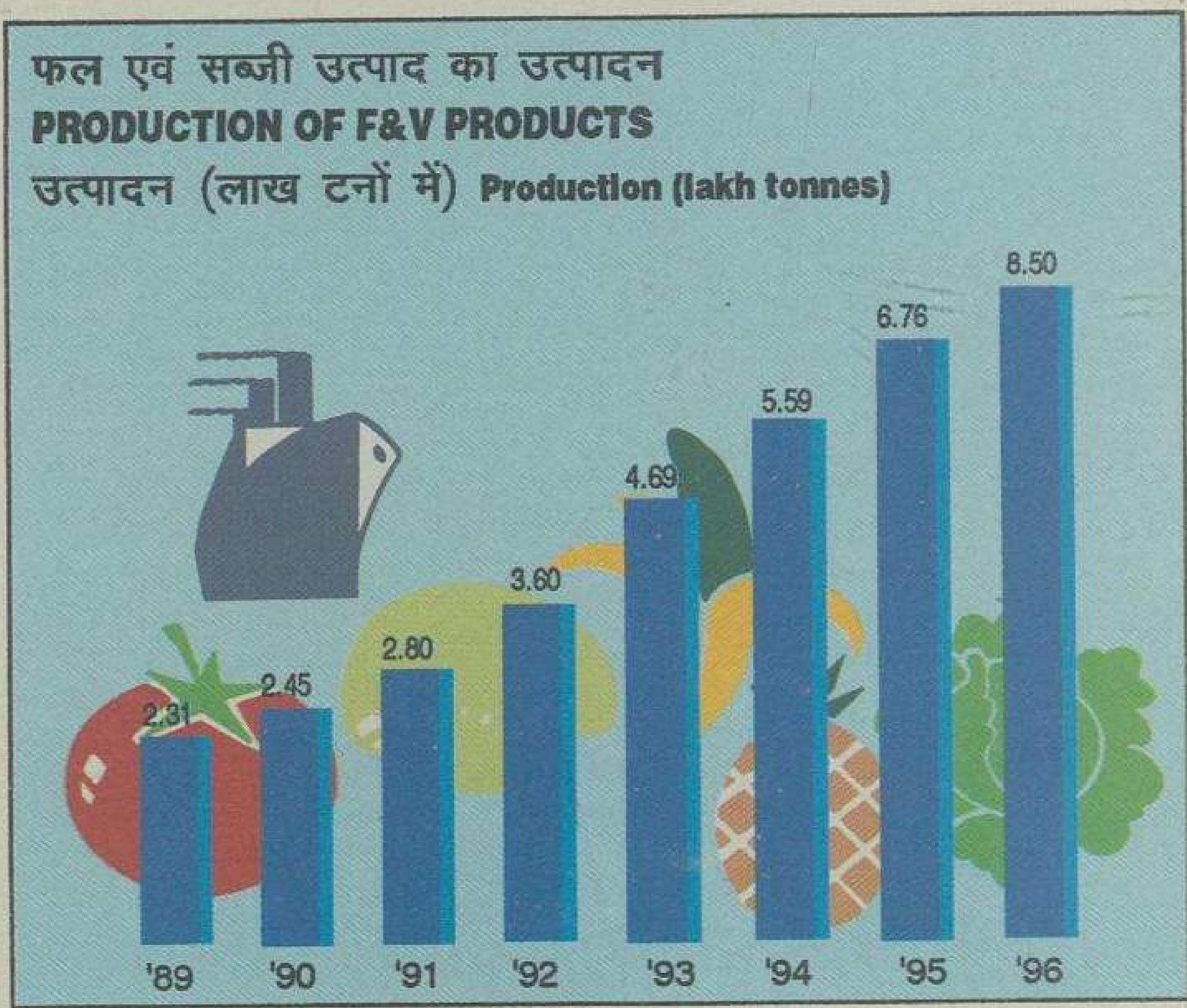
फल एवं सब्जी उत्पाद का उत्पादन
PRODUCTION OF F&V PRODUCTS
उत्पादन (लाख टनों में) Production (lakh tonnes)
2.31
2.45
2.80
3.60
4.69
5.59
6.76
8.50
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95
'96

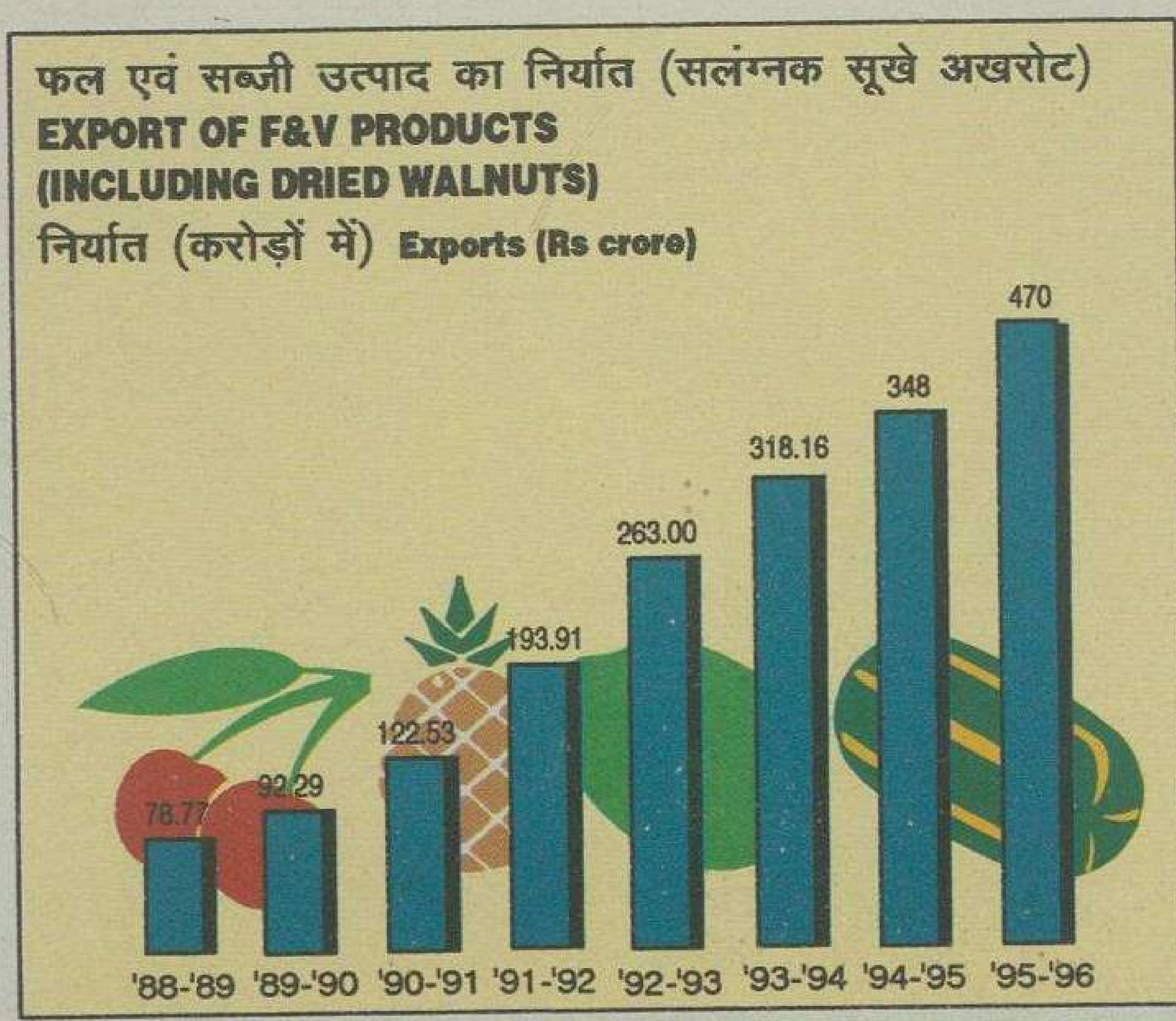
फल एवं सब्जी उत्पाद का निर्यात (सलंग्नक सूखे अखरोट)
EXPORT OF F&V PRODUCTS
(INCLUDING DRIED WALNUTS)
निर्यात (करोड़ों में) Exports (Rs crore)
76.77
92.29
122.53
193.91
263.00
318.16
348
470
'88-'89
'89-'90
'90-'91
'91-'92
'92-'93
'93-'94
'94-'95
'95-'96

CHAPTER V

FRUITS & VEGETABLE PROCESSING INDUSTRIES

India produces a wide range of fruits & vegetables in substantial quantities making it the second largest producer of these perishable, but nutritionally essential, crops in the World. It is expected that the improved horticultural practices, better quality seeds & plants material, which the horticulturists are adopting, would bring about a significant improvement in yields & overall production. A large quantity of the horticultural produce is preserved through simple process of drying or pickling for home consumption and also for other commercial use. The percentage of fruits & vegetables used by the processing industry for commercial purposes, and to make value added fruit products, is about 1.6% of total production of fruits & vegetables in the country as compared to less than 0.5% perior to formation of this Ministry.

The liberalised policies of the Government and the incentives provided for this industry coupled with changing socio-economic conditions have been a boon to the fruits and vegetable processing industry. Not only the domestic consumption of processed foods is steadily growing, the industry has increased the variety in their export basket by inclusion of non-traditional products like processed mushrooms, gherkins etc. The estimated growth of production this year is about 25%.

The estimated installed capacity of fruits and vegetable processing industry is about 17.6 lakh tonnes as against 14.02 lakh tonnes last year and the production for the corresponding period is expected to be about 8.5 lakh tonnes in comparison to 6.76 lakh tonnes last year. Like-wise, based on the performance so far, the export of fruit and vegetable products for the year 1995-96 is estimated to be worth around Rs. 470 crores as against Rs. 409 crores last year.

REGULATION AND CONTROL

To administer the Fruit Product Order (FPO) - 1955 promulgated under the Essential Commodities Act, the Ministry has one regional office each at New Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and a sub-office at Lucknow. The Fruit Product Order, 1955 lays down the requirements of area, sanitary and hygienic conditions, water for use in processing, machinery, equipments and specifications for various fruit products. Thus, those who wish to manufacture fruit products for commercial purposes have to obtain a licence under the Fruit Product Order, 1955, which is granted after ascertaining that the unit meets the requirements in regard to area, sanitary, and hygienic conditions, potable water, machinery and equipment, etc. with a view to protect the consumer, the specifications for lables have also been laid and the products are allowed to be sold only under approved lables. During the year, 10020 samples were drawn and analysed to see the conformity of the product to the specifications under FPO. The number of licencees under Fruit Prodcuts Order, 1955 stands increased to 4368 as against 4270 last year. Besides, enforcement of the F.P.O., 1955, compulsory pre-shipment inspection to certify the quality of products being exported is also carried out by the Directorate of Fruits and Vegetable Preservation, wherever required.

100% Export Oriented Units

While no industrial licence is required for setting up of fruit & vegetable processing industries, proposals for setting up of 100% EOUs and other such proposals which do not fall within the parameters of delicensing continue to require the approval of the Government based on the recommendations of this Ministry. During the period from April, 1995 to March 1996, 118 proposals for setting up of 100% EOUs/joint-venture projects have been approved by the Government. Number

तक दी गई ऐसी मंजूरियों की संख्या 289 है। अब तक इस क्षेत्र में 583 करोड़ रु० के विदेशी निवेश समेत कुल 3608 करोड़ रु० का निवेश मंजूर किया गया है। 30 शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सैक्टर को दी गई योजना सहायता

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के समक्ष पेश आने वाली कुछ प्रमुख कठिनाइयों को दूर करने और इस उद्योग के विकास को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सैक्टर संबंधी अनेक योजना स्कीमें हैं। इनमें उद्यमियों के प्रशिक्षण, खुम्बी प्रसंस्करण, हॉप्स और औद्योगिक सम्पदा समेत फल व सब्जी प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन, फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन और ठेका खेती के माध्यम से बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, विज्ञापन के माध्यम से बाजार संवर्धन, एफ०पी०ओ० चिन्ह को बढ़ावा देने और सामान्य ब्रांड नामों से छोटे निर्माताओं के उत्पादों के विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और पैकेजिंग सहित नई तकनीक और पद्धतियों का पता लगाने हेतु अनुसंधान व विकास संबंधी स्कीमें शमिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्कीम के तहत क्वालिटी टैस्टिंग उपकरणों समेत संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों आदि के लिए 2 लाख रु० तक और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मूल पूंजी/आवर्ती फंड के रूप में एक लाख रु० तक सहायता दी जाती है। बहु-उत्पादन क्रियाकलापों के लिए स्थापित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों के मामले में क्वालिटी टैस्टिंग उपकरणों समेत संयंत्र व मशीनरी और उपकरणों की लागत को पूरा करने के लिए सहायता की इस राशि को 7.50 लाख रु० तक और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मूल पूंजी/आवर्ती फंड को 2 लाख रु० तक बढ़ाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत राज्य/ केन्द्र सरकार के विभागों, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों/सहायता प्राप्त क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी संगठनों आदि को सहायता उपलब्ध है। इन केन्द्रों को उन उद्यमियों की खोज के लिए वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव है जो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित कर सकें जिससे स्वरोजगार दिया जा सके और ग्रामीण जनसंख्या के शहरी इलाकों में पलायन को कम किया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी होगा और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों के बारे में भी पता चलेगा। ये खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र छोटी यूनिटों को चलाने और उनके प्रबंधन के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। प्रशिक्षणार्थी लेखा-जोखा रखने, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादों के विपणन संबंधी प्रत्येक कार्यकलाप में भाग लेंगे ताकि उन्हें वास्तविक स्थितियों की जानकारी और अनुभव प्राप्त हो सके जिससे उनमें वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने व उसे चलाने हेतु विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार की शिक्षा से सहयोग की भावना भी उत्पन्न होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण सहकारिताओं के गठन को बढ़ावा मिलेगा।

आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों में सभी राज्यों में ऐसे 150 केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की गई है। 1995-96 के दौरान असम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश राज्यों मे ऐसे 54 केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता दी गई। आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों में जिन 150 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी गई थी, प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से 54 ने काम करना शुरू कर दिया है और 2000 से अधिक प्रशिक्षणार्थी उन केन्द्रों में प्रशिक्षण पा चुके हैं और प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से कुछ ने उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है।

खुम्बी प्रसंस्करण, हॉप्स समेत फल व सब्जी प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन और औद्योगिक सम्पदा को स्थापित करने के लिए सहायता संबंधी स्कीम के तहत आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों में आंध्र, प्रदेश, महाराष्ट्र, उ० प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई कई परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान खुम्बी के लिए बुनियादी सुविधाओं और प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना हेतु नागालैंड में एक सहकारी समिति को सहायता प्रदान की गई है। स्कीम के तहत रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र में ताजे और प्रसंस्कृत फलों और सब्जी के लिए फसलोत्तर उपचार सुविधाओं की स्थापना हेतु एक निजी क्षेत्र की यूनिट को भी सहायता दी गई है। इस अवधि के दौरान खुम्बी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना और स्पॉन खुम्बियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास और विपणन के लिए उत्तर प्रदेश में एक गैर सरकारी संगठन को भी सहायता प्रदान की गई है। बंगलौर में एक शीत भंडार की स्थापना हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के निगम को सहायता दी गई है। जिनमें से एक महाराष्ट्र में व एक उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में पूर्व प्रशीतन सुविधाओं और शीत भंडार की स्थापना हेतु तीन सहकारी समितियों को भी सहायता दी गई है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में फल एवं सब्जी के लिए शीत भंडार स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र के उपक्रम को भी सहायता दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक अस्टेट पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में शुरू होने वाली एक "महामैंगो" परियोजना के लिए भी सहायता दी गई है।

of such approvals since July, 1991 now stands at 289. The total investment approved in this sector so far is Rs. 3608 crores including foreign investment of Rs. 583 crores. Thirty 100% EOUs have already commenced commercial production.

Plan assistance provided to the Fruits & Vegetable Processing Sector.

In order to remove some of the major constraints affecting the fruit and vegetable processing industries and to provide the necessary impetus to its growth, Ministry of Food Processing Industries have several plan scheme in the fruits and vegetable processing sector. These include schemes for training of entrepreneurs, creation of infrastructural facilities for fruits and vegetables processing including mushroom processing, Hops and industrial estates, setting up/expansion/upgradation of F&VP units and development of backward linkages through contract farming, market promotion through advertisement, promotion of FPO symbol and marketing of small manufacturers' products under common brand name, setting up of Quality Control Labs and Research & Development in identifying new techniques and practices including those for packaging.

Under the scheme for setting up of Food Processing and Training Centres in rural areas, assistance is provided upto Rs. 2.00 lakhs for plant, machinery and equipments including quality testing equipments etc. and Rs. 1.00 lakh towards seed capital /revolving fund for commercial production. In the case of Food Processing & Training Centre to be set up for multi product activities, this quantum of assistance to meet the cost of plant & machinery and equipments including quality testing equipments etc. could be enhanced to Rs. 7.50 lakhs and the for seed capital/revolving fund for commercial production to Rs. 2.00 lakhs. Assistance under this scheme is available to State/ Central Govt. Depts., Joint Sector undertakings/assisted sector undertakings cooperatives, non-governmental organisations, voluntary organisations, Govt. organisations etc. These Centres are proposed to be funded to identify the entrepreneurs who may set up Food Processing units in rural areas thereby providing self-employment and reduction in exodus of rural population to urban areas. It would also lead to transfer of technology to rural areas, as also familiarisation with modern processing techniques. These Food Processing & Training Centres will provide 'hands on' experience in operating and managing a small unit. The trainees will participate in each activity from book-keeping, manufacturing, quality testing to marketing of products so as to get an exposure of real situations which would instil confidence in them to set up and run commercial ventures. This type of education is also to generate a spirit of co-operation and encourage food processing co-operatives in rural areas.

In the first 3 years of the 8th Plan, assistance was provided for setting up of 150 such Centres covering almost all the States. During 1995-96 assistance has been provided for setting up of 54 such Centre in the States of Assam, Bihar, Delhi, Karnataka, Kerala, Orissa, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Out of the 150 FPTCs assisted in first 3 years of the 8th plan as many as 54 Centres are reported to have already become functional and more than 2000 trainees have already been trained in those Centres and some of them are reported to have already engaged in .production.

Under the scheme for providing assistance for creation of infrastructural facilities for fruits and vegetables processing including mushroom processing, hops and setting up of industrial estates in the first 3 yrs of the 8th plan, assistance has been provided for a number of projects received from Andhra Pradesh, Maharashtra, UP, Punjab, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, Nagaland and West Bengal. During the year 1995-96, assistance has been provided to one Cooperative in Nagaland for setting up of Mushroom infrastructure and processing unit. Under the scheme, assistance has also been provided to a private sector unit for setting up of post-harvest treatment facilities for fresh and processed fruits and vegetables in Maharashtra during the period under report. During this period assistance has also been provided to a non-governmental organisation for setting up of mushroom processing facilities as also development of infrastructure for Spawn mushrooms and marketing in UP. Assistance has been provided during this period for setting up of infrastructure for mushroom cultivation and processing—one each in Maharashtra and Orissa. Likewise, assistance under this period has also been released to three Co-operatives for setting up of pre-cooling facilities and cold storage in Maharashtra. During

फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन और किसानों व प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने हेतु स्कीम के तहत राज्यों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व पूर्वोत्तर राज्यों से), सहकारी समितियां, स्वैच्छिक संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सहायता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की लघु व छोटी यूनिटों की स्थापना हेतु सहायता देने के लिए आठवीं योजना के शेष दो वर्षों अर्थात 1995-96 व 1996-97 के दौरान लागू करने के लिए उप-स्कीम बनाई गई है। अब तक आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचाल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल आदि से प्राप्त अनेक परियोजनाओं को सहायता दी गई है। इन राज्यों के लिए जिन फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता दी गई थी, प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से 5 पूरी हो चुकी हैं और शेष फल व सब्जी प्रसंस्करण परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अगले वर्ष के अंत तक इन परियोजनाओं को पूरा कर लेने की आशा है।

बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने और ठेके पर खेत को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक 10 प्रसंस्करण कम्पनियों को सहायता दी गई है जिनमें से दो-दो पंजाब, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में और एक-एक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व असम में स्थित हैं। ये फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटें ठेके पर खेती कर रही हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार 3500 से अधिक किसानों को ठेका खेती के कार्य क्षेत्र के अधीन लाया जा चुका है।

प्रसंस्करण उद्योग द्वारा ठेके पर खेत को अपनाने से प्रसंस्करण उद्योग को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फल व सब्जी प्रसंस्करण में बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने हेतु उपस्कीम के तहत सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के तहत कम से कम 25 किसानों के साथ ठेका करने पर खरीद मूल्य के 5% तक जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 लाख रु० प्रति यूनिट है, सहायता दी जाती है।

अनुसंधान और विकास स्कीमें

मंत्रालय फल व सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

1. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, बंगलौर की विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए।
2. एपीडा, नई दिल्ली को आम और अन्य फलों के निर्यात हेतु वैपर हीट ट्रीटमैंट फैसिलिटी के लिए और
3. मैसर्स फ्रैश मार्किटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, हैदराबाद को खाद्य और कृषि संगठन से प्राप्त सोलर रैफ्रिजेरेशन यूनिट की स्थापना के लिए।

मंत्रालय बायोटैक्नालॉजी विभाग के सहायोग से सी०एफ०टी०आर०आई०, मैसूर में 373.65 लाख रु० की अनुमानित लागत से एक बायोटैक्नालॉजी रिसर्च फॉर नैशनल फैसिलिटी फॉर फूड सेफ्टी की स्थापना कर रहा है। इस परियोजना के लिए वर्ष 1994-95 व 1995-96 में 100.00 लाख रु० तक की सहायता पहले ही दी जा चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में फसलोत्तर टैक्नॉलॉजी संस्थान की स्थापना के लिए भी सहायता दी गई है।

★ **IGP Length: 16.66 CM E**

the period under report assistance has also been provided to a private sector undertaking for setting up of a cold storage for Fruits & vegetable at Varanasi in Uttar Pradesh. Assistance has also been released for a "Mahamango" Project coming up in Maharashtra and Food Processing Industrial Estate in West Bengal.

Under the scheme for setting up/expansion/upgradation of fruits and vegetable processing units and backward linkage between the processors and the farmers etc., assistance is provided to State Public Sector Undertakings (from J&K, H.P., Sikkim, and North-Eastern States), Cooperative Societies, Voluntary Organisations/Autonomous Societies, Assisted/Joint Sector Undertakings, Non-Governmental Organisations and Private Sector Undertakings etc. Under this scheme, another sub-scheme has been formulated for being operated during the remaining 2 yrs. of the 8th Plan i.e. 1995-96 and 1996-97 for providing assistance for setting up of small and tiny units of food processing industries in the informal sector. So far, assistance has been released to a number of projects received from Andhra Pradesh, Assam, U.P., Nagaland, Mizoram, Tamilnadu, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Bihar, Orissa, West Bengal, Karnataka and Kerala etc. 5 of the F&VP units assisted for these states are reported to have already been commissioned and the remaining F&VP projects are at various stages of implementation. These projects are expected to be completed by the end of the next year.

For strengthening of backward linkages and encouraging contract farming, so far, as many as 10 processing companies have been provided assistance—2 each in Punjab, Karnataka and Andhra Pradesh and 1 each in U.P., Maharashtra, Tamilnadu and Assam. These F&VP units have adopted contract farming. It is reported that more than 3500 farmers have been brought under the umbrella of the contract farming.

Assistance under the sub-scheme for strengthening of backward linkages in F&VP is provided to ensure regular supply of raw materials to the processing industries by adopting contract farming by the processing industries. Under this scheme, assistance is provided for contract with at least 25 farmers upto 5% of the purchase price subject to a ceiling of Rs. 10.00 lakhs per unit.

RESEARCH AND DEVELOPMENT SCHEMES

Ministry also provides assistance for research and development projects in fruits and vegetable processing sector. So far, assitance has been provided for the following R&D projects:

1. Centre for Technology Development, Bangalore for Setting up of an Analytical and Quality Control Lab;

2. APEDA, New Delhi for Vapour Heat Treatment Facilities for mangoes and other fruits for exports; and

3. M/s. Fresh Marketing Cooperative Society Ltd., Hyderabad, for installation of a Solar Refrigeration Unit received from FAO.

Ministry in collaboration with Deptt. of Biotechnology is setting up Biotechnology Research Centre for National Facility for Food Safety at CFTRI, Mysore at an estimated cost of Rs. 373.65 lacs. For this project, assistance to the tune of Rs. 100.00 lakhs has already been provided in 1994-95 & 1995-96. Also, assistance has been provided for setting up of Post-Harvest technology Institute in Pune District in Maharashtra.

अध्याय 6

दूध और दूध उत्पाद

विश्व भर में सबसे अधिक तादाद में पशु भारत में पाये जाते हैं। विश्व की 50% भैंसे और 20% गाय तथा बैल भारत में पाये जाते हैं। हमारे देश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पशु दुधारू गाएं और भैंसें हैं।

विश्व भारत में डेरी उद्योग को एक सफलतम विकास कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करता है। आज अमरीका के बाद भारत विश्व में दूध उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु अतिरिक्त दूध का उत्पादन करने वाले राज्य हैं। मुख्यतः इन्हीं राज्यों में दूध से बनने वाली वस्तुएं तैयार की जाती हैं। 1995-96 के दौरान 65 मिलियन टन वार्षिक दूध का उत्पादन होने का अनुमान है। वर्ष के दौरान दूध बाजार में सहकारिताओं, सरकारी और निजी डेरियों के बीच प्रतियोगिता की स्थिति रही जिसके कारण पिछले वर्षों की तुलना में 1995-96 के दौरान किसानों को दूध की अधिक कीमतें अदा की गई। पिछले वर्ष के उसी महीने की अपेक्षा अगस्त, 95 से आगे वर्ष के दौरान घी के खुदरा मूल्यों में कमी आई है।

उपर्युक्त उल्लिखित कारणों के बावजूद 1994 में 1,95,000 टन की तुलना में 1995 में शिशु आहार समेत दूध उत्पादन बढ़कर 2,00,000 टन हो गया और माल्टेड दूध का अनुमानित उत्पादन भी, जो कि 1994 में 43,500 टन था, 1995 में बढ़कर 48,000 टन हो गया। अनुमान है कि पनीर (चीज स्प्रेड समेत) और संघनित दूध का भी क्रमशः 4000 टन और 9200 टन उत्पादन हुआ।

दुग्ध शर्करा तथा छेनों तथा विभिन्न किस्म का पनीर तैयार करने के लिए दो संयंत्रों, जिनमें एक महाराष्ट्र में तथा एक उ० प्र० में होगा, का निर्माण किया जा रहा है। इन संयंत्रों ने परीक्षण-उत्पादन शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ने चीज़/पनीर आदि की विभिन्न किस्मों को तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। स्वदेशी डेरी उत्पादों के निर्माण, पैकेजिंग और परिरक्षण की मौजूदा प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान प्रयासों को और बढ़ाया गया है।

जुलाई, 91 से शुरू हुए उदारीकरण से लेकर आज तक 460 करोड़ रु० के निवेश वाले 11 संयुक्त उद्यमी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें 229 करोड़ रु० का विदेशी निवेश शामिल है।

दूध उत्पादों के निर्यात को विसरणीबद्ध करने के फलस्वरूप यह आशा है कि 1995-96 के दौरान देश 15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के दूध उत्पादों का निर्यात करने की स्थिति में होगा।

SCHEME
दूध योजना

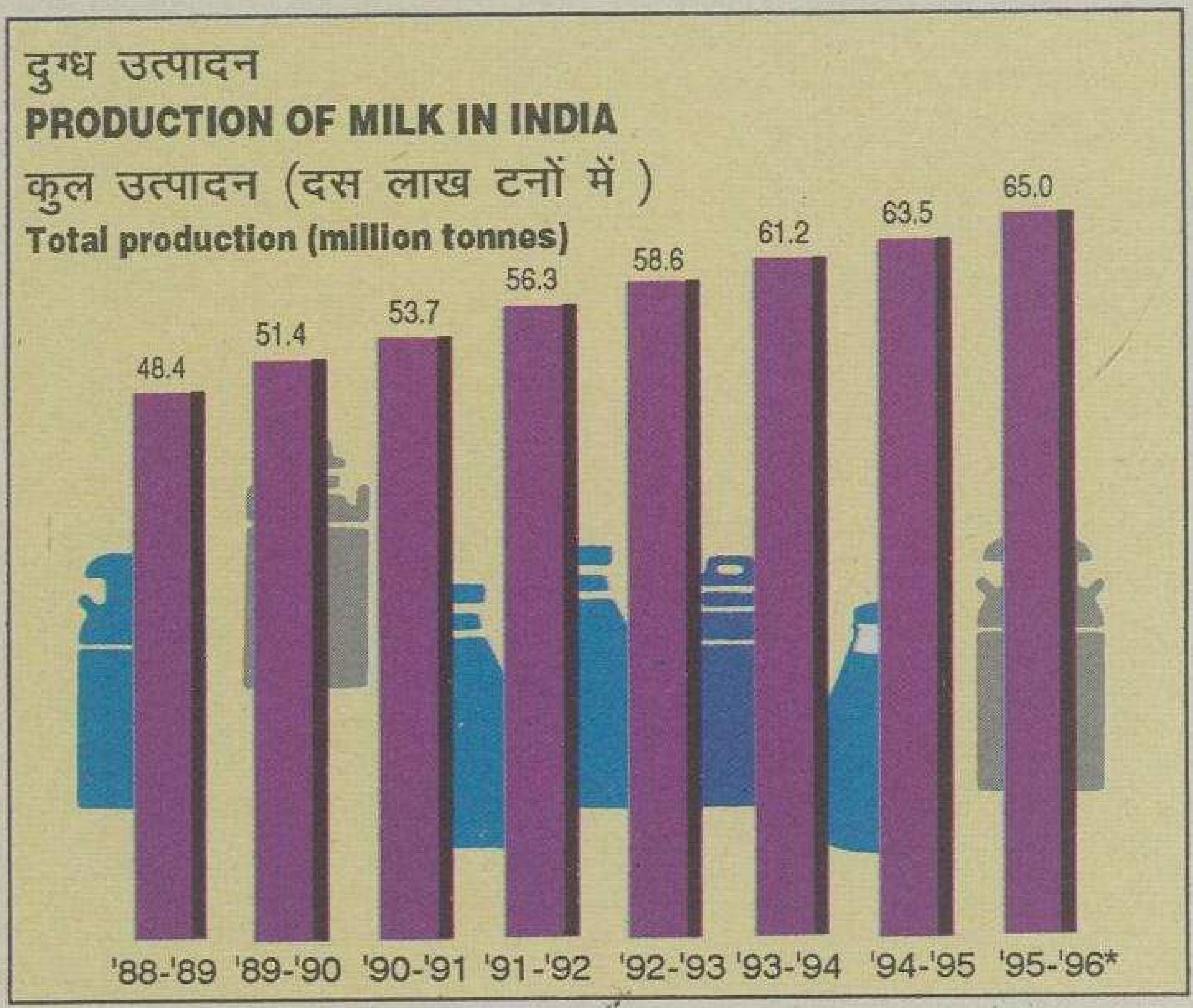

*Projected

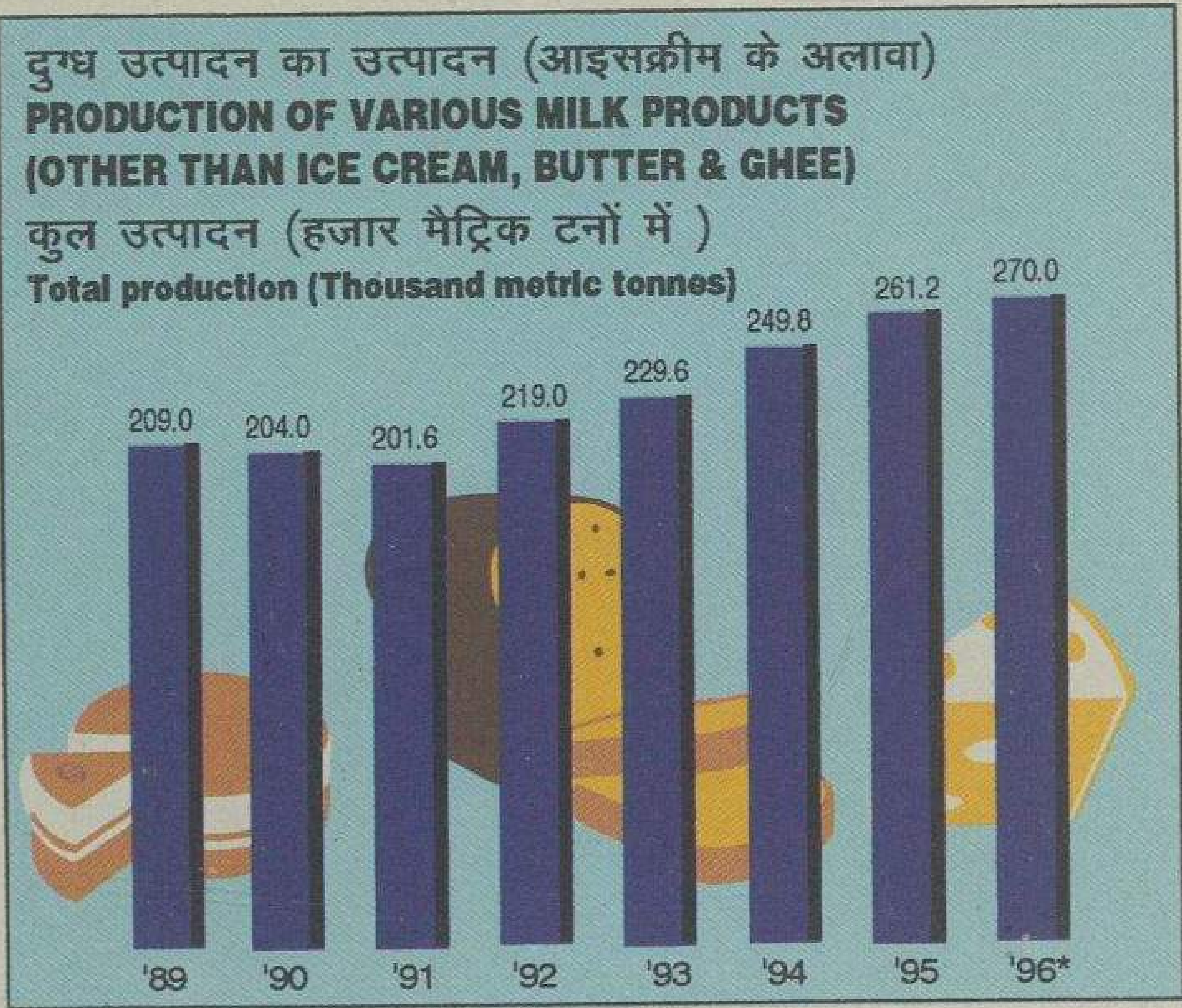

*Projected

CHAPTER VI

Milk & Milk Products

India has one of the largest livestock population in the world. Fifty percent of the buffaloes and 20% of the cattle of the world are found in India. The most important constituent of livestock in our country are milch cows and milch buffaloes.

Dairy Development in India has been acknowledged the world over as one of the most successful development programme. India is today the second largest milk producting country in the world after United States. The milk surplus states in India are Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. The manufacturing of milk products is concentrated in these milk surplus states. Annual milk production is expected to be 65 million tonnes during the year 1995-96. During the year, there has been competition among Cooperative, Government and private dairies in milk market and as a result farmers were paid higher prices for their milk during the year 1995-96 in comparison to the previous years. Retail price of ghee has shown downward trend during the year from the months of Aug. 95 onwards in comparison to corresponding months of last year.

Inspite of the aforesaid mentioned factors, the estimated production of milk powders including infant milk food has increased from 1,95,000 tonnes in the year 1994 to 2,00,000 tonnes in the year 1995, and the estimated production of malted food has increased from 43,500 tonnes in the year 1994 to 48,000 tonnes in the year 1995. The production of cheese (including cheese spread) and Condensed milk is estimated at 4000 tonnes and 9200 tonnes respectively.

Two plants i.e. one in Maharashtra and one in U.P. for manufacture of lactose and casein and various varieties of cheese are coming up. These plants have already started trial production.

NDRI, Karnal has developed technology for manufacture of varieties of cheese/paneer etc. Research efforts have been intensified to improve the existing technologies of manufacture, packaging and preservation of indigenous dairy products.

Since liberalisation in July 1991, 11 Joint Venture proposals envisaging an investment of Rs. 460 crores including foreign investment of Rs. 229 crores have been approved so far.

Due to decanalisation of export of milk products, it is expected that country will be in a position to export milk products of value more than US $ 15 million during the year 1995-96.

अध्याय-7

मांस एवं पाल्ट्री प्रसंस्करण

मांस उत्पादन

जिन जानवरों का सामान्यतः मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनमें भेड़ और बकरी, गाय-बैल, भैंस, सूअर तथा पाल्ट्री शामिल हैं। देश के कुछ भागों में, विशेषकर पूर्वोत्तर में जानवरों की अन्य प्रजातियों जैसे मिथुन का भी मांस पशु मांस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों में जैसे केरल में खरगोश का इस्तेमाल भी पशु मांस के रूप में किया जा रहा है। नीचे दी गई तालिका में तीन वर्षों के दौरान प्रजातियों द्वारा उत्पादित मांस और मांस उत्पाद दिया गया है।

(हजार टन में)

	1991	1992	1993
मटन और बकरी मांस	623	621	623
सूअर मांस	391	361	366
चिकन (पाल्ट्रीमीट)	362	362	382
कैटल (गौ-मांस)	857	1216	1215
भैंस-मांस	978	1182	1182

देश में कुल 3.9 मिलियन मी० टन मांस का उत्पादन किया जाता है। पशु-तादाद की तुलना में लगभग 6% गायों का, 10% भैंसों का, 99% सूअरों का, 31% भेड़ों का और 39% बकरियों का वध किया जाता है।

मांस प्रसंस्करणः

देश में 3600 बूचडखानों के अतिरिक्त 6 आधुनिक कसाईखानें हैं। संयुक्त उद्यम के तहत एक और एकीकृत भैंस-मांस, प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 25 मांस प्रसंस्करण एकक हैं जिनमें मुख्य रूप से मांस उत्पादों के निर्यात में सलंग्न पन्द्रह 100% निर्यातोन्मुखी एकक शामिल हैं। इसके अलावा, 128 मांस उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र केवल घरेलू खपत के लिए मूल्य वर्धित मांस उत्पाद तैयार कर रहे हैं। कुछ पशु पेजिंग एकक भेड़ और बकरी और गाय-बैल की आंतों को एकत्र करने, साफ करने श्रेणीकरण करने तथा निर्यात करने में संलग्न हैं।

सूअर मांस प्रसंस्करण

चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित 7 केकन फैक्टरियों के अतिरिक्त 5 सूअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र गुवाहाटी और नजीरा (असम) आइजॉल (मिजोरम), दीनापुर (नागालैंड) और रायपुर (म० प्र०) में स्थापित किए जा रहे हैं। एक सूअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र जो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, मांस परिषद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और सूअर मांस उत्पादों के अतिरिक्त मटन और चिकन उत्पाद तैयार कर रहा है। मांस प्रसंस्करण एकक जो संख्या में 128 हैं और मांस खाद्य उत्पाद आदेश के तहत लाइसेंसीकृत हैं, मुख्यतः सूअर मांस उत्पाद तैयार कर रहे हैं। मूल्य-वर्धित सूअर-मांस उत्पाद सासेज़, हैम, बेकन, लन्वन, मीट आदि हैं जो मुख्यतः महानगरों और बड़े नगरों में बेचे जाते हैं।

पाल्ट्री एवं अंडा प्रसंस्करण

देश में कई छोटे पाल्ट्री ड्रेसिंग संयंत्र हैं। खुदरा बिक्री के लिए ये संयंत्र ड्रेस्ड चिकन तैयार कर रहे हैं। इन संयंत्रों के अतिरिक्त छह आधुनिक एकीकृत पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र ड्रेस्ड चिकन, चिकन कट पार्टस और दूसरे चिकन उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इस मंत्रालय की सहायता से आन्ध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश व केरल में एक-एक आधुनिक एकीकृत पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। अंडा प्रसंस्करण विकास का एक नया क्षेत्र है और देश में कुछ निर्यातोन्मुखी अंडा प्रसंस्करण एकक स्थापित किए जा रहे हैं। दो अंडा प्रसंस्करण एककों ने आन्ध्र प्रदेश और केरल में काम करना शुरू कर दिया है और विदेशों को अंडा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। इन एककों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों में एग पाउडर, शर्करारहित अल्ब्यूमिन पाउडर, प्रशीतित अंडा जरदी आदि शामिल हैं।

आधुनिक माँस प्रसंस्करण संयंत्र में माँस की गुणवत्ता का निरीक्षण ।
Quality Testing of Meat in a Modern Meat Processing Plant.

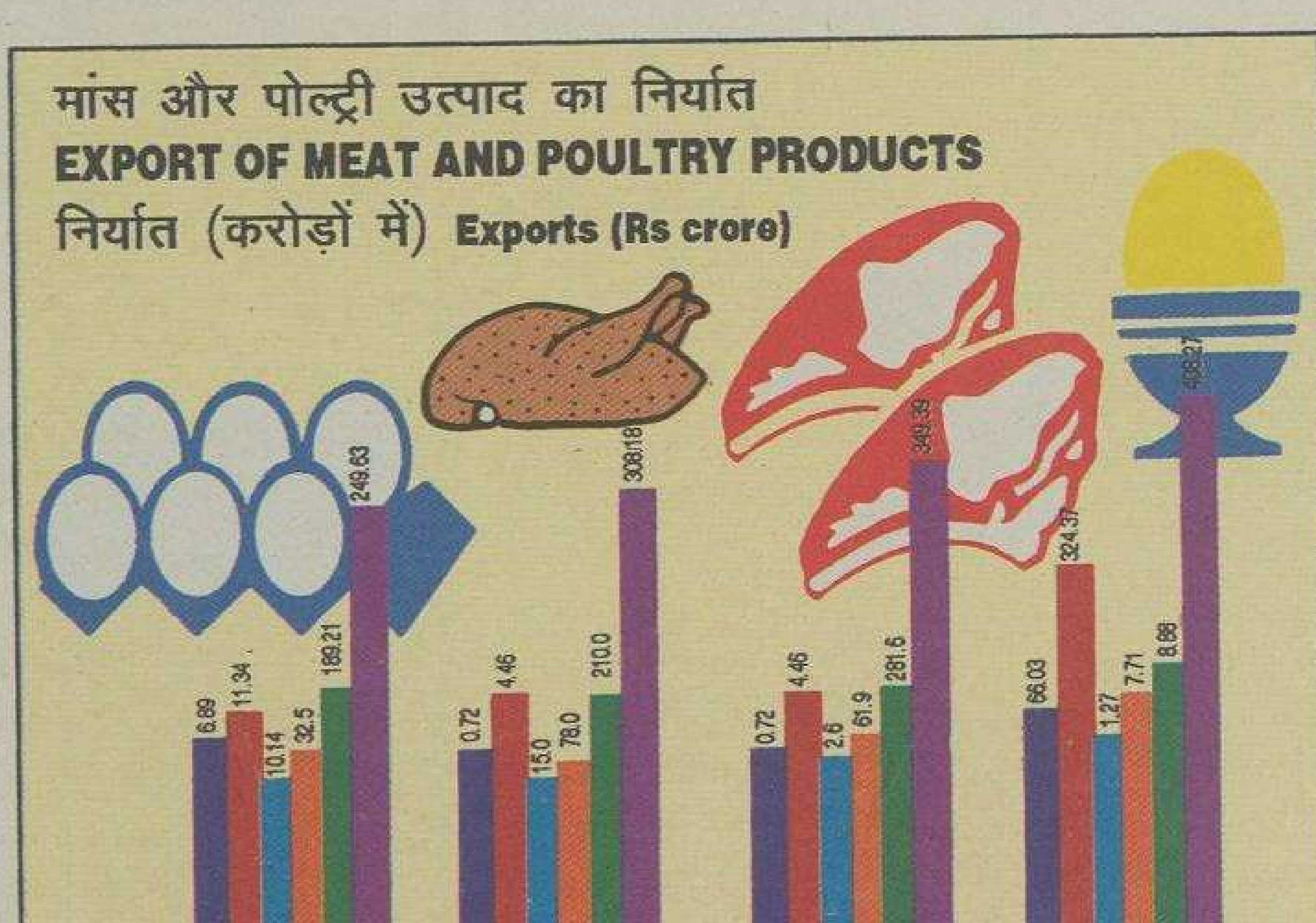

भेड़ व बकरी का मांस
Sheep & Goat Meat

जानवरों के खाल
Animal Casings

भैंस मांस
Buffalo Meat

पोल्ट्री उत्पाद
Poultry Products

प्रसंस्कृत मांस उत्पाद
Processed Meat Products

योग
Total

CHAPTER VII
MEAT AND POULTRY PROCESSING

Meat Production

Animals which are generally used for production and processing of meat are sheep and goat, cattle, buffaloes, pigs and poultry. In some parts of the country, particularly, in the North-East, other species of animals like methun are also used as meat animals. In recent years, rabbit is also emerging as one of the meat animals in some states like Kerala. The meat and meat products produced from species in three years is given in the following table.

(thousand tonnes)

	1991	1992	1993
Mutton & goat meat	623	621	623
Pork	361	361	366
Chicken (Poultry Meat)	362	362	382
Cattle (Beef) meat	857	1216	1215
Buffalo (Meat)	978	1182	1182

The total meat production in the country is about 3.9 million MTs. The slaughter rate in relation to the population is around 6% in case of cattle, 10% in case of buffaloes, 99% in case of pigs, 31% in case of sheep and 39% in case of goat.

Meat Processing

Besides 3600 Salughter Houses, there are 6 modern Abattoirs in the country. Another Integrated Buffalo Meat Processing Plant in the joint venture, is being established. In addition, there are about 25 meat procesing units including 15 100% Export Oriented Units which are mainly engaged in export of meat products. Apart from this, there are 128 meat products processing plants which are manufacturing value added meat products for domestic consumption only. There are few animal caging units engaged in collecting, cleaning, grading and exporting sheep, goat and cattle guts.

Pork Processing

In addition to the 7 Becon factories, set up in 4th five year plan, 5 Pork Processing Plants are being set up in Guwahati and Nazira (Assam), Aizwal (Mizoram), Dimapur (Nagaland) and Rajpur (M.P.). A pork processing plant which was set up in 4th five year plan has been converted into meat complex and is producing mutton and chicken products in addition to the pork products. The meat processing units which are 128 in numbers and licensed under Meat Food Products order are producing pork products as their main item of production. The value added pork products which are sold mostly in metropolitan and big cities are sausages, ham, bacon, luncheon meat etc.

Poultry and Egg Processing

There are number of small poultry dressing plants in the country. These plants are producing dressed chicken for retail sale. In addition to these plants, there are six modern integrated poultry processing plants producing dressed chicken, chicken cut parts and other chicken products. Modern Integrated Poultry Processing Plant are under establishment-one each in Andhra Pradesh, Assam, Madhya Pradesh, Mizoram, Uttar Pradesh and Kerala with the assistance of this Ministry. The egg processing is a new area of development and a few export oriented egg processing units are being set up in the country. Two Egg Processing Units have started functioning in Andhra Pradesh and Kerala and is exporting egg products to foreign countries. The products manufactured by these units are egg powder, desugared albumin powder, frozen egg yolk etc.

निर्यातः

भारत मांस और मांस उत्पाद निर्यात कर रहा है। कुल निर्यात में से 70% निर्यात भैंस मास का किया जाता है क्योंकि इसकी देश में बहुतायत है। इसके मांस की मध्यपूर्व और दूरवर्ती पूर्वी देशों में काफी मांग है। भेड़ और बकरी मांस की स्थानीय मांग को देखते हुए, ऐसे मांस का सीमित निर्यात किया जाता है। पाल्ट्री उत्पादों का निर्यात यद्यपि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। कुल मिलाकर मांस और मांस उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। पिछले चार वर्षों में मांस और मांस उत्पादों का निर्यात दिखाया गया है:—

(मात्राः हजार टन/मूल्यः मिलियन रु० में)

मद	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भैंस-मांस	815.00	1850.00	825.00	2076.00	1120.0	2815.0	1161	3244
भेड़ और बकरी मांस	76.20	342.9	73.82	402.1	128.1	619.3	108.0	660
अन्य मांस	—	67.0	—	19.0	—	19.0	—	14.0
	891.20	2259.9	898.82	2498.1	1248.1	3454.3	1269.0	3918.0

योजना स्कीम के तहत सहायताः

1992-93 से 1995-96 में मंत्रालय ने स्वास्थ्यकारक मांस और मांस उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए विभिन्न मांस विकास योजनाओं को सहायता प्रदान की। पाल्ट्री, सूअर-मांस, भेड़ और बकरी तथा भैंस-मास प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश स्थित राज्य सरकार के उपक्रमों को सहायता दी गई। मंत्रालय ने मांस उद्योग मजदूरों तथा व्यवसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भी प्रायोजित किया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक लगभग 1000 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए गए हैं। मांस और पाल्ट्री उत्पादों की बिक्री हेतु स्वास्थ्यकर खुदरा दुकानों के विकास के लिए भी मंत्रालय सहायता दे रहा है। मांस और पाल्ट्री उत्पादों के भंडारण के लिए सहायता दी जाती है। यह सहायता 1994-95 व 1995-96 में असम, मध्य प्रदेश, केरल स्थित राज्य सरकार के उपक्रमों को दी गई है।

EXPORTS

India is exporting meat and meat products. Out of the total exports, 70% export is from buffalo meat as this is the surplus meat in the country which has high demand in Middle East and Far East Countries. Considering the local demand of sheep and goat meat, export of such meat is limited. The export of poultry products though not very significant, but is showing an emerging trend. In total the export of meat and meat products is increasing steadily. The export of meat and meat products in the last four year is indicated below:—

Qty: Thousand Tonnes
Value: Million Rupees

ITEM	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
Buffalo Meat	815.00	1850.00	825.00	2076.00	1120.0	2815.0	1161.0	3244
Sheep & Goat Meat	76.20	342.9	73.82	402.1	128.1	619.3	108.0	660
Other Meat	—	67.0	—	19.0	—	19.0	—	14.0
Total:	891.20	2259.9	898.82	2498.1	1248.1	3454.3	1269.0	3918.0

Assistance under Plan Schemes

The Ministry provided the assistance to various development meat programmes for processing of hygienic meat and meat products in 1992-93 to 1995-96. The assistance was given to the State Undertakings of Assam, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh for establishment of poultry, pork, sheep and goat and buffalo meat processing plants. The Ministry has also sponosred training courses for the workers and professionals of the meat industry. About 1000 candidates have been trained in 8th Five Year Plan so far. The Ministry is also providing assistance for developing the hygienic retail outlets for sale of meat and poultry products. The assistance is given for storing the meat and poultry products. Such assistance has been given to the State Undertakings of Assam, Madhya Pradesh, Kerala in 1994-95 and 1995-96.

(47)

अध्याय — 8

गहन समुद्री मत्स्यन

मार्च, 1991 में घोषित की गई नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति वर्ष 1992-93 के दौरान पूरी तरह लागू कर दी गई। संयुक्त उद्यम, टैस्ट फिशिंग और लीजिंग के तहत अनेक जलयानों को अनुमति दी गई और कुछ जलयानों ने 1993 के बाद काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल 61 गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के लिए 16 कंपनियों को अनुमति दी गई है और इनमें से 18 जलयान संयुक्त उद्यम के तहत चल रहे हैं। लीजिंग के तहत 57 जलयानों के लिए 11 कंपनियों को अनुमति दी गई है और उनमें से 10 जलयान काम कर रहे हैं। नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति के तहत 1995-96 के दौरान किसी नये आवेदन पर विचार नहीं किया गया। पारम्परिक मछुआरों के समूह द्वारा की गई मांग को देखते हुए गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी॰ मुरारी थे और समिति के सदस्यों की संख्या 41 थी जिसमें 16 संसद सदस्य भी शामिल थे। समिति ने पारम्परिक मछुआरों की मांगों को मद्देनज़र रखते हुए गहन समुद्री मत्स्यन नीति पर विचार किया और 8 फरवरी, 1996 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है। समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि यह उसकी सिफारिशों पर 6 महीने के भीतर कार्यवाही करे।

गहन समुद्री मत्स्यन विकास संबंधी स्कीमें

गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र के एकीकृत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित निम्नलिखित स्कमें लागू कीः

(1) संचार सुविधाओं की स्थापना के लिए तटरक्षक बल को धनराशि देकर भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 को कारगर ढंग से लागू करने संबंधी स्कीम

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के तहत विदेशी जलयानों द्वारा मछली के शिकार पर नजर रखने के लिए तटरक्षक बल को प्राधिकृत किया गया है। इसलिए इस बात की जरूरत महसूस की गई कि उन्हें मत्स्यन जलयानों के साथ जलयान से तट तक और तट से जलयान तक सीधे रेडियों संचार संपर्क स्थापित करने के वास्ते धनराशि देकर उनकी संचार सुविधाओं को मजबूत किया जाए। इससे तटरक्षक बल को समुद्र में मछली का शिकार करने वाले भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी। वर्ष 1995-96 के दौरान इस स्कीम के लिए 40 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(2) गहन समुद्री मत्स्यन जलयान प्राप्त करने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने संबंधी स्कीमः

एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लि॰ द्वारा ब्याज की रियायती दर पर जलयानों की खरीद के लिए गहन समुद्री मत्स्यन कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराने के बारे में यह महसूस किया गया कि एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लि॰ को ब्याज के अंतर की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाए। वर्ष 1995-96 के दौरान इस स्कीम के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(3) गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण उद्यमों में (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मार्फत) इक्विटी सहभागिता संबंधी स्कीमः

गहन समुद्री मत्स्यन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूंजी बहुत अधिक लगती है। ''मपेडा'' के पास इस क्षेत्र में कंपनियों की इक्विटी में भागीदारी करने की एक स्कीम पहले से ही है ताकि उद्यमियों के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके और उनके द्वारा किए जा रहे कुशल प्रबंध में ''मपेडा'' की सकारात्मक भागीदारी उपलब्ध कराई जा सके। इस स्कीम के तहत धनराशि ''मपेडा'' को दी जाएगी और वह इससे गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण उद्यमों की इक्विटी में भाग लेगा। वर्ष 1995-96 के दौरान इस स्कीम के लिए 100 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(4) विविधीकृत मत्स्यन के लिए सहायता

यह महसूस किया गया है कि श्रिंप संसाधनों का अधिकतम दोहन किया जा चुका है इसलिए जरूरत इस बात की है कि कुछ मौजूदा श्रिंप ट्रालरों में सुधार किया जाए ताकि उनसे विविधीकृत मत्स्यन किया जा सके। इस स्कीम के तहत धनराशि ''मपेडा'' को दी जाएगी और वह इसे जलयानों / ट्रालरों में किए जाने वाले सुधार की लागत पर सब्सिडी के रूप में सहायता के तौर पर देगा। वर्ष 1995-96 के दौरान इस स्कीम के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

TUNA

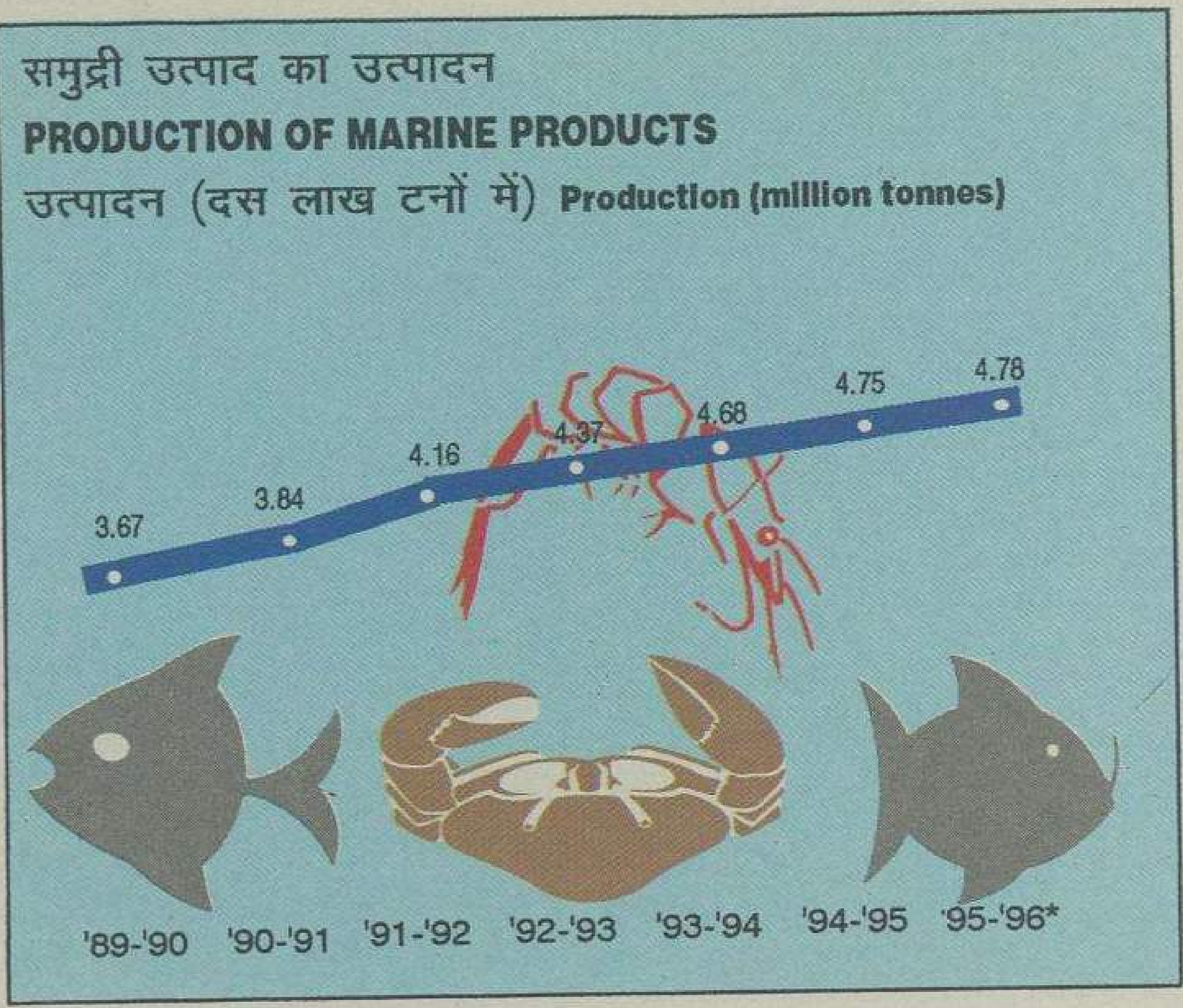

*Projected

मछुआरों के लाभ के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा कोचीन में संचालित कार्यशाला।
Workshop conducted at Cochin by FSI for the benefit of fishermen.

अंडमान में पहली बार स्थित गहन समुद्री स्पीयर लॉबस्टर ''लिम्पैरस सोमन्यूसस''।
Deepsea spear lobster 'Linuparus Somniosis' located for the first time in Andamans.

CHAPTER VIII

DEEP SEA FISHING

The New Deep Sea Fishing Policy announced in March, 1991 became fully effective during the year 1992-93. A number of vessels under Joint Venture, Test Fishing and Leasing were permitted and some vessels started operating from 1993 onwards. At present, permissions to 16 companies are valid for 61 deep sea fishing vessels, out of which 18 vessels are in operation under Joint Venture. Under leasing, the permissions for 11 companies are valid, involving 57 vessels, out of which 10 vessels are in operation. No new applications were considered during 1995-96 under the New Deep Sea Fishing Policy. In the wake of demands from traditional fishermen groups, a committee was constituted to review the deep sea fishing policy. The committee was headed by Sh. P. Murari, former Secretary to the Govt. of India and consisted of 41 members, including 16 Members of Parliament. The committee deliberated upon the New Deep Sea Fishing Policy vis-a-vis demands of traditional fishermen and it has submitted its report to the Govt. on 8th Feb., 1996. It has requested the Govt. to take action on its recommendations within six months.

SCHEMES FOR DEVELOPMENT OF DEEP SEA FISHING

With a view to achieving an integrated development of the Deep Sea Fishing Sector, the Ministry implemented the following Schemes relating to infrastructure development:—

(i) SCHEME FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF MZI ACI, 1981 BY PROVIDING FUNDS TO COAST GUARD FOR INSTALLATION OF COMMUNICATION FACILITIES:

Since Coast Guard are authorised to monitor fishing by foreign vessels under the MZI Act, 1981, a need was felt to strengthen their communication facilities by providing funds for them to set up ship to shore and vice-versa direct voice (radio) communication link with fishing vessels. Apart from this, the link will also help the Coast Guard in ensuring safety of the Indian owned vessels fishing at sea and in rendering any assistance required. During 1995-96, an amount of Rs. 40 lakhs has been disbursed under this Scheme.

(ii) SCHEME FOR PROVIDING INTEREST SUBSIDY ON LOANS FOR ACQUISITION OF DEEP SEA FISHING VESSELS:

In order to provide loans to deep sea fishing companies for acquisition of vessels at concessional rate of interest by SCICI Limited, it was felt that an interest differential subsidy be provided to SCICI Ltd. During the year 1995-96, an amount of Rs. 50 lakhs has been earmarked for this Scheme.

(iii) SCHEME FOR EQUITY PARTICIPATION IN DEEP SEA FISHING AND PROCESSING VENTURES (THROUGH M.P.E.D.A):

Deep Sea Fishing is a highly capital intensive field. The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) have already got a scheme to participate in the equity of Companies in this field in order to reduce the financial burden on the entrepreneurs and also to provide positive participation of M.P.E.D.A. in their efficient management. The funds under this Scheme will be released to M.P.E.D.A., who will, in turn, participate in the equity of deep sea fishing and processing ventures. During 1995-96 an amount of Rs. 100 lakhs has been earmarked for this Scheme.

(iv) ASSISTANCE FOR DIVERSIFIED FISHING:

It is felt that exploitation of shrimp resources has reached a saturation point and there is a need for some of the existing shrimp trawlers to be modified to do diversified fishing. Funds under this Scheme would be released to M.P.E.D.A. who will, in turn, provide assistance as subsidy on the cost of modification of the vessels/trawlers. During 1995-96 an amount of Rs. 50 lakhs has been earmarked for this Scheme.

(5) **राष्ट्रीय समुद्री मात्सिकी विकास बोर्ड:**

देश में गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र को समग्र विकास को समन्वित ढंग से बढ़ावा देने की जरूरत पर विचार करते हुए एक राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड का गठन करना जरूरी समझा गया। इस बोर्ड को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1995-96 के दौरान इसके लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। बोर्ड की स्थापना से संबंधित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

(6) **मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने संबंधी स्कीम:**

यह स्कीम तत्कालीन कोल्ड चेन स्कीम और टूना तथा अन्य मछली प्रसंस्करण स्कीम को मिलाकर 1995 से लागू करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ऐसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देने की लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है जिसकी जरूरत मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए पड़ती है। इनमें बर्फ के कारखाने, कोल्ड स्टोरेज़, आई क्यु एफ संयंत्र, ब्लास्ट फ्रिजर, ब्लॉक फ्रिजर आदि जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं और रेफ्रिजरेटिड शामिल हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान इस स्कीम के तहत वितरण के लिए 360 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। स्कीम के तहत प्रस्तावों पर विचार किया गया और 446 लाख रु० की राशि वितरित की गई है।

(7) **मछली प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाने संबंधी स्कीम**

इस स्कीम को वर्ष 1995-96 से लागू करने के लिए बनाया गया था। स्कीम का उद्देश्य मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

स्कीम के तहत मछली पालन और मछली प्रसंस्करण क्षेत्र में मुख्यतः व्यवहारिक अनुसंधान कार्य करने वाली वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं को सहायता दी जाएगी। वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम के तहत 7.50 लाख रु० की राशि वितरित की गई है।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण बम्बई

भारत सरकार (खा०प्र०उ०मं०) की नोडल एजेंसी भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत अपने समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों की खोज संबंधी सर्वेक्षण कार्यों को जारी रखा और सर्वेक्षण लक्ष्यों को पूरा किया। उसमें वर्ष के दौरान बंबई स्थित अपने मुख्यालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत विभिन्न तटवर्ती राज्यों में स्थित अपने साथ प्रचालन और बेसों से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप के आस-पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए 9 जलयान चलाए हैं। स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करने के अलावा इन जलयानों ने परीक्षण आधार पर परियोजनाओं तथा रिमोट सैंसिंग कार्यक्रम के लिए सी टूथ डाटा इकट्ठा करने का काम भी किया है। एम०एस०सी० और पी०एच०डी० की डिग्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा भी अलग-अलग अनुसंधान परियोजनाएं शुरु की गई। वैज्ञानिकों और अनुसंधान फैलो ने सर्वेक्षण के लिए समुद्र में लगाई गई गश्तों में भाग लिया और मात्स्यिकी संसाधन संबंधी आंकड़ें इकट्ठे करने के अलावा जैविक और पर्यावरण संबंधी आंकड़ें इकट्ठे किए।

2. किए गए संसाधन सर्वेक्षण

वर्ष 1995-96 के लिए निम्नलिखित चार प्रमुख परियोजनाओं के तहत संसाधन सर्वेक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई गई:

2.1 डीमर्सल संसाधन सर्वेक्षण परियोजना: इसमें डीमर्सल संसाधन सर्वेक्षण और तट के साथ 500 मी० की गहराई तक संसाधनों की निगरानी, दक्षिणी-पश्चिमी तट पर सैफालॉप्ड संसाधन सर्वेक्षण और ऊपरी पूर्वी तट पर श्रिंप संसाधन सर्वेक्षण शामिल हैं।

2.2 प्लेजिक संसाधन सर्वेक्षण परियोजनाएं: इन परियोजनाओं में दक्षिणी-पश्चिमी तट पर सीनिंग द्वारा तटवर्ती टूना संसाधनों का सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश के तट पर मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा प्लैज़िक और मिड वाटर संसाधन सर्वेक्षण शामिल हैं।

(v) NATIONAL MARINE FISHERIES DEVELOPMENT BOARD:

Considering the need to promote the overall development of the deep sea fishing sector in the country in a coordinated manner, it was felt necessary to form a National Marine Fisheries Development Board. This Board is proposed to be set up as a registered society. An amount of Rs. 50 lakhs has been earmarked for this purpose during 1995-96. The procedural formalities for setting up of this Board are in progress.

(vi) SCHEME FOR SETTING UP OF INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR PRESERVATION AND PROCESSING OF FISH:

This Scheme was formulated for implementation from the year 1994-95 onwards by merging the erstwhile Schemes of Cold Chain and Scheme for Tuna and Other Fish Processing. The basic objective of the Scheme is to provide financial assistance to encourage setting up of basic infrastructure facilities which are required for preservation and processing of fish which may include ice plants, cold storages, processing facilities like IQF plants, blast freezers, block freezers etc., and refrigerated transportation facilities. An amount of Rs. 360 lakhs has been earmarked for disbursement under this Scheme during 1995-96. Proposals received under this Scheme were considered and an amount of Rs. 446 lakhs has been disbursed.

(vii) SCHEME FOR PROMOTING RESEARCH & DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT IN FISH PROCESSING SECTOR:

The Scheme was formulated for implementation from the year 1995-96 onwards. The objective of the Scheme is to promote research and development and quality improvement in fish processing technology.

Assistance under the Scheme will be available to Scientific and Research Institutions primarily engaged in conducting applied research in fisheries and fish processing sector. During the financial year, an amount of Rs. 50 lakhs has been earmarked for he scheme.

FISHERY SURVEY OF INDIA

BOMBAY

The Fishery Survey of India (FSI), the Nodal agency under the Govt. of India, (MFPI) continued its marine fisheries resources exploratory survey activities under various projects during the year 1995-96 accomplishing the survey objectives. The FSI with its headquarters at Bombay and seven operational bases in different maritime states including Andaman and Nicobar Islands operated nine vessels from these bases during the year surveying the areas along East and West coasts of India and around Andaman & Nicobar Islands. Apart from collection of data for stock assessment studies, the vessels were also engaged in experimental projects and collection of sea truth data for remote sensing programme. Individual research projects were also taken up by the scientists registered for postgraduate studies leading to M.Sc. and Ph.D. degree. The Scientists and Research Fellows participate in the survey cruises and collect data on biological and environment parameters in addition to fishery resources data.

Resources Survey undertaken

The resources survey programme for the year 1995-96 was planned under four major projects as follows:

2.1 Demersal resources survey projects; This included demersal resources survey and monitoring of the resources all along the coast upto 500m depth, cephalopod resources survey along south West coast and shrimp resources survey along upper East coast.

2.2 Pelagic resources survey projects: These projects envisaged survey of coastal tuna resources by purse-seining off South West coast, pelagic and midwater resources survey by mid water trawling along Andhra Pradesh coast.

2.3 Oceanic Tuna/Shark resources survey projects; These projects were planned for Tuna

2.3 ओशिएनिक टूना/शार्क संसाधन सर्वेक्षण परियोजनाएं: इन परियोजनाओं को उत्तर-पश्चिम तट, उत्तर-पूर्वी तट पर टूना लाँग लाइन सर्वेक्षण, अंडमान और निकोबार जल में टूना हेतु सलेक्टिव फिशिंग तथा निचले पूर्वी तट पर शार्क लाँग लाइन सर्वेक्षण के लिए बनाया गया था।

2.4 परीक्षण परियोजनाएं: मछली पकड़ने के विशिष्ट हुए तरीकों जैसे पश्चिमी तट और लक्षद्वीप के समुद्र में रॉक कोड के लिए ट्रैप फिशिंग, निचले पूर्वी तट पर पर्च संसाधनों के लिए बोटम सेट लाँग लाइनिंग के लिए भी कुछ परियोजनाएं बनाई गई।

3. सूचना का प्रसार

संस्थान अपने विभिन्न प्रकाशनों जैसे बुलेटिन, रिपोर्ट, चार्ट, विशेष प्रकाशनों, वैज्ञानिक पेपरों आदि के द्वारा उद्योग और अंतिम उपभोक्ताओं तक संसाधनों सर्वेक्षण के निष्कर्षों को कारगर ढ़ंग से प्रसारित करने में सफल रहा। इसके अलावा, विभिन्न तटवर्ती राज्यों में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्यशालाओं/सेमिनारों का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि पारंपरिक मछुआरों, मशीनीकृत बोट चलाने वालों आदि के बीच सूचना का प्रसार होता रहे। भारतीय मात्स्यिकी संस्थान के प्रकाशनों को मछुआरों और मशीनीकृत बोट चलाने वालों के लाभ के लिए प्राथमिकता आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुदित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए।

बुलेटिन नम्बर 25 गुजरात अपतट समुद्री मात्स्यिकी संसाधन। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चार्टड फिशिंग जलयानों का प्रचालन, संख्या 4 आकेज़नल पेपर-2 अंक।

मीना न्यूज खंड-II संख्या 2 और 3

मीना न्यूज खंड-II संख्या 4

संसाधन सूचना श्रृंखला-4 अंक

(दो पोरबंदर से और दो पोर्ट ब्लेयर से)

कार्यशालाओं में पेश किए गए पेपर

1. भारत में ओशिएनिक टूना मात्स्यिकी-अद्यतन

2. भारतीय जल में हिंद-प्रशांत सैलफिश इस्टोफोरस प्लेटाइपटोरस के जैविक और वितरण संबंधी कुछ पहलू (शाह एंड नोडर 1972)

3. लांग लाइन फिशिंग में येलो फिन टूना के वितरण में थर्मल प्रसंस्करण की भूमिका पर कुछ टिप्पणी

4. भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी विकास और प्रबंध

5. भारत के पूर्वी तट के गहन समुद्री मात्स्यिकी संसाधन और उनके दोहन की संभावनाएं

6. गहन समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने की संभावनाओं के संदर्भ में भारत के पश्चिमी तट के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहन समुद्री मत्स्यन संसाधनों की स्थिति।

3.1 मछुआरों के लाभ के लिए कार्यशाला

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किए गए मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण के निष्कर्षों को मछुआरों, मशीन से चलने वाली नौकाओं के आपरेटरों और उद्योग तक पहुंचाने के लिए विभिन्न तटवर्ती राज्यों में तीन कार्यशालाएं की गई।

(1) सतपती (महाराष्ट्र)

भारतीय मात्स्यिक सर्वेक्षण के बंबई बेस ने 27/7/95 को महाराष्ट्र में सतपती में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य "महाराष्ट्र तट पर गहन समुद्री मत्स्यन की संभावना तथा मात्स्यिकी का विकास" था।

(2) मलविन (महाराष्ट्र)

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने "नाबार्ड" और सारस्वत सहकारी बैंक के अनुरोध पर मलविन स्थित मछुआरों के लाभ के लिए 14-15 जनवरी, 1996 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। पहले दिन मछुआरों को महाराष्ट्र तट पर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दी गई और दूसरे दिन स्थानीय मशीनीकृत नौकाओं पर फिश फाइंडिंग जैसे बिजली के उपकरणों को चला कर दिखाया गया। वर्कशाप के दौरान चार्ट, संसाधन ग्राफिक्स तथा गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों और गियरों के मॉडलों को भी प्रदर्शित किया गया।

longline survey along North West coast, North East coast, selective fishing for tunas along Andaman & Nicobar waters and shark long line survey along lower East coast.

2.4 Experimental projects: A set of projects were also programmed for selective fishing methods like trap fishing for rock cods along West coast and Lakshadweep sea, and bottom set long lining for perch resources along lower East coast.

3. Dissemination of Information

The Institute had been disseminating the resources survey findings to the industry and its end-users through various publications, like Bulletins, Reports, Charts, Special Publications, Scientific Papers, etc. Besides the above, regular Workshops/Seminars are also being conducted by the FSI Base offices in different maritime states with a view to disseminate information to the traditional fishermen, mechanised boat operators etc. FSI publications are also being translated into regional languages on priority basis for the benefit of the fishermen and mechanised boat operators. During the year following publications were released.

Bulletin No. 25 Marine Fishery Resources off Gujarat coast.

Charter Fishing Vessels Operations in the Indian EEZ No. 4. Occassional papers—2 issues.

Meena News Vol. XI No. 2 & 3
Meena News Vol. XI No. 4
Resources Information Series— 4 issues
(Two each from Porbandar and Port Blair Bases).

Papers presented in the Workshops

1. Oceanic Tuna fishery in India — an update

2. Some aspects on the distribution and biology of the Indopacific Sailfish Istophorous Platypterus (Shaw and Nodder 1772) in Indian waters.

3. Some observation on the role of thermal process in the distribution of yellowfin tuna in longline fishing.

4. Marine Fisheries development and Management in the Indian EEZ.

5. Deepsea Fishery Resources of the East Coast of India and prospects of Exploitation.

6. Deep Sea Fishery resources position in the EEZ of West coast of India with reference to prospects of promotion of deepsea fishing.

3.1 Workshops for the benefit of Fishermen

As a beginning to take the findings of the fishery resources survey conducted by by FSI to the fishermen, mechanised boat operator and to the industry, following five workshops have been conducted in different Maritime states.

(1) **Satpati (Maharashtra)**

The Bombay Base of FSI organised a Workshop at Satpati in Maharashtra on 27.7.95. The theme of the Workshop was "Fisheries Development and Scope for Deep Sea Fishing along Maharashtra Coast."

(2) **Malvin (Maharashtra)**

FSI on the request of NABARD and Saraswat Cooperative Bank organised a two day workshop for the benefit of fishermen at Malvin on 14th and 15th January, 1996. On the first day, the fishermen were appraised about the resources available along the Maharashtra Coast and on the second day of the workshop practical demonstration on operation of electronic equipments like fish finding were arranged on board local mechanised boats. An exhibition displaying charts, resources graphics and models of deep sea vessels and gears was also arranged during the workshop.

(3) **कोचीन (केरल)**

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के कोचीन स्थित क्षेत्रीय बेस ने भी कोचीन में 29/7/95 को पारम्परिक मछुआरों और अन्य अंतिम उपभोक्ताओं के लाभ के लिए ऐसी ही एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(4) **गोवा**

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के गोवा बेस ने भी मछुआरों, मशीनीकृत बोट चलाने वालों आदि तथा अंतिम उपभोक्ताओं के लाभ के लिए 10/10/95 को "गोवा अपतट पर गहन समुद्री मात्स्यिकी संसाधन" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(5) **विशाखापत्तनम**

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विशाखापत्तनम स्थित बेस ने सी॰आई॰एफ॰टी॰ और सी॰एम॰एफ॰आर॰आई॰ के सहयोग से 8 जनवरी, 1996 को "उत्तरी पूर्वी तट पर समुद्री मात्स्यिकी संसाधन" संबंधी एक वर्कशाप आयोजित की। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों और वैज्ञानिकों तथा बड़े ट्रालरों और छोटी मशीनीकृत नौकाओं के आपरेटरों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर सभी संघों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए इस अवसर पर मछुआरों के लाभ के लिए तेलगु भाषा में मछली-भंडार संबंधी सूचना का एक बुलेटिन भी जारी किया गया।

4. **वर्ष 1995-96 के दौरान निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया:—**

4.1 एक मूल्यांकन समिति का गठन: हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा अपने चार्टर्ड को पूरा करने में किए गए योगदान का मूल्यांकन करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को पुनर्निधारित करने की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव इसकी अध्यक्षा है और महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण इसके सदस्य सचिव हैं। अन्य सदस्य कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् महासागर विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, तटरक्षक बल, केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, भारतीय मत्स्यन उद्योग संघ, योजना आयोग, लेखा नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हैं। आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने में दे देगी।

4.2 **मत्स्य दर्शनी और मत्स्य वर्षिणी का पुनर्वास:** डेनमार्क से सहायता प्राप्त मत्स्य दर्शनी और मत्स्यवार्षिणी जलयानों के पुनर्वास का काम उनमें इकोसाउंडर, जी॰पी॰एस॰, आर॰टी॰, वी॰एच॰एफ॰, रडार, सोलार आदि जैसे इलैक्ट्रानिक उपकरण लगाकर कोचिन शिपयार्ड में पूरा किया गया है। ये जलयान नवम्बर, 1995 में अपने-अपने बेसों से प्रचालन कार्य शुरू कर चुके हैं।

5. **कर्मचारियों का प्रशिक्षण**

संस्थान ने "सिफनेट" कोचीन द्वारा भेजे गए कर्मचारियों को सभी सर्वेक्षण जलयानों पर पाठ्यक्रमोपरांत प्रशिक्षण देना जारी रखा ताकि वे मात्स्यिकी जलयानों में तैनाती संबंधी परीक्षा के लिए अपेक्षित समुद्र सेवा की जानकारी प्राप्त कर सकें।

6. **अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप संबंधी उपलब्धियां**

6.1 **संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति द्वारा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का दौरा:** संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति के एक अध्ययन दल ने भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के कार्यों का अध्ययन करने और तटवर्ती मछुआरों से संबंधित विभिन्न मामलों पर महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के लिए 18/7/95 को अध्यक्ष श्री नितिश कुमार (संसद सदस्य) और 14 संसद सदस्य के साथ भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का दौरा किया। उन्हें भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र के समुद्री संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन से संबंधित लक्ष्यों को लागू करने के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण की भूमिका और कार्य के बारे में बताया गया।

6.2 **कोलम्बो (श्रीलंका) में हिंद-प्रशांत टूना पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श:** भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने 25 से 28 सितम्बर, 1995 तक कोलम्बो, श्रीलंका में हिंद-प्रशांत टूना पर छठे विशेषज्ञ विचार-विमर्श में भाग लिया। परामर्श का मुख्य उद्देश्य टूना के उपलब्ध स्टॉक की समीक्षा करना और टूना संबंधी अनुसंधान तथा डाटा इकट्ठे करने में सदस्य देशों द्वारा इस समय किए जा रहे कामों की समीक्षा करना था।

(3) **Cochin (Kerala)**

The Zonal Base of FSI at Cochin also arranged a Similar Workshop on 29.7.95 at Cochin for the benefit of the traditional fishermen and other end users.

(4) **Goa**

The Goa Base of FSI conducted a Workshop on "Deepsea Fishery Resources off Goa Coast" on 10th October, 1995 for the benefit of the fishermen, mechanised boat operators and other end users to ascertain the requirement of those involved in fishing activities.

(5) **Visakhapatnam**

The FSI Base at Visakhapatnam in association with local unit of CIFT and CMFRI arranged a workshop on "Marine fishery resources of the upper east Coast on 8th Feb., 1996. The workshop was attended by large spectrum of officials and scientists from different organisations belonging to Central and State Govt. and operators of larger trawlers and small mechanised boats. Representatives of all the associations spoke on this occasion and expressed their views. On the occasion of the workshop a bulletin containing information on fish stocks was also released in Telugu language for the benefit of fishermen.

4. The following committees were constituted during 1995-96.

4.1 **Constitution of an Evaluation Committee:** Ministry of Food Processing Industries has recently constituted a committee for evaluating the contribution made by the FSI towards fulfilling its charter and for making an assessment whether any reorientation of its aims and objectives is required. The Joint Secretary, MFPI is the Chairperson of the Committee while Director General, FSI is the Member-Secretary. Other members are drawn from Min. of Agriculture, Indian Council of Agricultural Research, Deptt. of Ocean Development, Deptt. of Environment, Coast Guard, Central Institute of Fisheries Education, Association of Indian Fishing Industries, Planning Commission, Controller of Accounts, MFPI. The committee is expected to submit its report in three months time.

4.2 **Rehabilitation of M. Darshini and M. Varshini:** The rehabilitation work in respect of two vessels M. Darshini and M. Varshini under Danish aid at Cochin Shipyard has been completed by refitting the vessels with electronic equipment like Echo Sounders, GPS, R.T., VHF, Radar, Sonar, etc. These vessels have already been recommissioned in November, 1995 from their respective bases of operation.

5. **Training of operatives**

The Institute continued to impart in-vessel on the job post-institutional training on board all the survey vessels to candidates sponsored by CIFNET, Cochin enabling them to acquire requisite sea service to appear for competency examination for manning vessels.

6. Other National/International activities/achievements

6.1 **Parliamentary Standing Committee on Agriculture visited FSI**

A study group of the Parliamentary standing Committee on Agriculture consisting of 14 Hon. Members of Parliament under the Chairmanship of Shri Nitish Kumar, Hon. M.P. visited FSI on 18.7.95 to study the functioning of FSI and held discussions with Director General and other Senior officials of FSI on various matters relating to maritime fishermen. The charter to work and role of FSI in implementing the objectives relating to the survey and assessment of the marine resources of the Indian EEZ was explained to them.

6.2 **Expert Consultation on Indian Ocean Tunas in Colombo Sri Lanka:**

FSI participated in the Sixth Expert Consultation on Indian Ocean Tunas held in Colombo, Sri Lanka from 25—28th September, 1995. The purpose of the consultation was mainly to review the status of tuna stocks and present activities of the member nations on tuna research and data collection. FSI presented following three papers in the consultation.

1. भारत में ओशिएनिक टूना मात्स्यिकी-अद्यतन

2. भारतीय जल में हिंद-प्रशांत सेलफिश इस्टोफोरस प्लेटाइपटीरस के जैविक और वितरण संबंधी कुछ पहलू (शाह एण्ड नोडर 1972)

3. लाँग लाइन फिशिंग में येलो फिन टूना के वितरण में थर्मल प्रसंस्करण की भूमिका पर कुछ टिप्पणी।

7. **कर्मचारियों की संख्या**

संस्थान में कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 710 है जिसमें 69 वैज्ञानिक पद/ 425 तकनीकी पद और शेष प्रशासनिक पद शामिल हैं।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण

आरक्षण के मानदण्डों का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा वर्ष के दौरान भरे गये पदों की संख्या नीचे दी गई है:—

ब्यौरे	अ० / जा०	अ० / जनजाति	योग
पिछली बकाया रिक्तियों समेत आरक्षित पदों की संख्या	10	4	14
भरे गए पदों की संख्या	8	2	10
भरे जाने वाले पदों की संख्या	2	2	4

रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई निम्नलिखित है:—

रोजगार कार्यालय / कर्मचारी चयन आयोग को भेजे गए मांग पत्र	:	2
संघ लोक सेवा आयोग से पत्राचार किया जा रहा है	:	1

8. **वित्तीय प्रगतिः**

वर्ष 1995-96 के लिए योजना के तहत 11.10 करोड़ रुपये का और गैर योजना के लिए 1.90 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है।

1. पहली बार अंडमान में मिली लीनूपरत सोमनिओसिस डीपसी, स्पीयर, लोबस्टर।

2. मछुआरों के लाभ के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा कोचीन में आयोजित की गई कार्यशाला।

(i) Oceanic tuna fishery in India—an update.

(ii) Some aspects on the distribution and biology of the Indo-Facific Sailfish *Istiophorus Platypterus* (Shaw and Nodder 1972) in Indian waters.

(iii) Some observations on the role of thermal process in the disribution of yellow fin tuna in long line fishing.

7. **Staff Strength**

The total sanctioned staff strength of the institute is 710 which includes 69 Scientists posts and 425 Technical posts, and the remaining are administrative posts.

Reservation of posts for SC/ST Candidates

Following the norms of reservations, the number of posts reserved by the institute for Schedule Castes/Scheduled Tribe categories and the number of posts filled during the year are given below:

Particulars	SC	ST	Total
No. of Posts reserved including back 10g vacancies	10	4	14
No. of posts filled up	8	2	10
No. of posts to be filled up	2	2	4

Action in progress to fill up the vacant posts as below:

Requisition sent to Employment Exchange/Staff Selection Commission : 2
Under correspondence with the UPSC : 1

8. **Financial Progress**

The B.E. for 1995-96 is Rs. 11.10 crores under plan and Rs.1.90 crores under Non-Plan.

अध्याय - 9

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लिमिटेड

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इ०) लिमिटेड की स्थापना माडर्न बेकरीज (इं०) लि० के नाम से वर्ष 1965 में हुई थी। कंपनी की विविध गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने के लिए इसका मौजूद नाम नवंबर, 1982 में अपनाया गया था।

पूंजीगत संरचना

31.3.96 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 15 करोड़ रु० और प्रदत्त पूंजी (बकाया आबंटन सहित) 11.08 करोड़ रु० है। 31.03.95 को 4.98 करोड़ रु० की तुलना में कंपनी द्वारा भारत सरकार को अदा की जाने वाली ऋणों की बकाया धनराशि 31.3.96 को 4.84 करोड़ रु० थी।

वास्तविक कार्य निष्पादन

ब्रेड

कंपनी ने सफेद सैंडविच ब्रेड, मीठी डबलरोटी, मिल्क ब्रेड, फ्रूटी, ब्राउन डबलरोटी और पोषण कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रकार की डबलरोटी का उत्पादन और विपणन अपनी 13 ब्रेड निर्माता यूनिटों के माध्यम से जारी रखा। ये ब्रेड निर्माता यूनिटें अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, मद्रास और रांची में स्थित हैं। 1995-96 के दौरान डबलरोटी की कुल बिक्री 24.09 करोड़ मानक डबलरोटी थी, जबकि पिछले वर्ष 1994-95 में इसी अवधि के दौरान यह मात्रा 19,36 करोड़ मानक डबलरोटी थी। 1995-96 के दौरान वाणिज्यिक बिक्री 21.52 करोड़ मानक डबलरोटी थी जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 16.97 करोड़ मानक डबल रोटी थी। इसी अवधि में पोषाहार के अंतर्गत बिक्री 2.57 करोड़ मानक डबलरोटी थी जो पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान 2.39 करोड़ मानक डबलरोटी थी।

ब्रेड की बिक्री को बढ़ाने और दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां कंपनी के ब्रेड निर्माता संयंत्र स्थापित नहीं हैं ब्रेड उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लि० के लाइसेंस के तहत ब्रेड के उत्पादन और विपणन के लिए विभिन्न प्राइवेट ब्रेड निर्माताओं के साथ विशेष करार किया है। इससे रायल्टी के रूप में कंपनी को भी आमदनी होती है। वर्ष 1995-96 के दौरान विशेष करार वाली यूनिटों ने 680 लाख मानक डबलरोटियां बेची और कंपनी ने रायल्टी के रूप में 43 लाख रु० कमाए जबकि पिछले वर्ष 1994-1995 के दौरान 461 लाख मानक डबलरोटियों की बिक्री इनके द्वारा की गई थी और उससे रायल्टी के रूप में 31.48 लाख रु० की राशि कंपनी ने कमाई थी।

फल रस बॉटलिंग संयंत्र, दिल्ली

संयंत्र ने रसिका फल जूस और ड्रिंक्स का उत्पादन और उनका बोतलों में विपणन चलती-फिरती गाड़ियों और बिक्री मशीनों के माध्यम से जारी रखा। वर्ष 1995-96 के दौरान 1.29 लाख क्रेट (प्रत्येक में 200 मि०लि० की 24 बोतलें) रसिका की बिक्री की गईं जबकि पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान यह बिक्री 1.11 लाख क्रेटों की थी। यूनिट ने फरवरी, 1994 से ऊर्जा खाद्य का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। 1995-96 के दौरान इस यूनिट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए सप्लाई किए जाने हेतु 16754.20 मी०टन ऊर्जा खाद्य का उत्पादन किया जबकि पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान 11311.075 मी०टन का उत्पादन किया था। इससे यूनिट को अपना लाभ बढ़ाने में काफी सहायता मिली है। 1995-96 के दौरान यूनिट ने 107.30 लाख (अनन्तिम) रु० का लाभ कमाया जबकि 1994-95 के दौरान उसने 34.45 लाख रु० का लाभ कमाया।

एक्सट्रूडर खाद्य संयंत्र, जयपुर

यूनिट ने राजस्थान सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए 1995-96 के दौरान 1925.30 मी०टन एक्सट्रूडेड खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान 1492.54 मी०टन की आपूर्ति की थी।

रसिका
modern
Special
BREAD
INGREDIENTS
पोषाहार
मॉडर्न

मैं० माडर्न फूड इंडस्ट्रीज का डबलरोटी निर्माण संयंत्र।
Bread making plant of M/s Modern Food Industries.

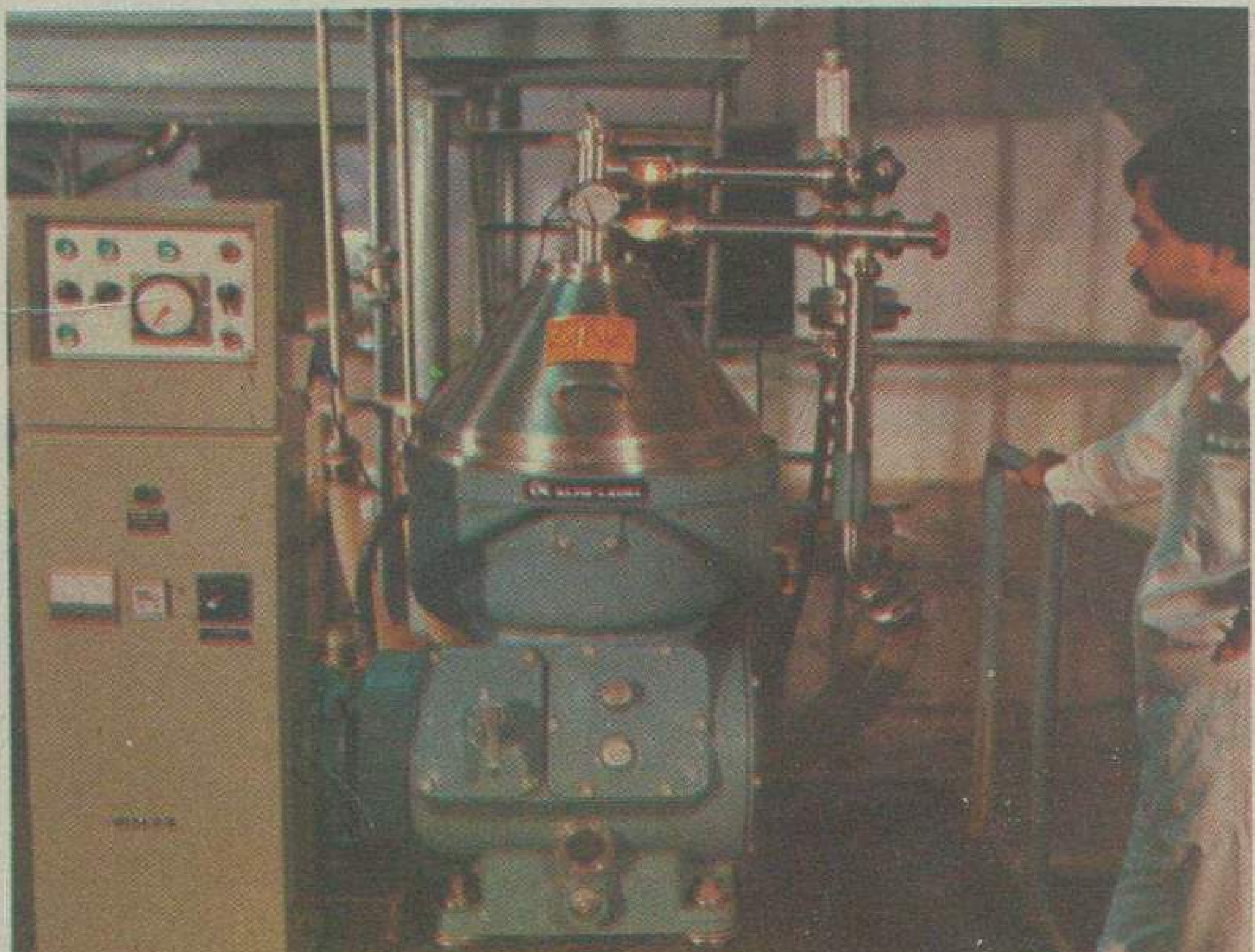

नेरामक - अपकेन्द्रित द्वारा फल रस विशुद्धीकरण।
NERAMAC—Fruit juice classification by centrifuge.

CHAPTER IX
PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

MODERN FOOD INDUSTRIES (I) LIMITED

Modern Food Industries (I) Limited was incorporated in 1965 under the name of Modern Bakeries (I) Limited. The present name was adopted in November, 1982 in order to reflect its diversified activities.

CAPITAL STRUCTURE:

The authorised share capital of the company is Rs. 15.00 crores and the paid up capital (including pending allotment) is Rs. 11.08 crores as on 31.03.96. The outstanding loans repayable by the Company to the Government of India stood at Rs. 4.84 crores as on 31.03.96 against Rs. 4.98 crores on 31.03.95.

PHYSICAL PERFORMANCE:
BREAD

The Company continued to produce and market different varieties of bread like white sandwich bread, sweet bread, milk bread, fruity, brown bread and special bread for nutritional programmes at its 13 bread manufacturing units located at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Madras & Ranchi. The total sale of bread during the year 1995-96 was 24.09 crores SL as compared to 19.36 crores SL during the previous year 1994-95. The commercial sales during the year 1995-96 were 21.52 crores SL as against 16.97 crores SL during the previous year 1994-95, while the nutritional sales were 2.57 crores SL as against 2.39 crores SL during the previous year 1994-95.

To further increase the sales of bread and to ensure its availability in the far-flung areas where the Company does not have its bread plants, the Company is having Franchise Agreements with various private manufacturers for production and marketing of bread under licence from Modern Food Industries (India) Ltd. This also brings income to the Company in the shape of royalty. During the year 1995-96 the Franchised Units sold 680 lakhs SL and Company earned royalty amounting to Rs. 43.00 lakhs as compared to a sale of 461 lakhs SL and royalty amount of Rs. 31.48 lakhs during the previous year 1994-95.

FRUIT JUICE BOTTLING PLANT, DELHI

The Plant continues to produce and market Rasika, Fruit Juices and drinks in bottles, through mobile vans and vending machines. The sale of Rasika during the year 1995-96 was 1.29 lakhs crates (of 24 bottles of 200 ml. each) against 1.11 lakhs crates during the previous year 1994-95. The unit has also started production of Energy Food from February, 1994. During the year 1995-96 the unit has produced 16754.20 MT of Energy Food for supply to U.P. Government for their Social Welfare Programmes as compared to 11311.075 MT during the previous year 1994-95. This has helped in improving the profitability of the unit to a great extent. During 1995-96 the Unit made a profit of Rs. 107.30 lakhs, (provisional) as against profit of Rs. 34.45 lakhs during 1994-95.

EXTRUDER FOOD PLANT, JAIPUR:

The Unit supplied 1925.30 MT of Extruded Food during the year 1995-96 as compared to supply of 1492.54 MT during the previous year 1994-95 to the various Welfare Programmes of the Government of Rajasthan.

रोलर आटा मिल, फरीदाबाद

1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार को उनके विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए यूनिट ने 17072.25 मी॰टन ऊर्जादायक खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान 17985.415 मी॰टन की आपूर्ति की गई थी।

फल प्रसंस्करण यूनिट, भागलपुर

1995-96 के दौरान इस यूनिट ने बिहार राज्य को उनके विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 3983.750 मी॰टन खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान 3285.25 मी॰टन की आपूर्ति की गई थी।

कानपुर यूनिट

ब्रेड उत्पादन के अलावा यूनिट ने अप्रैल 1995 से ऊर्जा खाद्य का भी उत्पादन शुरू कर दिया है। 1995-96 के दौरान यूनिट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके समाज कल्याण कार्यक्रम के लिए 4025.45 मी॰टन की सप्लाई की।

अनुसंधान और विकास

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास गतिविधियों में महत्व के अनेक क्षेत्र सम्मिलित थे और इनमें से नए उत्पादों के विकास तथा मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया गया था। कंपनी के बेकरी यूनिटों द्वारा तैयार की जा रही विभिन्न किस्म की ब्रेड में महत्वपूर्ण गुणवत्ता अंश बढ़ाने के लिए एक ब्रेड उन्नायक प्रणाली का विकास किया गया। अनुसंधान और विकास गतिविधियों का लक्ष्य कंपनी के मिश्रित उत्पादोन का विविधिकरण करना, उत्पाद गुणवत्ता में सुधार लाना और लागत में वितव्ययता प्राप्त करना है। उपर्युक्त के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित "मोटे अनाज के कारगर उपयोग के वास्ते उत्पादों का विकास" नामक परियोजना शुरू की गई और इनमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

अनुसंधान और विकास कार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ

अनुसंधान और विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी चुनिंदा यूनिटों के वाणिज्यिक बाजार में केक की सात किस्में ला सकी। कंपनी विभिन्न यूनिटों में अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी समर्थ रही है और दिल्ली के बाजार में बेहतर प्रीमियम क्वालिटी सैंडविच ब्रेड लाने में भी समर्थ रही।

अनुसंधान और विकास की भावी योजना

अनुसंधान और विकास की भावी योजना कार्रवाई में प्रीमियम सैंडविच आदि विभिन्न किस्म की ब्रेड, पौष्टिक बिस्कुट, व्यापारिक विपणन के लिए एक्सट्रूडिड उत्पादों के साथ-साथ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास स्कीम आदि की जरूरतें पूरी करने के लिए पौष्टिक उत्पादों का विकास करना है। अनुसंधान और विकास केन्द्र ब्रेड और अन्य उत्पादों के उत्पादन प्रसंस्करण मानदंडों की भी समीक्षा करेगा, ताकि उत्पाद-गुणवत्ता और संयंत्र की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके तथा गुणवत्ता, आश्वासन और उत्पादन प्रणाली मैन्युल में उपर्युक्त संशोधन किया जा सके।

वित्तीय निष्पादन

कारोबार

1995-96 के दौरान कंपनी ने 131.5 करोड़ (अनन्तिम) रु॰ का कारोबार किया जो पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान 112.65 करोड़ रु॰ का था।

लाभ

कंपनी ने 1994-95 के दौरान 5.74 करोड़ रु॰ के लाभ की तुलना में 1995-96 के दौरान 10.10 करोड़ (अनन्तिम लेखा परीक्षा के अधीन) रु॰ का लाभ कमाया।

ROLLER FLOUR MILL, FARIDABAD:

During the year 1995-96 the Unit has supplied 17072.25 MT of Energy Food to the State of U.P. and Bihar under their various nutritional Programme as compared to 17985.415 MT supplied during the previous year 1994-95.

FRUIT PROCESSING UNIT, BHAGALPUR:

During the year 1995-96 the Unit has supplied 3983.750 MT of Energy Food to Bihar State under their various Social Welfare Programmes as compared to 3285.25 MT supplied during the previous year 1994-95.

KANPUR UNIT

Besides Bread production, the Unit has also started production of Energy Food from April 95. During the year 1995-96, the Unit has supplied 4025.45 MT to U.P. Govt. for their Social Welfare Programme.

RESEARCH AND DEVELOPMENT:

Research and Development activities during the year under review encompassed several areas of importance and of these, stress was laid on development of new products and bringing about improvement in the quality attributes of the existing products. A bread improver system was developed in order to enhance the important quality characteristics of the various bread varieties being manufactured by the Company's Bakery Units. The R & D activities were aimed at diversifying the Company's product-mix, improving product quality and achieving cost economisation. In addition to the above work pertaining to the project titled "Development of products for effective utilisation of millets", sponsored by the Ministry of Food Processing Industries, was initiated and considerable progress has been made in the same.

BENEFITS DERIVED AS A RESULT OF THE R & D WORK

As a result of the R&D efforts the Company has been able to launch seven varieties of Cakes in the Commercial market at selected units. The Company has also been able to bring in significant improvement in the quality of its products at different units and also has been able to launch improved Premium Quality Sandwich Bread in the Delhi market.

FUTURE PLAN OF ACTION FOR R&D:

Future Plan of action for R&D includes Development of premium sandwich and other variety breads, nutritious biscuits, extruded products for commercial marketing as well as other nutritious products tailored for meeting the requirements of Mid-day meal Programme, ICDs etc. The R&D centre would also review the production process parameters for bread and other products with a view to optimising plant utilisation and product quality and appropriately revise the Quality Assurance and Production System Manuals.

FINANCIAL PERFORMANCE:

TURNOVER

The Company's turnover during the year 1995-96 is Rs. 131.5 Crore (Provisional) as compared to Rs. 112.65 Crore during the year 1994-95.

PROFIT

The Company earned a Profit before Tax of Rs. 10.10 Crore (Provisional subject to audit) during 1995-96 as against Profit of Rs. 5.74 crore during the previous year 1994-95.

स्टाफ संख्या

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार विद्यमान स्टाफ संख्या 2390 है जबकि स्वीकृत स्टाफ संख्या 2600 है। इस तारीख को इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्रमः 377,67 और 37 थी।

क्रम सं०	विवरण	1995-96 (अनन्तिम)	बजट अनुमान 1995-96	वास्तविक 1994-95
1. वास्तविक बिक्री				
1.	ब्रेड (करोड़ मानक डबलरोटियां)	21.52	20.50	16.97
	वाणिज्यिक पोषाहार	2.57	2.50	2.39
	योग	24.09	23.00	19.36
2.	फल रस और सॉफ्ट ड्रिंक्स (लाख क्रेटों में) (क्रेट-200 मी॰लि॰ की 24 बोतलें)	1.29	1.00	1.11
3.	एक्सट्रूडेड खाद्य (मी॰टन में)	1925.30	1500,00	1492.54
4.	ऊर्जा खाद्य/केयर खाद्य (मी॰टन॰ में)	41835.65	27000.00	32581.74

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि॰ (नेरामक) गुवाहाटी

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि॰ (नेरामक) की स्थापना मार्च, 1982 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदा होने वाले फलों और सब्जियों का विपणन और प्रसंस्करण करने के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 लाख रु॰ और प्रदत्त पूंजी 269 लाख रु॰ है। निगम की पहली बड़ी परियोजना अर्थात् त्रिपुरा राज्य में नलकँटा में स्थित अनानास रस सांद्रण संयंत्र को जून, 1988 में चालू किया गया था। संयंत्र में वर्ष 1995-96 के दौरान 80.00 मी॰ टन अनानास रस सांद्रण तैयार किया। और 40.45 लाख रु॰ मूल्य के 99.00 मी॰ टन अनानास रस सांद्रण की बिक्री की।

निगम की अगरतला स्थित काजू प्रसंस्करण यूनिट ने वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 12 मी॰टन कच्चे काजू का प्रसंस्करण किया और 2 मी॰ टन अंतिम उत्पाद तैयार किया। यूनिट ने 1.14 लाख रु॰ मूल्य के 2.09 मी॰ टन अंतिम उत्पाद की बिक्री की।

निगम ने वर्ष 1995-96 के दौरान विपणन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में गतिविधियों को फिर से चालू करने और उनके नवीकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों को जारी रखा और दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया। फल उत्पाद, सब्जी, ऊर्जादायक खाद्य, आइसक्रीम स्टिक, पशु चारा/मात्स्यिकी आदान, अगरबत्ती, स्टिक, सिट्रोनेला तेल आदि का विपणन किया। निगम ने वर्ष 1995-96 के दौरान विपणन कार्यों से 184.41 लाख रु॰ मूल्य की बिक्री की इसमें नेरामक के अपने उत्पाद शामिल नहीं हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान निगम ने 226.00 लाख रु॰ का कुल कारोबार किया जबकि पिछले वर्ष 91.21 लाख रु॰ का कारोबार किया था।

अनुमान है कि 1995-96 के दौरान निगम को 38 लाख रु॰ का घाटा होगा जबकि 1994-95 के दौरान उसे 116.33 लाख रु॰ का घाटा हुआ था।

31.12.95 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 66 थीं जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 160 है। इस तारीख को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 6 और 9 है।

STAFF STRENGTH

The Staff Strength in position as on 31.03.1996 was 2390 against sanctioned strength of 2600. The number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-Servicemen on the date were 377, 67 and 37 respectively.

Sl. No.	Particulars	1995-96 (Provisional)	Budget Estimates 1995-96	Actuals 1994-95
Physical Sales				
1	Bread (In crore S.L.)			
	Commercial	21.52	20.50	16.97
	Nutritional	2.57	2.50	2.39
	Total	24.09	23.00	19.36
2.	(a) Fruit Juices & Soft Drinks (In Lakh Crates) (Crate-24 Bottles of 200 ML Each)	1.29	1.00	1.11
3.	Extruded Food (In M.T.)	1925.30	1500.00	1492.54
4.	Energy Food/Care Food (In M.T.)	41835.65	27000.00	32581.74

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED (NERAMAC), GUWAHATI

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC) was set up in March, 1982 with the main objective of undertaking marketing and processing of fruits and vegetables grown in the North Estern Region. The authorised share capital of the Corporation is Rs. 500 lakhs and paid up capital is Rs. 269 lakhs. The Corporation's first major project *viz.* Pineapple Juice Concentrate Plant set up at Nalkata in the State of Tripura, was commissioned in June, 1988. The Plant produced 80.00 MTs of pineapple juice concentrate during the year 1995-96 and sold 99.00 MTs of Pineapple juice concentrate valued at Rs. 40.45 lakhs.

The Cashew Processing Unit of the Corporation at Agartala during the year 95-96 processed about 12 MTs of raw-cashewnut and produced 2.00 MTs. of finished product. The Unit sold 2.09 MTs. of finished product valued at Rs. 1.14 lakhs.

The Corporation continued to make efforts to revive and rejuvenate its activities in areas of marketing and processing during the year 1995-96 and made significant improvements in both the areas. The Corporation undertook marketing of fruit products, vegetables, energy food, ice-cream sticks, animal feed/fishery inputs, agarbati sticks, citronella oil etc. The total sales other than NERAMAC's own products during the year 95-96 in respect of marketing activities is Rs. 184.41 lakhs. The total turnover of the Corporation during 95-96 is Rs. 226.00 lakhs as against Rs. 91.21 lakhs during the previous year.

The operations of the Corporation during 1995-96 are anticipated to result in a loss of Rs. 38 lakhs as against a loss of Rs. 116.33 lakhs during the year 1994-95.

The staff strength position as on 31.3.96 was 61 as against the sanctioned strength of 160 posts. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees on this date was 7 and 9 respectively.

अध्याय-10

विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना

मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्कीमों के लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों समेत देश के किसी भाग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं तथा प्रोत्साहन देना है। लेकिन कुछ स्कीमों के तहत एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित जिलों में ऐसे एकक स्थापित करने के लिए सहायता की अधिक राशि दी जाती है। जिन स्कीमों के लिए जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों को सहायता प्रस्तावित है उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्कीम:

यह उद्यम विकास स्कीम है जिसका लक्ष्य शिक्षित उद्यमियों का खासकर ग्रामीण इलाकों में पता लगाना और उनकी कुशलता को बेहतर बनाना स्वरोजगार प्रसंस्करण की मूलभूत तकनीक का प्रशिक्षण देना है ताकि वे ऐसे मूल प्रसंस्करण कार्य शुरू कर सकें। प्रशिक्षण सभी प्रासंगिक कार्यों जैसे प्रौद्योगिकी, उत्पादन, विपणन, हिसाब-किताब गुणवत्ता नियन्त्रण आदि में दिया जाएगा और लघु यूनिट के संचालन और प्रबंधन में भी व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा।

50 ऐसे केन्द्रों की स्थापना के वास्ते इस स्कीम के लिए 95-96 के दौरान 2.00 करोड़ रु० का परिव्यय प्रस्तावित है। आशा है कि 10 ऐसे केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के फायदे के लिए स्थापित किये जा सकेंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं और लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए भी विशेष प्रयल किए जाएंगे।

2. खुम्बी प्रसंस्करण और हॉप्स समेत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन संबंधी स्कीम।

इस स्कीम में राज्य सरकारों के सगंठनों/संयुक्त क्षेत्रों/सहायता प्राप्त क्षेत्रों निजी क्षेत्रों/सहकारी समितियों/स्वयंसेवी संगठनों आदि को सहायता दी जाती है। एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित जिलों/क्षेत्रों के मामले में परियोजना लागत के 50% तक इसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रु० है। सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव है। जबकि अन्य मामलों में 30% वित्तीय सहायता दी जाती है और इसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु० है। निजी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में पूंजी लागत से 25% तक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है और इसकी अधिकतम सीमा 25.00 लाख रु० है। खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करा सकेगा। इनमें से कुछ से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी लाभ होगा।

3. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एकक स्थापित करने संबंधी स्कीम

इस स्कीम के तहत राज्य सरकार के संगठनों/संयुक्त क्षेत्रों/सहायता प्राप्त क्षेत्रों में इत्यादि को सहायता देने का प्रस्ताव है। सहायता प्राप्त क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में यदि यूनिट स्थापित किए जाते हैं तो राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इक्वटी शेयर के रूप में प्राप्त राशि ब्याज-रहित ऋण के रूप में उपलब्ध होगी। अन्य के मामलों में परियोजना लागत के 30% तक सहायता अनुदान दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु० होगी। लेकिन एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले एककों के मामले में 50% तक सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रु० है।

अनौपचारिक क्षेत्र में यूनिटों की मदद के लिए परियोजना लागत के 15% तक जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रु० है की सहायता देना प्रस्तावित है।

4. कुक्कुट और अण्डा प्रसंस्करण विकास संबंधी स्कीम

इस सकीम के तहत कुक्कुट और अण्डा प्रसंस्करण विकास के लिए सहायता प्रस्तावित है। इस स्कीम में भी पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशाल जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों इत्यादि को अधिक प्रतिशत में सहायता देना प्रस्तावित है।

CHAPTER X

SPECIAL COMPONENT PLAN AND TRIBAL SUB-PLAN

While the schemes formulated by the Ministry are aimed at providing facilities and incentives for setting up of food processing industries in any part of the country including tribal areas, under some of the schemes higher amount of assistance is sought to be provided for setting up of such units in ITDP districts. The schemes for which assistance is proposed to be provided to tribal areas and to SC/ST communities are indicated below:

(1) SCHEME FOR SETTING UP FOOD PROCESSING AND TRAINING CENTRES IN RURAL AREAS:

This is an entrepreneurship development scheme which seeks to identify and educate entrepreneurs particularly in rural areas in the skill improvement and self-employment, basic techniques of processing so that such primary processing can be undertaken by them. The training will be imparted in all relevant activities such as technology, production, marketing, book-keeping, quality control, etc. and will also provide practical experience in operating and managing a small scale unit.

During 95-96 an outlay of Rs. 2.00 crores is proposed for this scheme to establish 50 such centres. It is expected that 10 such Centres could be set up to benefit people belonging to SC/ST. Special efforts would also be made for imparting training to women and people belonging to SC/ST.

(2) SCHEME FOR CREATION OF INFRASTRUCTURAL FACILITIES FOR F&VP INCLUDING MUSHROOM PROCESSING AND HOPS.

In this scheme assistance is provided to State Government Organisation/Joint Sector/Assisted sector/Private sector/Cooperatives/Voluntary Organisations etc. In the case of ITDP districts/areas grant-in-aid to the extent of 50% of the project cost subject to a maximum of Rs. 100 lakhs is proposed to be provided, whereas in other cases the limit of financial assistance is 30% subject to maximum of Rs. 75 lakhs. In case of Private Sector Undertaking the assistance is proposed to be limited to 25% of the Capital Cost subject to a ceiling of Rs. 25.00 lakhs. It is also proposed to set up Food Processing Industrial Estates which could provide common facilities suited for setting up of Food Processing Industries. Some of these would benefit people belonging to SC/ST.

(3) SCHEME FOR SETTING UP FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING UNITS.

In this scheme asistance is proposed to be provided to State Government Organisations/Joint Sector/Assisted Sector etc. In case the units are set up in Assisted Sector and Joint Sector assistance would be available in the form of Interest-free loans to the extent of matching amount being brought in as equity share by the State/Public Sector Undertakings. In the case of others grants-in-aid upto 30% of the project cost subject to a maximum of Rs. 75 lakhs would be provided. However, in the case of units established in ITDP districts/areas the assistance would be to the extent of 50% subject to a maximum of Rs. 100 lakhs.

In order to help the units in the informal sector, assistance upto 15% of the project cost is proposed to be given, subject to a maximum of Rs. 15,000/-.

(4) SCHEME FOR DEVELOPMENT OF POULTRY & EGG PROCESSING

Under this scheme assistance is proposed to be extended for development of poultry and egg processing. In this scheme also a higher percentage of asisstance is proposed to be extended to North Eastern States and States with large tribal population etc.

5. मांस प्रसंस्करण विकास संबंधी स्कीम

इस स्कीम में भी सहायता की व्यवस्था उपर्युक्त स्कीम सं० 4 के समान हैं।

6. मांस उद्योग में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षित जन शक्ति के विकास संबंधी स्कीमः

इस स्कीम के तहत मांस प्रसंस्करण के लिए कारीगरों तथा प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 24.00 रु० प्रतिदिन की दर से वजीफा दिया जाता है।

7. मांस उद्योग में विपणन सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, ढुलाई संबंधी स्कीमः

बूचडखानों/मांस निगमों/सहकारी समितियों/परम्परागत रूप से इस व्यापार से जुड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के निजी उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले खुदरा दुकानों में शीत भण्डारों/प्रशीतन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

हमारी स्कीम की मुख्य अवधारणा यद्यपि परियोजना प्रस्ताव पर आधारित है लेकिन योजना राशि का लगभग 20% अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के फायदे के लिए आवंटित किया जा सकता है।

(5) SCHEME FOR DEVELOPMENT OF MEAT PROCESSING

In this scheme also the provision of assistance is similar to the scheme No. 4 mentioned above.

(6) SCHEME FOR RESEARCH, TECHNOLOGY AND TRAINED MANPOWER DEVELOPMENT OF THE MEAT INDUSTRY

Under this scheme artisans and managerial persons are provided training for meat processing. The stipend to SC/ST candidates at the rate of Rs. 24.00 per day, during the period of training, is provided.

(7) SCHEME FOR MARKETING FACILITIES, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT IN MEAT INDUSTRY

Financial assistance for cold storage/refrigeration in the retail outlets maintained by slaughter houses/meat corporations/cooperative societies/private entrepreneurs belonging to SC/ST and backward communities, traditionally engaged in this trade, is provided upto 50%.

Though the main concept of our schemes is based on project approach, yet about 20% of our plan funds may get apportioned to the schemes benefiting SC/ST communities.

भारत–अमेरिकी वाणिज्यिक सहयोग के तहत कृषि व्यापार पर कार्यकारी दल की बैठक ।
Meeting of the Working Group on Agri Business under the Indo–US Commercial Alliance.

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षुओं द्वारा उत्पादित प्रसंस्कृत मदों का प्रदर्शन ।
Display of processed items produced by trainees of Food Processing Training Centres.